


जन-कल्याणकारी योजनाओं का संग्रह

(पराविधिक स्वयं सेवकों के लिए मार्गदर्शिका)



हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण



मुख्य संरक्षक मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश कुमार मित्तल न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

> सदस्य सचिव विक्रम अग्रवाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश

> > संयुक्त सदस्य सचिव सुनील चौहान मुख्य दंडाधिकारी

प्रकाशकः

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

इन्स्टिटूशनल प्लाट नम्बर 9, सैक्टर-14, पंचकुला ई-मेल : hslsa@chd.nic.in वैब साईट : www.hslsa.nic.in

<u>तालिका</u>

क्रम संख्या	योजनाएँ	पेज नम्बर
1.	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना	1-5
2.	विधवाओं और बेसहारा औरतों के लिए हरियाणा सरकार पैंशन योजना (विधवा पैंशन)	6-10
3.	हरियाणा विकलांग व्यक्ति पैंशन योजना (विकलांग पैंशन)	11-15
4.	हरियाणा सरकार की लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना	16-20
5.	बौना भत्ता योजना	21-23
6.	किन्नर (हिजड़ा) भत्ता योजना	24-26
7.	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना	27-31
8.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित श्रम कल्याण योजनाएं	32-35
9.	राशन कार्ड	36-50
10.	पानी का कनैक्शन	51-54
11.	बिजली कनैक्शन	55-75
12.	स्थाई निवास प्रमाण पत्र	76-79
13.	ग्रामीण क्षेत्रिय प्रमाण पत्र	80-82
14.	अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र	83-86
15.	पिछड़ी श्रेणी जाति का प्रमाण पत्र	87-90
16.	अतिरिक्त पिछड़ी श्रेणी जाति का प्रमाण पत्र	91-96
17.	टपरीवाज व विमुक्त जाति से संबंधित बच्चों के लिए प्रमाण पत्र	97-99
18.	आयु का प्रमाण पत्र	100-101
19.	आय प्रमाण पत्र	102-105
20.	नागरिक अधिकार पत्र	106-116
21.	जमीन क्या है/जायदाद का बैनामा क्यों जरूरी है।	117-124
22.	मोटर वाहन पंजीकरण	125
23.	सिखाई ड्राईविंग लाइसैंस	126
24.	स्थाई ड्राईविंग लाइसैंस	127-152
25.	शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता	153-159
26.	वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र	160-161
27.	कानूनी सहायता केन्द्र	162-175

वृद्वावस्था सम्मान भत्ता योजना

प्रश्न1 वृद्वावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

उतर इस योजना का उद्देश्य समाज में जरूरतमंद लोगों को जैसे कि कृषि मजदूर, ग्रामीण दस्तकार, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति व छोटे किसान इत्यादि को उनकी वृद्व अवस्था में लाभ सुनिश्चित करना है। कोई वृद्व व्यक्ति, जो अपने स्वंय के स्त्रोतों से जीवनयापन करने में असमर्थ है और जिसे सरकार से वित्तिय सहायता की जरूरत है, उसे इस योजना द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

प्रश्न2 वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?

- उतर 1) वृद्धावस्था पेंशन के लिए वह व्यक्ति पात्र हैं:-
 - ं। जहाँ पित एवं पत्नी की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक नहीं है।
 - ii) जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है।
 - iii) जो हरियाणा राज्य का अधिवासी एवं स्थाई निवासी है।
 - 2) यदि पति-पत्नी दोनों ही पेंशन के लिए योग्य हैं तो दोनों अलग-अलग पेंशन लेने के हकदार होंगे।
 - 3) यदि कोई व्यक्ति किसी भी सरकार से पैंशन प्राप्त कर रहा है तो वह पैंशन का पात्र नहीं है।

प्रश्न3 वृद्वावस्था पेंशन योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

उतर निम्नलिखित व्यक्ति वृद्वावस्था पेंशन के पात्र नहीं हैं:-

- 1) जो स्वंय या उसके बच्चे बिक्री-कर के दायरे में आते हैं।
- 2) यदि आवेदक सरकार या स्थानीय निकाय से पेंशन ले रहा हो या कोई संगठन (जिसे सरकार, स्थानीय निकाय, बोर्ड या निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है) तब वह योजना के अन्तर्गत भत्ता लेने का पात्र नहीं है।

प्रश्न4 पेंशन के पात्र व्यक्ति को क्या राशि दी जाती है?

उतर इस राज्य योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी जिसनें 60 वर्ष या ज्यादा आयु पूरी कर रखी है उनको 1200/- रूपये 1.1.2015 के बाद के लाभपात्रों को भत्ता दिया जाता है।

प्रश्न5 आवेदन किस कार्यलय में दिया जाता है?

- उतर (i) **ग्रामीण स्तर पर -** खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में।
 - (ii) शहर स्तर पर नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम के कार्यालय।

प्रश्न6 आवेदन की जांच किस अधिकारी द्वारा जी जाती है?

- उतर (i) **ग्रामीण स्तर पर** खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा की जाती है।
 - (ii) शहरी स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम द्वारा की जाती है।

प्रश्न7 पेंशन के आवदेन को किस अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है?

- उतर (i) **ग्रामीण स्तर पर -** खण्ड पंचायत एवं विकास अधिकारी की संस्तुति (Recommendation) पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशन/भत्ता स्वीकृत किया जाता है।
 - (ii) शहर स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम की संस्तुति (Recommendation) पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशन/भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रश्न8 पेंशन का भुगतान किस द्वारा किया जाता है?

- उतर (i) ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है।
 - (ii) शहर स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम कार्यालय के कर्मचारीयों द्वारा किया जाता है।



कम्पयूटर द्वारा जारी लाभपात्र पहचान कोड नं०...

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भोग के लिए आवेदन-पत्र

फोटो

जिला	खण्ड / शहरग्र	ाम ⁄वार्डः	आवेदन तिथि	•••••
1.	प्रार्थी का नाम	श्री/श्रीमति		
2.	पिता / पित का नाम	鄕		•••••
3.	जन्म तिथि (स्कूल प्रमाण/जन्म तिथि प्रमा ड्राईविंग लाइसैन्स/पासर्पोट/वोटर पहचान कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र (प्रति संलग्न करें।)		आयु	
नोटः–	यदि आवेदक द्वारा जन्म तिथि प्रमाण-पत्र बार्ड में आयु जांच हेतु पेश होना होगा (है, तो आवेदक	को मैडिकल
4.	पूर्ण स्थाई पता			
		•••••		
5.	गरीबी रेखा सूची संख्या		•••••	
6.	हरियाणा राज्य अधिवासी?		हाँ	नहीं
7.	क्या प्रार्थी अनुसूचित जाति से संबंधित है	?	हाँ	नहीं
8.	पिछड़ा वर्ग?		हाँ	नहीं
9.	क्या आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी/स्था बोर्ड/निगम या किसी उद्यम से सेवानिवृत यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दीजिए।	·	हाँ	नहीं
10.	क्या आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी/स्था बोर्ड/निगम/संगठन/कम्पनी, जिसमें किर्स स्थानीय निकाय द्वारा वित्तीय निवेश/सहाय जाती है, से आय/पी०एफ० राशि भी आ पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है	ो भी सरकार/ यता प्रदान की य में शामिल है)	हाँ	नहीं
11.	पति एवं पत्नी दोनों की सभी साधनों से	वार्षिक आमदनी		

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

-2-

	मैं श्री/श्रीमति	-∠- शपथ पुत्र ⁄ पुत्री ∕ पत्नी	
निवासी सत्यनि	[्कि ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान र	
अनुसा मेरी स	र ठीक एवं सत्य है। यदि मेरे	द्वारा गलत तथ्य बताकर भत्ता प्राप्त किया गया करने व 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त किए गए	तो सरकार को
सत्यपा	न (संबंधित सरपंच ∕वार्ड पार्षद ∕ न	राजपत्रित अधिकारी द्वारा आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूर्	टे का निशान
नाम	पद		
(क)		क द्वारा जन्म प्रमाण पत्र संलग्न न करने ो सदस्सीय मैडिकल बोर्ड की सिफारिश	
	प्रार्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का नि	नेशान मैडिकल बोर्ड के समक्ष	
प्रार्थी ^व 1.	हस्ताक्षर चिकित्सा अधिकारी का	वर्ष से वर्ष तः 2. हस्ताक्षर चिकित्सा अधिकारी का	
	पूरा नामपद संबा (स्टैम्प सहित) पद संबा (स्टैम्प सहित)सी०एच०सी०/अस्पताल का नाम व स्थान	पद संबा (स्टैम्प सहित) सी०एच०सी०/अस्पताल का	••
तिथि		हस्ताक्षरखण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ सचिव, नगर निगम/नागरिक सेवा केन्द्र नामपद.	
नोटः-		की स्थिति में प्रार्थी को नीचे रसीद देवें एवं आ ज्ञार्यालय को अग्रेषित करें अन्यथा आवेदन-पत्र का	
	(ख)	जिला समाज कल्याण अधिकारी	
टिप्पणी	······	स्वीकृत अस्वीकृत	
तिथि		हस्ताक्षर	

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद	क्रमांक	दिनांक	
श्री/श्रीमति	पिता /पत्नी	िनवासी	
	से दिनांक	_Б को वृ	गुद्धावस्था सम्मान भत्ता
हेतू फार्म प्राप्त हुआ।			
	ख	स्ताक्षर ब्रण्ड विकास एवं पंचाय चिव, नगर निगम/ना	
		ाम द	

विधवाओं और बेसहारा औरतों के लिए हरियाणा सरकार पेंशन योजना (विधवा पैंशन)

प्रश्न1 विधवाओं और बेसहारा औरतों को पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

उतर इस योजना का उद्देश्य उन विधवाओं या बेसहारा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने स्वंय के स्त्रोतों को बनाये रखने में असमर्थ हो और जिन्हें सरकार से वित्तिय सहायता की जरूरत हो।

प्रश्न2 विधवाओं और बेसहारा औरतों को पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?

- उतर इस स्कीम के अन्तर्गत कोई भी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, पेंशन के लिए पात्र है यदि वह हिरयाणा की निवासी है और प्रार्थना पत्र के समय से एक वर्ष से पहले हिरयाणा राज्य में रहती हो और उसकी सालाना आय अपने स्त्रोतों से 2,00,000/- रूपये से कम हो तथा वह निम्नलिखित तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा करती हो यदि:
 - i) वह विधवा हो;

या

ii) वह पति, माता-पिता और बेटे के बिना बेसहारा हो;

या

- iii) वह बेसहारा हो-
 - अपने पित द्वारा पिरत्याग या पित की शारीरिक अथवा मानिसक अक्षमता के कारण (शादीशुदा मिहला के मामले में)।
 - माता-पिता द्वारा पित्याग या माता-पिता की शारीरिक अथवा मानिसक अक्षमता के कारण (अन्य मिहलाओं के मामले में)।

प्रश्न3 पेंशन योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

उतर ऐसी महिला, जिसे सरकार, स्थानीय, सार्वजनिक उपक्रम या कोई संस्था (जिसको सरकार से वितिय सहायता प्राप्त है) के द्वारा नौकरी दी गई हो और जो पेंशन या परिवारिक पेंशन ले रही हो, वह इस योजना के अन्तर्गत पेंशन की पात्र नहीं होगी।

प्रश्न4 पेंशन की पात्र महिलाओं को क्या राशि दी जाती है?

उतर इस योजना के अन्तर्गत विधवा व बेसहारा महिलाओं को 1200/- रूपये 1.1.2015 के बाद के लाभपात्रों को प्रति माह पेंशन दी जाती है।

प्रश्न5 आवेदन किस कार्यलय में दिया जाता है?

- उतर (i) **ग्रामीण स्तर पर -** खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में।
 - (ii) शहर स्तर पर नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम के कार्यालय में।

प्रश्न6 आवेदन की जांच किस अधिकारी द्वारा की जाती है?

- उतर (i) **ग्रामीण स्तर पर** खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा की जाती है।
 - (ii) शहरी स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम द्वारा की जाती है।

प्रश्न7 पेंशन के आवदेन को किस अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है?

- उतर (i) ग्रामीण स्तर पर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी की संस्तुति (Recommendation) पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाती है।
 - (ii) शहर स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम की संस्तुति (Recommendation) पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाती है।

प्रश्न8 पेंशन का भुगतान किस द्वारा किया जाता है?

- उतर (i) ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतो द्वारा किया जाता है।
 - (ii) शहर स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम कार्यालय के कर्मचारीयों द्वारा किया जाता है।



कम्पयूटर द्वारा जारी लाभपात्र पहचान कोड नं०....

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा विधवा/निराश्रित पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

फोटो

जिला	खण्ड /शहरग	ाम ∕वार्ड	आवेदन तिथि	
1.	प्रार्थी का नाम	श्री/श्रीमति	•••••	
2.	पिता / पति का नाम	প্রী		
3.	जन्म तिथि (जन्म प्रमाण–पत्र)		आयु	
4.	पूर्ण स्थाई पता			
5.	गरीबी रेखा सूचि संख्या		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
6.	क्या प्रार्थीया हरियाणा राज्य अधिवासी हैं?		हाँ	नहीं
7.	क्या प्रार्थीया अनुसूचित जाति से संबंधित	है?	हाँ	नहीं
8.	क्या प्रार्थीया पिछड़ा वर्ग से संबंधित है?		हाँ	नहीं
9.	यदि विधवा है, तो पति की मृत्यु तिथि (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें)			
10.	यदि विधवा है, तो बेसहारा होने का कार (यदि जगह कम है, तो अलग पन्ने पर रि		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••
11.	क्या आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी/स्था निकाय/बोर्ड/निगम/ या किसी उद्यम में कर रही हैं या सेवानिवृत हुई है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।		हां	नहीं
12.	क्या आवेदक किसी सरकारी/अर्ध सरकार बोर्ड/निगम/संगठन/कम्पनी, जिसमें किस स्थानीय निकाय द्वारा वित्तीय निवेश/सहाज् जाती है, से आय/पेंशन/पारिवारिक पेंशन	ोो भी सरकार / यता प्रदान की	हां	नहीं
13.	यदि आवेदक विधवा है, तो स्वयं की सर्भ वार्षिक आमदनी। (इसमें वेतन, पेंशन, पा सेवानिवृति पर मिलने वाली पेंशन, पी०एप वाला ब्याज आदि भी शामिल है)	रिवारिक पेंशन,		

14. याद आवदक बसहारा माहला ह, ता पार सभी सदस्यों की सभी साधनों से वार्षिक	वार क आमदनी।
	आवेदक के हस्ताक्षर∕अंगूठे का निशान
मैं श्री/श्रीमति निवासी	शपथ पुत्र / पुत्री / पत्नी
सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर अनुसार ठीक एवं सत्य है। यदि मेरा पुर्न विवाह को तुरन्त सूचित करूंगी। उपरोक्त विवरण में से	दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के हुआ (विधवा के लिये) तो, मैं जिला कल्याण अधिकारी में कोई भी तथ्य अगर गलत पाया जाता है, तो सरकार में व 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त किए गए भत्ते की
सत्यपान (संबंधित सरपंच/वार्ड पार्षद/राजपत्रित नामपद	अधिकारी द्वारा आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(क) विधवा ∕ बेसहारा	महिला पेंशन
নিথি	हस्ताक्षरखण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ सचिव, नगर निगम/नागरिक सेवा केन्द्र (CSC) नाम पद
नोटः- पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय व को वापिस लौटायें।	में प्रार्थी को नीचे रसीद देवें एवं आवेदन-पत्र जिला जो अग्रेषित करें अन्यथा आवेदन-पत्र कारण सहित प्रार्थी
जिला समाज	कल्याण अधिकारी
	स्वीकृत अस्वीकृत
तिथि	हस्ताक्षर

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद	क्रमांकदिनांक.	
श्री/श्रीमति/कुमारी	पिता ⁄ पत्नी	निवासी
	से दिनांक	को विधवा ∕ बेसहारा
पेंशन हेतु फार्म प्राप्त हुआ।		
		 पंचायत अधिकारी म/नागरिक सेव केन्द्र (CSC)

हरियाणा विकलांग व्यक्ति पेंशन योजना (विकलांग पैंशन)

प्रश्न1 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

उतर इस योजना का उद्देश्य उन विकलांग व्यक्तियों को, जो अपने स्वंय के स्त्रोतों को बनाये रखने में असर्मथ हो और जिन्हें सरकार से वित्तिय सहायता की जरूरत हो, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

प्रश्न2 पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?

उतर इस स्कीम के अन्तर्गत कोई भी विकलांग व्यक्ति जो 18 वर्ष या इससे अधिक हो, विकलांग पेंशन के अनुदान के लिए पात्र है।

यदि वह हरियाणा का निवासी है और प्रार्थना पत्र के समय से तीन वर्ष से हरियाणा राज्य में रहता है

तथा

उसे अपने नजदीकी रिश्तेदारों जैसे कि माता-पिता, पुत्र, पौत्र से मदद प्राप्त नहीं हो रही तथा उसकी सालाना आय, सभी स्त्रोतों को मिलाकर, श्रम विभाग द्वारा वर्ष दर वर्ष अधिसूचित, अकुशल, श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा नहीं है।

तथा

- यदि वह गुंगा/बहरा या 100% नेत्रहीन है या
- 70% या अधिक अपंग है या
- उसकी मानसिक अक्षमता (I.Q.) 50 से अधिक नहीं है।

प्रश्न3 पेंशन के पात्र विकलांग व्यक्ति को क्या राशि दी जाती है?

उतर इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्ति को 1200/- रूपये 1.1.2015 के बाद के लाभपात्रों को प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाती है।

प्रश्न4 आवेदन किस कार्यलय में दिया जाता है?

- उतर (i) **ग्रामीण स्तर पर** खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया जायेगा।
 - (ii) शहर स्तर पर नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम के कार्यालय में आवेदन दिया जायेगा।

प्रश्न5 आवेदन की जांच किस अधिकारी द्वारा की जाती है?

- उतर (i) **ग्रामीण स्तर पर -** खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा की जाती है।
 - (ii) शहरी स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम द्वारा की जाती है।

प्रश्न6 पेंशन के आवदेन को किस अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है?

- उतर (i) ग्रामीण स्तर पर खण्ड पंचायत एवं विकास अधिकारी की संस्तुति (Recommendation) पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाती है।
 - (ii) शहर स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम द्वारा संस्तुति (Recommendation) पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाती है।

प्रश्न7 पेंशन का भुगतान किस द्वारा किया जाता है?

- उतर (i) ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।
 - (ii) शहर स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम कार्यालय के कर्मचारीयों द्वारा किया जाता है।



फोटो

जिला	खण्ड /शहर	ग्राम ∕वार्ड	आवेदन तिथि	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1.	प्रार्थी का नाम	श्री/श्रीमति		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2.	पिता / पति का नाम	श्री		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3.	जन्म तिथि (जन्म प्रमाण-पत्र)		.आयु	
4.	पूर्ण स्थाई पता			
5.	गरीबी रेखा सूचि संख्या (यदि बी०पी०ए परिवार है, तो	त्त०		
6.	विकलांगता का प्रतिशत (विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें, जो	कि 3 वर्ष से ज्यादा पु	ुराना न हो)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
7.	क्या प्रार्थीया हरियाणा राज्य अधिवासी है	?	हाँ	नहीं
8.	क्या प्रार्थीया अनुसूचित जाति से संबंधित	है?	हाँ	नहीं
9.	क्या प्रार्थीया पिछड़े वर्ग से संबंधित है?		हाँ	नहीं
10.	क्या आवेदक किसी सरकारी/अर्ध सरका बोर्ड/निगम या किसी उद्यम/कम्पनी, जि सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा वित्तीय नि प्रदान की जाती है, से आय/पेंशन/पारिक प्राप्त कर रही है? यदि हाँ, तो विवरण दें।	समें किसी भी वेश ⁄ सहायता	हां	नहीं
12.	आवेदक की सभी साधनों से वार्षिक आय (इसमें वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, पं मिलने वाला ब्याज आदि भी सम्मिलित है	ो०एफ० पर		

	में भी स्भीमनि रहा ०	शपथ पन्न यानी यान्त्री	र्ग ८० र
निवासी	मैं श्री/श्रीमति/कुo	पुत्र/पुत्रा/प(न	
अनुसार सरकार	ष्टापूर्वक घोषणा करता ⁄ करती हूं कि ऊप र ठीक एवं सत्य है। यदि उपरोक्त विवर तको मेरी सभी प्रकार की पेंशन ⁄ भत्ता ब धेकार होगा।	एण में से कोई भी तथ्य	अगर गलत पाया जाता है, जो
	न (संबंधित सरपंच/वार्ड पार्षद/राजपत्रित पद	अधिकारी द्वारा	आवेदक कें हस्ताक्षर⁄अंगूठे का निशान
(क)		विकलांग पेंशन	
तिथि		हस्ताक्षर खण्ड विकास एवं पंचा सचिव, नगर निगम/न नाम पद.	यत अधिकारी ⁄ गरिक सेवा केन्द्र (CSC)
नोटः-	पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय व को वापिस लौटायें।		
	जिला समाज	न कल्याण अधिकारी	
		स्वीकृत	अस्वीकृत
तिथि		हस्ताक्षर	

- यदि आवेदक अपंगता के कारण हाथ के अंगूठे/उंगली का निशान नहीं लगा सकता, तो उस अवस्था में पांव के अंगूठे का निशान लगाया जाये।
- यदि दोनों हाथ-पांव न होने के कारण, आवेदक हस्ताक्षर करने या अंगूठे/उगली का निशान लगाने में असमर्थ हो, तो उसका संरक्षक उसकी और से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा सकता है।

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद	क्रमांकदिनांक
श्री/श्रीमति/कुमारी	िपता / पत्नीिनवासी
	को विकलांग पेंशन
हेतु फार्म प्राप्त हुआ।	
	हस्ताक्षर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी सचिव, नगर निगम/नागरिक सेव केन्द्र (CSC)
	नाम पद

हरियाणा सरकार की लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना

प्रश्न1 लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना से क्या अभिप्राय है?

उतर यह योजना वृद्ध सम्मान भत्ता योजना की तरह उन परिवारों के लिए है, जिनमें सिर्फ लड़की/लड़कियां है।

प्रश्न2 भत्ता योजना के लिए कौन पात्र है?

- उतर इस योजना के अन्तर्गत भत्ता पाने के लिए, वह एकल माता या पिता अथवा माता-पिता, पात्र है जो:-
 - (1) हरियाणा का निवासी या हरियाणा सरकार में कार्यरत हो तथा;
 - (2) जिनके पास केवल लड़की या लड़कियां हो। कोई निःस्तान व्यक्ति अगर कोई लड़की गोद लेता है तो वह भी इस योजना का पात्र होगा तथा;
 - (3) जिसकी आयु 45 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ज्यादा नहीं हो तथा;
 - (4) जिसके परिवार की सालाना आय सभी स्त्रोतों को मिलाकर 2,00,000 रूपये से ज्यादा नहीं है।

प्रश्न3 क्या यह भत्ता माता या पिता की मृत्यु पर जीवित माता या पिता को मिलता है?

उतर अगर माता-पिता में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाती है तो अभिभावक को निर्धारित 45 साल की आयु तक भत्ता मिलता रहेगा।

प्रश्न4 सम्मान भत्ता के पात्र व्यक्ति को क्या राशि दी जाती है?

उतर इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति को 1200/- प्रति माह के हिसाब से सम्मान भत्ता राशि दी जाती है।

प्रश्न5 आवेदन किस कार्यलय में दिया जाता है?

- उतर (i) **ग्रामीण स्तर पर** खण्ड विकास एवं पंचायत कार्यालय में आवेदन दिया जायेगा।
 - (ii) शहर स्तर पर नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम के कार्यालय में आवेदन दिया जायेगा।

प्रश्न6 आवेदन की जांच किस द्वारा की जाती है?

- उतर (i) **ग्रामीण स्तर पर -** खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा की जाती है।
 - (ii) शहरी स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम द्वारा की जाती है।

प्रश्न7 भत्ता के आवदेन को किस अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है?

- उतर (i) ग्रामीण स्तर पर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी की संस्तुति (Recommendation) पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशन/भत्ता स्वीकृत किया जाता है।
 - (ii) शहर स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम की संस्तुति (Recommendation) पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पेंशन/भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रश्न8 भत्ता का भुगतान किस द्वारा किया जाता है?

- उतर (i) ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है।
 - (ii) शहर स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम कार्यालय द्वारा किया जाता है।



कम्पयूटर द्वारा जारी लाभपात्र पहचान कोड नं०.......सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा लाडली सामाजिक सुरक्षा भोग के लिए आवेदन-पत्र

फोटो

जिला	खण्ड /शहर	ग्राम /वार्ड	आवेदन तिथि	
1.	मां का नाम (अगर मां जीवित है, तो भत्ते की राशि मां के खाते में जायेगी)			
2.	प्रार्थी का नाम			•••••
3.	आवेदक के पिता/पति का नाम		•••••	• • • • • • • •
4.	आवेदक की जन्म तिथि/आयु		आयु	• • • • • • • •
5.	आवेदक के बच्चों का पूर्ण विवरण	T:	•••••	• • • • • • • •
	नाम	जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	पुरूष/ग	महिला
	1. 2. 3. 4. 5.			
6.	पूर्ण स्थाई पता			
7.	गरीबी रेखा सूचि संख्या			•••••
8.	क्या आवेदक हरियाणा राज्य का	अधिशासी है?	हाँ	नहीं
9.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति से	संबंधित है?	हाँ	नहीं
10.	क्या आवेदक पिछड़े वर्ग से संबंधि	ात है?	हाँ	नहीं
11.	परिवार की सभी साधनों से वार्षिव (इसमें वेंतन, पेंशन पारिवारिक पें: पर मिलने वाला ब्याज आदि भी	शन, पी०एफ०		

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

-2-

					शपथ				
	मैं	श्रीमति /	कु०		<u></u> 9	ाुत्री ∕पर्त्न	ो/श्री		
अनुसार गलत त	ञ्ठापूर्वक र ठीक तथ्य बत	एवं सत्य है गकर भत्ता	। मेरा को प्राप्त किया	ई पुत्र नहीं गया हो व	है या कोई ल	ड़का गोव मेरी स	६ नहीं लिया भी प्रकार व	 न और विश्वास हुआ है, यदि ^ह त्री पेंशन⁄भत्ता ब	मेरे
					अधिकारी द्वारा		आवेदक वे हस्ताक्षर⁄ः	र् अंगूठे का निशान	
नाम ——		पद		******					_
			ल	ाडली साम	ाजिक सुरक्षा	भत्ता			
तिथि					हस्ताक्षर खण्ड विकास । सचिव, नगर र्। नाम पद	एवं पंचा नेगम/ना 	यत अधिकारी ।गरिक सेवा	केन्द्र (CSC) 	
नोटः-	समाज		धिकारी के					आवेदन-पत्र जि कारण सहित प्रा	
			f	जेला समाज	ा कल्याण अधिव	ज्ञारी जारी			_
					स्वीकृत	Т	अस्वीकृत		
तिथि		••••			हस्ताक्ष	ार	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद	क्रमांक	• • • • • • • • •	दिनांक	
श्री/श्रीमति/कुमारी	पुत्री/प	त्नी	िनवासी	••••
		.से ि	देनांकको	लाडली
सामाजिक सुरक्षा भत्ता हेतु फार्म प्राप्त हु	आ ।			
			 जस एवं पंचायत अधिकारी	
			गर निगम/नागरिक सेव केन्द्र	(CSC)
		99		•

बौना भत्ता योजना

प्रश्न1 बौना सहायता योजना से क्या अभिप्राय है?

उतर बौना वर्ग समाज में सामाजिक व आर्थिक रूप से एक महरूम वर्ग है। इसलिए हरियाणा प्रान्त में बौनों की कमजोर आर्थिक दशा को मद्दे नजर रखते हुए उन्हें वित्तिय सहायता देने के लिए जो योजना बनाई गई है उसे बौना भत्ता योजना का नाम दिया गया है।

प्रश्न2 बौना की परिभाषा क्या है?

- उतर 1) वह पुरूष व्यक्ति जिसका कद 3 फुट 8 इंच या इससे कम हो।
 - 2) वह महिला जिसका कद 3 फुट 3 इंच या इससे कम हो।

प्रश्न3 बौना सहायता योजना के लिए कौन पात्र है?

उतर इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पात्र हैं:-

- 1) जो हरियाणा का निवासी है और पिछले एक वर्ष से प्रदेश में रह रहा है।
- 2) जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न है।
- 3) जिसके पास सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है।

प्रश्न4 बौना सहायता योजना के अन्तर्गत क्या राशि दी जाती है?

उतर बौना सहायता योजना के अन्तर्गत 1200/- रूपये 1.1.2015 के बाद के लाभपात्रों को बौना भत्ता दिया जाता है (या जो हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा)।

प्रश्न5 आवेदन किस कार्यलय में दिया जाता है?

उतर बौना सहायता योजना के अन्तर्गत आवदेन पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय में निःशुल्क दिया जाता है। आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।

प्रश्न6 आवेदन पत्र की जांच के किस द्वारा की जाती है व किस अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है?

उतर आवदेन पत्र की जाँच जिला समाज कल्याण कार्यालय के जाँचकर्ता द्वारा की जाती है। जिसके आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन को स्वीकृति प्रदान करता है।

प्रश्न7 सहायता का भुगतान किस द्वारा किया जाता है?

उतर सहायता का भुगतान पंचायती राज संस्था द्वारा किया जाता है या किसी और माध्यम से समय-समय पर सरकार द्वारा फैंसला किया जाता है।



कम्पयूटर द्वारा जारी लाभपात्र पहचान कोड नं०.....

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा बोना भी॥ के लिए आवेदन-पत्र

फोटो

जिला	खण्ड /शहर	ग्राम ∕ वार्ड	आवेदन तिथि	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1.	प्रार्थी का नाम			•••••
2.	पिता / पति का नाम			
3.	जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें)	आयु	
4.	आवेदक का उंचाई/कद (मैडिकल प्रमाण–पत्र संलग्न करें)			
5.	पूर्ण पता			
5.(क)	किस तिथि से			
6.	गरीबी रेखा सूचि संख्या			•••••
7.	क्या आवेदक हरियाणा राज्य का अधिवार	ती है?	हाँ	नहीं
		आवेदक	5 के हस्ताक्षर/अंगृ	्ठे का निशान
शपथ मैं, श्री/श्रीमित/कु०पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री निवासी सत्यिनिष्टापूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ठीक एवं सत्य है। यदि मेरे गलत तथ्य बताकर भत्ता प्राप्त किया गया हो तो, सरकार को मेरी सभी प्रकार की पेंशन/भत्ता बन्द करने व 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की गई राशि की वसूली का अधिकार होगा।				
	् (संबंधित सरपंच/वार्ड पार्षद/राजपत्रित पद	अधिकारी द्वारा	आवेदक के हस्ताक्षर∕अंगूठे	का निशान

जिला समाज कल्याण अधिकारी

स्व	ाकृत	

अस्वीकृत

तिथि	हस्ताक्षर
आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद	क्रमांकदिनांक
•	पुत्र /पिता /पत्नी निवासी से दिनांक को
विकलांग पेंशन हेतु फार्म प्राप्त हुआ।	
	हस्ताक्षरखण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी सचिव, नगर निगम/नागरिक सेव केन्द्र (CSC)
	नाम पद

किन्नर (हिजड़ा) भत्ता योजना

प्रश्न1 किन्नर (हिजड़ा) सहायता योजना से क्या अभिप्राय है?

उतर किन्नर (हिजड़ा) सहायता योजना से अभिप्राय है – वह योजना जिस द्वारा किन्नरों (हिजड़ों) की दशा को मद्दे नजर रखते हुए वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न2 किन्नर (हिजड़ा) सहायता योजना के लिए कौन पात्र है?

उतर इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पात्र होगा:-

- 1) जो हरियाणा प्रान्त का स्थाई निवासी हो या जो प्रार्थना पत्र के आवेदन के समय से पांच वर्ष से प्रदेश में रहता हो।
- 2) जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- 3) जिस के पास सिविल सर्जन का प्रमाण पत्र हो।
- 4) जो कभी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल ना रहा हो।

प्रश्न3 किन्नर (हिजड़ा) सहायता योजना के अन्तर्गत क्या राशि दी जाती है?

उतर किन्नर (हिजड़ा) सहायता योजना के अन्तर्गत 500 रूपये प्रतिमास प्रति लाभपात्र दी जाती है।

प्रश्न4 आवेदन किस कार्यलय में दिया जाता है?

उतर किन्नर (हिजड़ा) सहायता योजना के अन्तर्गत आवदेन पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय में दिया जाता है। आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है।

प्रश्न5 आवेदन पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा की जाती है?

उतर आवदेन पत्र की जाँच जिला समाज कल्याण कार्यालय के जाँचकर्ता द्वारा की जाती है।

प्रश्न6 सहायता के आवदेन को किस अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है?

उतर सहायता का आवदेन पत्र जाँचकर्ता की संस्तुति (Recommendation) पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

प्रश्न7 सहायता का भुगतान किस द्वारा किया जाता है?

उतर सहायता का भुगतान पंचायती राज संस्था द्वारा किया जाता है।



कम्पयूटर द्वारा जारी लाभपात्र पहचान कोड नं०....... सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा किन्नर भी॥ के लिए आवेदन-पत्र

_	
फा	ਟ

जिला	खण्ड /शहर	ग्राम ∕वार्ड	आवेदन तिथि	
1.	प्रार्थी का नाम			
2.	पिता ∕पति का नाम			
3.	जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें)	आयु	
4.	आवेदक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र (कापी संलग्न करें)			
5.	पता			
5.(क)	उपरोक्त पते पर किस तिथि से रहता है।			
6.	गरीबी रेखा सूचि संख्या			
7.	क्या आवेदक हरियाणा राज्य का अधिवा	सी है?	हाँ नहीं	
8.	क्या आवेदक कभी किसी अपराधिक गति में संलिप्त रहा है/या है? यदि हां, तो वि		हाँ नहीं	
		आवेद	क के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	
शपथ				
मैं, श्रीमित्/कुoपुत्री/पत्नी/श्री निवासी सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ठीक एवं सत्य है। यदि मेरे गलत तथ्य बताकर भत्ता प्राप्त किया गया हो तो, सरकार को मेरी सभी प्रकार की पेंशन/भत्ता बन्द करने व 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त किये गये भत्ते की राशि की वसूली का हक होगा।				
सत्यपा	न (संबंधित सरपंच/वार्ड पार्षद/राजपत्रित	अधिकारी द्वारा	आवेदक के हस्ताक्षर ⁄ अंगूठे का निशान	
नाम	पद			

जिला समाज कल्याण अधिकारी

स्वीकृत	अस्वीकृत
हस्ताक्षर	

क्रमांक.....दिनांक......

जिला समाज कल्याण अधिकारी

तिथि.....

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद

निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना

प्रश्न1 बेसहारा बच्चा सहायता योजना से क्या अभिप्राय है?

उतर यह वह योजना है जिसके अन्तर्गत अनाथ बच्चों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भत्ता दिया जाता है।

प्रश्न2 बेसहारा बच्चा सहायता योजना के लिए कौन पात्र है?

उतर इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बच्चे पात्र होगें:-

- 1) हरियाणा के निवासी हो तथा हरियाणा के अधिवासी।
- 2) जिनकी आयु 21 वर्ष से कम हो। या
- 3) जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो। या
- 4) जिनके पिता दो वर्ष से ज्यादा समय से लापता है। या
- 5) जिनके माता या पिता को सजा हो गई हो जो एक वर्ष से कम न हो। या
- 6) जिनके माता/पिता शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त हो। या
- 7) जिनके माता-पिता या अभिभावक की सालाना आय 2,00,000/- रूपये से कम हो।

प्रश्न3 बेसहारा बच्चा सहायता योजना के पात्र बच्चे को क्या राशि दी जाती है?

उतर बेसहारा बच्चा सहायता योजना के पात्र बच्चे को 500/- रूपये प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। यह सहायता परिवार में दो बच्चों तक ही सीमित है।

प्रश्न4 आवेदन किस कार्यलय में दिया जाता है?

उतर ग्रामीण स्तर पर पात्र बच्चा अपना पत्र खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में दे सकता है।

शहर स्तर पर पात्र बच्चा अपना प्रार्थना पत्र नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम के कार्यालय में दे सकता है।

प्रश्न5 आवेदन की जांच किस अधिकारी द्वारा की जाती है?

उतर ग्रामीण स्तर के बच्चों के आवेदन की जाँच खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा की जाती है।

शहरी स्तर के बच्चों के आवेदन की जाँच सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम द्वारा की जाती है।

प्रश्न6 सहायता के आवदेन को किस अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है?

- उतर (i) ग्रामीण स्तर के पात्र बच्चों का आवदेन खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी की संस्तुति (Recommendation) पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत किया जाता है।
 - (ii) शहर स्तर के पात्र बच्चों की वित्तीय सहायता सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम की संस्तुति (Recommendation) पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

प्रश्न7 सहायता का भुगतान किस द्वारा किया जाता है?

- उतर (i) सहायता का भुगतान ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतो द्वारा किया जाता है।
 - (ii) सहायता का भुगतान शहर स्तर पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद और नगर निगम कार्यालय द्वारा किया जाता है।



कम्पयूटर द्वारा जारी लाभपात्र पहचान कोड नं०.....

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता हेतु आवेदन-पत्र

बच्चे की फोटो

बच्चे की फोटो फोटो

जिला	खण्ड /शहरग	ाम ∕वार्ड आं	वेदन तिथि
1.	बच्चों का नाम व जन्म तिथि (जन्म प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	1जन्म 2जन्म	
2.	संरक्षक का नाम		
3.	संरक्षक का बच्चों से रिश्ता		
4.	संरक्षक का पूर्ण स्थाई पता		
5.	बेसहारा का कारण		
6.	बच्चों के बेसहारा होने का कारण (यदि जगह कम है, तो अलग पन्ने पर र्	 वेस्तृत विवरण दें)	
7.	क्या संरक्षक गरीबी रेखा सूचि में सम्मिलि हां तो गरीबी रेखा संख्या	ात है, यदि	
8.	क्या आवेदक हरियाणा राज्य का अधिवास	ते है?	हाँ नहीं
9.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति से संबंधित	है?	हाँ नहीं
10.	क्या आवेदक पिछड़े वर्ग से संबंधित है?	[हाँ नहीं
11.	संरक्षक का पहचान-पत्र (कॉपी संलग्न क	₹)	
12.	क्या आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी/स्था निकाय/बोर्ड/निगम/ या किसी उद्यम में कर रहा हैं/सेवानिवृत हुआ है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण दीजिए।	नौकरी	
13.	क्या आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी/स्था बोर्ड/निगम/संगठन/कम्पनी, जिसमें किर्स स्थानीय निकाय द्वारा वित्तीय निवेश/सहाय	ो भी सरकार /	हाँ नहीं

14. संरक्षक की सभी साधनों से वार्षिक आय (इसमें वेतन सभी प्रकार की पेंशन पारिवारिक पेंशन, पी०एफ० पर मिलने वाला ब्याज आदि शामिल है)			
आवेदक के हस्ताक्षर∕अंगूठे का निश	ान		
शपथ मैं, श्रीमति/कु०पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री			
निवासी	 के जर		
सत्यपान (संबंधित सरपंच/वार्ड पार्षद/राजपत्रित अधिकारी द्वारा आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान			
नामपद	_		
तिथि हस्ताक्षर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ सचिव, नगर निगम/नागरिक सेवा केन्द्र (CSC) नाम पद			
नोटः- पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रार्थी को नीचे रसीद देवें एवं आवेदन-पत्र जि समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को अग्रेषित करें अन्यथा आवेदन-पत्र कारण सहित प्र को वापिस लौटायें।			
जिला समाज कल्याण अधिकारी			
स्वीकृत अस्वीकृत			
तिथि हस्ताक्षर			

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद	क्रमांकदिनांक	••
श्री/श्रीमती/कुमारी	पुत्र/पिता/पत्नी निवासी	•••
	से दिनांक को बौना भ	ात्ता
हेतु फार्म प्राप्त हुआ।		
	हस्ताक्षर	
	जिला समाज कल्याण अधिकारी	

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित श्रम कल्याण योजनाएं

प्रश्न1 हरियाणा के कारखानों में काम करने वाले कामगारों के लिए मुख्य कल्याणकारी योजनाऐं क्या है?

- उतर हरियाणा के कारखानों में काम करने वाले कामगारों के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाऐं हैं:-
 - 1) कामगारों की लड़िकयों की शादी के उत्सव पर 21000/- रू० की राशि कन्यादान के रूप में प्रदान की जाती है।
 - 2) कामगारों की सेवा के दौरान दुर्घटना में अपंगता होने पर रू० 10000/-से 15000/- तक की सहायता के रूप में नकद राशि प्रदान की जाती है।
 - 3) मृतक औद्योगिक कामगारों की विधवाओं /आश्रितों को रू० 50000/- की आर्थिक मदद व दाहसंस्कार के लिए रू० 5000/- की राशि प्रदान की जाती है।

प्रश्न2 हरियाणा के कारखानों में काम करने वाले कामगारों के लिए स्वास्थ्य संबंधित क्या योजनाएं हैं?

उतर ऐसी संस्था में कार्यरत श्रमिक जो ई०एस०आई० के तहत कवर नहीं होते को किसी दुर्घटना में अपंग होने पर साकेत अस्पताल, चण्डीमंदीर, पंचकुला की दरों पर कृत्रम अंग उपल्बध करवाये जाते हैं व उन श्रमिकों को जो किसी भी कारण से श्रवण शक्ति खो चुके हैं को श्रवण मशीन उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त ट्राई साईकल, डेन्टल केयर हेतू 1200 रू० तक एंव नजर के चश्मों के लिए 500 रू० तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न3 हरियाणा के कारखानों में काम करने वाले कामगारों के बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं?

- उतर 1) कामगारों के बच्चों को 8वीं पास करने के पश्चात् स्कूल में आगे पढ़ाई जारी रखने पर 9वीं, 10वीं, +1, एवं +2 तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं तक व विभिन्न कोर्सो में 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने पर कम-से-कम 2000 व अधिक से अधिक 12000 रू० की राशि छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाती है।
 - 2) 5000 रू० तक मासिक वेतन पाने वाले श्रिमकों की लड़िकयों के लिए पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू 2000 रू० की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3) औद्योगिक श्रिमकों के बच्चों व परिवार के सदस्यों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आचार बनाने, जैम बनाने, मोमबत्ती बनाने तथा मेंहदी लगाने आदि का प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा राज्य में फरीदाबाद, धारूहेड़ा, बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, चरखी दादरी (भिवानी) और पंचकुला में दस श्रम कल्याण केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

प्रश्न4 हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार योजना क्या है?

उतर मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत मेहनती कार्यकुशल एवं वफादार श्रमिकों (पुरूष या स्त्री) को कम से कम 20000 रू० व अधिक से अधिक एक लाख रू० तक की राशि के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

प्रश्न5 हरियाणा में श्रमिक को कार्य स्थल तक आने जाने की क्या सुविधा उपलब्ध है?

उतर श्रमिक को जिनकी मासिक आय 5000 रू० तक है को 2500/- रू० तक की नयी साईकल बोर्ड की तरफ से खरीद कर उपलब्ध करवाई जाती है।

प्रश्न6 क्या हरियाणा में श्रमिक को भ्रमण भत्ता मिलता है?

उतर हाँ, श्रिमिक को उनके परिवार सिहत ज्ञान एवं आनन्द भ्रमण के लिए 50 पैसे प्रित िक०मी० प्रित या भारतीय रेल का साधारण रिजर्वेंशन का िकराया अदा किया जाता है व धार्मिक स्थानों के भ्रमण पर उक्त के अतिरिक्त 50 रू० प्रित श्रमिक को प्रित दिन या अधिकतम 250 रू० तक प्रित दिन के हिसाब से ठहरने व खाने हेतू उपलब्ध करवाये जाते हैं।

प्रश्न7 हरियाणा के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए कौन पात्र है?

उतर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ के लिए वही श्रमिक पात्र है जिनका अंशदान पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत बोर्ड में प्राप्त होता है। साईकल तथा लड़िकयों को वर्दी व किताबें आदि देने वाली दो योजनाओं में 5000 रू० मासिक वेतन पाने वाले तथा शेष योजनाओं में 15000 रू० तक मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को बोर्ड की अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।

हरियाणा में भवन एवं अन्य निर्माणकारियों में लगे कामगारों व मजदूरों को भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा क्या सहायता दी जाती है।

- प्रश्न1 हरियाणा में भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे कामगारों व मजदूरों को भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सहायता किस प्रकार दी जाती है?
- उतर हरियाणा में भवन निर्माण व मजदूरों को बोर्ड द्वारा दी जानी वाली सुविधाएें तब मिलती हैं जब कामगार व मजदूर बोर्ड द्वारा पूर्ण जीवनकाल के लिए निर्धारित फीस 25 रू० और 5 रू० का प्रति माह सहयोग दिया जाता है।
- प्रश्न2 हरियाणा में कामगार की बेटी की शादी पर क्या राशि दी जाती है?
- उतर हरियाणा में कामगार की बेटी की शादी पर 21,000/- रू० की नकद राशि दी जाती है।
- प्रश्न3 हरियाणा में कामगार व उसके परिवार के ईलाज के लिए क्या मद्द की जाती है?
- उतर हरियाणा में कामगार व उसके परिवार को वर्ष में तीस हजार रू० मुफ्त ईलाज तथा संक्रात्मक रोगों के ईलाज पर एक लाख रू० तक का भुगतान किया जाता है।
- प्रश्न4 हरियाणा में कामगार मजदूरों को मकान की खरीद व निर्माण के लिए क्या दिया जाता है?
- उतर हरियाणा में कामगार मजदूरों को मकान की खरीद व निर्माण हेतू एक लाख रू० साधारण किस्तों पर मिल सकते है।
- प्रश्न5 हरियाणा में कामगार के बच्चों को छात्रवृति के रूप में सालना राशि कितनी मिल सकती है?
- उतर हरियाणा में कामगार के बच्चों को छात्रवृति शिक्षा हेतू 12,500 तक की राशि मिल सकती है।
- प्रश्न6 हरियाणा में औजारों की खरीद के लिए कितना __ण मिलता है?
- उतर हरियाणा में औजारों की खरीद के लिए 5,000 रूपये तक का ऋण मिलता है।

प्रश्न7 हरियाणा में स्थाई तौर पर अपंग होने पर कितना भे।। दिया जाता है ?

उतर हरियाणा में कामगार को 30,000 रू० की अनुग्रह राशि के अतिरिक्त अद्धरंग, कैन्सर, टी.वी., दुर्घटना आदि होने पर 300 रू० प्रति माह मिलगें।

प्रश्न8 हरियाणा में कामगार की मृत्यू पर परिवार को क्या सहायता मिलती है?

उतर हरियाणा में कामगार की प्राकृतिक मृत्यु पर उसके उतराधिकारी/आश्रित को 75,000 रू० और कार्य के दौरान मृत्यु होने पर एक लाख पच्चीस हजार रू० दिये जाते हैं।

प्रश्न9 हरियाणा में कामगार को चिकित्सया सहायता क्या दी जाती है?

उतर हरियाणा में कामगार को हस्पताल में बिमारी के दौरान दाखिल होने पर पहले पांच दिनों के लिए 200 रू० दिये जाते हैं और अतिरिक्त दिनों के लिए 20 रू० प्रति दिन और ज्यादा से ज्यादा एक हजार रू० दिये जाते हैं।

प्रश्न10 क्या हरियाणा में कामगार की मृत्यु पर परिवारिक पेंशन मिलती है?

उतर हाँ! हरियाणा में कामगार की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का 50% पेंशन भोगी के उतराधिकारी को मिलता है।

प्रश्न11 हरियाणा में कामगार की मृत्यु पर अंतिम संस्कार हेतू क्या दिया जाता है?

उतर हरियाणा में कामगार की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रूपये दिये जाते है।

प्रश्न12 हरियाणा में क्या 60 वर्ष की आयु उपरान्त प्रति माह पेंशन मिलती है?

उतर हाँ! हरियाणा में 60 वर्ष की आयु उपरान्त 500 रू० प्रति माह पेंशन मिलती है।

राशन कार्ड

प्रश्न1 राशन क्या है?

उतर राशन का अभिप्राय है-पी.डी.एस. वस्तुएं गेहूँ, चीनी, मिट्टि का तेल इत्यादि।

प्रश्न2 राशन कार्ड क्या है?

उतर राशन कार्ड खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया गया वह कार्ड है जिसका प्रयोग उचित मूल्यों की दुकानों से (राशन डिप्पो) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर राशन व वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रतिमास किया जाता है।

प्रश्न3 राशन कार्ड बनवाने का पात्र कौन है?

उतर राज्य में स्थाई रूप से रहने वाला व्यक्ति राशन कार्ड बनवाने का पात्र है।

प्रश्न4 राशन कार्ड कैसे बनवाया जाता है?

उतर राशन कार्ड सरकार द्वारा निर्धारित डी–I फार्म भरकर बनता है, जिसमें परिवार का पूरा विवरण होता है। राशन कार्ड से संबन्धित फार्मो को विभाग की वैबसाईट haryanafood.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है।

प्रश्न5 क्या राशन कार्ड में नया नाम शामिल किया जा सकता है?

उतर हाँ, राशन कार्ड में नया नाम निर्धारित फार्म भरकर सम्मलित किया जा सकता है।

प्रश्न6 क्या राशन कार्ड से पुराना नाम हटाया जा सकता है?

उतर हाँ, राशन कार्ड से सरकार द्वारा निर्धारित फार्म भरकर पुराना नाम हटाया जा सकता है।

प्रश्न7 क्या राशन कार्ड में निवास स्थान का पता बदला जा सकता है?

उतर राशन कार्ड में निवास स्थान का पता निर्धारित फार्म भरकर बदला जा सकता है।

प्रश्न8 क्या राशन कार्ड समर्पण करने उपरान्त दूसरे स्थान पर नया राशन कार्ड बन सकता है?

उतर निरस्ती प्रमाण पत्र दिखाने पर नया राशन कार्ड बन सकता है।

प्रश्न9 राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकार द्वारा निधारित फीस क्या है?

उतर राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकार द्वारा 10 रूपये की फीस निर्धारित की गई $\overline{\mathfrak{k}}$ ।

प्रश्न10 क्या राशन डिप्पू बदला जा सकता है?

उतर हाँ! राशन कार्ड धारक अपना राशन डिप्पू बदल सकता है।

प्रश्न11 राशन कार्ड कौन बनाता है?

उतर राशन कार्ड खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा बनाया जाता है।

राशन कार्ड से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए समय सीमा

क्रम संख्या	विषय काम	निर्धारित समय	जिस प्राधिकरण को शिकायत की जा सकती है।
1.	नये राशन कार्ड बनवाने के निर्धारित फार्म डी-I प्राप्त होने पर जारी करने का समय	15 दिन	जिला खाद्य एवं सप्लाई नियंत्रक
2.	राशन कार्ड निरस्ती करने उपरान्त नया राशन कार्ड जारी करने का समय	7 दिन	जिला खाद्य एवं सप्लाई नियंत्रक
3.	राशन कार्ड की दूसरी प्रति जारी करवाने का समय	7 दिन	जिला खाद्य एवं सप्लाई नियंत्रक
4.	परिवार के सदस्य का नाम शामिल व हटवाने पर जारी का समय	7 दिन	जिला खाद्य एवं सप्लाई नियंत्रक
5.	उसी क्षेत्राधिकार में पता बदलवाने पर जारी का समय	7 दिन	जिला खाद्य एवं सप्लाई नियंत्रक
6.	राशन कार्ड डिप्पू व पता बदलवाने पर जारी का समय	7 दिन	जिला खाद्य एवं सप्लाई नियंत्रक
7.	निरस्ती प्रमाण पत्र जारी करवाने का समय	3 दिन	जिला खाद्य एवं सप्लाई नियंत्रक

FORM - 1

खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा फार्म डी – 1

नए/डुप्लीकेट/निरस्तीकरण के आधार पर राशन कार्ड के लिए

		. •								
			आ	वेदन पत्र			सत्यापित फोटो			
	पूरा विवरण स्पष्ट अक्षरों में भरें									
1.	आवेदव	क्र का नाम					चिपकाएं			
2.	माता /	'पिता / पति का नाम								
3.	घर क	ज पूरा पताः मकान न	Ť	वार्ड	नं	सै	क्टर			
	मोहल्ल	ग ∕ गली		गांव / इ	शहर	फो	न नं			
4.	व्यवसा	य एवं पद पता सहित								
5.	गैस व	ज्नैक्शन है या नहीं		यदि	है तो उपभो	क्ता व्र	क०			
	सिलैण	डरों की सख्या		गैस एजैन्सी	का नाम					
6.	क्या ३	गवेदक या उसके परिव	ार क	ा कोई सदस्य	आयकरदाता	है या	नहीं			
	यदि	है तो उसका र्	वेवरण	ाः नाम		व ्यवस्	गयपैन			
	नं०									
7.	सभी र	न्त्रोतों से परिवार की वा	र्षिक	आय						
8.	परिवार	र के सदस्यों का पूर्ण वि	वरणः							
	क्र.सं.	नाम	आयु	पिता/पति का			/राज्य जहां से आए			
				नाम	साथ संबंध	हें	, आने कि तिथि			
निशि					भावेत्स्य से न	र तत्वाधार	:/निशान अंगूठा			
ાલાવ		•••		घोषणा	जाप५५७ ५७ ६	रपादार	ः/ ।गरामि अर्गूठा			
*		m 		वाषणा						
	`	गा करता हूँ कि: इत एर टी गई सन्चना स	<u>~~ ~</u>							
1	ud III	ज पण दा गद अनेना उ	וכו כ	1						

- 1. पूर्व पृष्ठ पर दी गई सूचना सही है।
- 2. मैं भारत का नागरिक हूँ।
- 3. कालम 8 में शामिल सदस्यों में से किसी भी सदस्य के नाम पूरे भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर कोई राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और न ही किसी अन्य राशन कार्ड में यह नाम दर्ज है। न ही कोई सदस्य सेना से राशन लेता है।
- 4. पूर्व पृष्ठ पर दिए गए पते पर मैं वर्ष से रहता हूँ।
- 5. इससे पूर्व पांच वर्षों में निम्नलिखित स्थानों पर रहा हूँ -

	पता			पता
0	पता		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	या अपने परिवार के किसी सदस्य व
6.				भी ब्यान करता हूँ कि मेरे द्वारा र
				ε.
		•		ं है। गलत ब्यानी के कारण दोषी पा
	जाने पर मैं दण्ड	जाय ।नयमा क व	तहत सजा क	का भागा हूंगा।
				शपथ कर्ता, आवेदक के हस्ताक्षर तिथि
सत्या	पित करने वाले व्यक्ति	ा के		
हस्ता	क्षर, पद, मोहर तथा वि	तेथि		
	-,			को गलत रूप से सत्यापित करने वा
	_	ाश्यक वस्तु ३	मधिनियम 1955	5 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही व
जाए		, , ,	~ ^ \	2 (2)
7.	डुप्लीकेट राशन		•	
				नंरिजस्ट्रेशन नं
				दिया गया है। जो कि श्रेण
			ो गुम हो गय	या है यदि मेरे डिपो पर आया तो
काय	लिय में जमा करवा	दूंगा।		
				डिपोधारक के हस्ताक्षर व तिर्व
	 		गर्यालय प्रयोग	क ।लए री की सत्यापित रिपोर्ट
भारत				रा का सत्यापत रिपाट गी श्री / श्रीमति
				। आवेदन पत्र में दिये गये विवरण
				। आपदम पत्र म । दय गय । पपरण हा विवरण निम्न अनुसार है—
त्तरा व्यस्ट		व परा पर रह र ट्ये		<u> </u>
यस्य	<u>p</u> <u>q</u>	<u>cq</u>	<u>খিখু</u>	कुल सदस्य
			या	
परिव	ार फार्म में दिये गरे	ये पते पर नहीं	रहता।	
				निरीक्षक के हस्ताक्षर तथा तिर्व
जारी	किये गये राशन व	गर्ड की संख्या		वार्ड नं मकान
नं	डी–4 नं	यूनित	J	श्रेणी
राशन	कार्ड बनाने वाले	अधिकारी व	के हस्ताक्षर जिसन	ाने वितरण कार्ड जारी करने
	ारी के हस्ताक्षर		–4 रजिस्टर में	वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
तिथि	सहित	नाम दर्ज रि	केया है।	तिथि सहित
		तिथि सहित		
राशन	न कार्ड प्राप्त करने	वाले के हस्ता&	र तिथि सहित	T

खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा फार्म डी – 1

निरस्तीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन पत्र

				स्पष्ट अक्षरों मे		सत्यापित फोटो				
		रूरा <i>व</i>	1434	रपन्ट जदारा न	1 11	चिपकाएं				
1.	आवेद	क का नाम								
2.	माता / पिता / पति का नाम									
3.	घर का पूरा पताः मकान नं वार्ड नं सैक्टर									
		ला / गली								
4.		ाय एवं पद पता सहित								
5.		कनैक्शन है या नहीं								
		ग्डरों की सख्या								
6.		आवेदक या उसके परिव								
	यदि है तो उसका विवरणः नाम व्यवसाय कुल वार्षिक									
		पैन नं				9				
7.	सभी	स्त्रोतों से परिवार की व	ार्षिक	आय						
8.	परिवा	र के सदस्यों का पूर्ण वि	वेवरणः							
	क्र.सं.	नाम	आयु	पिता/पति का		स्थान / राज्य जहां से आए				
				नाम	साथ संबंध	हैं, आने कि तिथि				
	ধলান	मूल निरीस्तीकरण प्रमाण प	43							
तिथि					आवेदक के	हस्ताक्षर / निशान अंगूठा				
				घोषणा						
मैं एत	द घोष	णा करता हूँ किः								
1.	`	ष्ठ पर दी गई सूचना र	नहीं है	1						
••	٧, ۶			•	आवेदक के	हस्ताक्षर तिथि सहित				
सत्यापि	ात करने	वाले व्यक्ति के								
हस्ताक्ष	र, पद,	मोहर तथा तिथि								
	•		,	,						
		्देने वाले आवेदक तथ								
		वेरूद्ध आवश्यक वस्तु	अधि	नेयम 1955 व	के अन्तर्गत	कानूनी कार्यवाही की				
जाएर्ग	1									

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

निरीक्षण करने वाले कर्मचारी / अधिकारी की सत्यापित रिपोर्ट						
आज दिनांक को आवेदक के पड़ोसी श्री / श्रीमति						
निवासी मकान नं	से संपर्क किया गया। आवेदन प	त्र में दिये गये विवरण				
सही पाये गए। दिये गये पते	। पर रह रहे व्यक्तियों का विवरण नि	ोम्न अनुसार है—				
व्यस्क बच्चे	<u>খিখু</u>	कुल सदस्य				
	या					
परिवार फार्म में दिये गये पते	ो पर नहीं रहता।					
	f	नेरीक्षक के हस्ताक्षर तथा तिथि				
जारी किये गये राशन कार्ड	की संख्या वार्ड नं	मकान				
नं डी-4 नं	यूनिट श्रेणी					
राशन कार्ड बनाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर जिसने वितरण कार्ड जारी करने						
कर्मचारी के हस्ताक्षर	इन्द्राज डी–4 रजिस्टर में	वाले अधिकारी के				
तिथि सहित	नाम दर्ज किया है।	हस्ताक्षर				
	तिथि सहित	तिथि सहित				
राशन कार्ड प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर तिथि सहित						

खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा फार्म डी -1A

राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र

टिप्पणी – आवेदक कृप्या अन्तिम पृष्ठ पर अनुदेशों को देखें।

달 1. 2. 3. 4. 5. 6.	; ; ;	ा उचित को । ✓ । करें । ि नरस्तीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर नया राशन कार्ड डुप्लीकेट राशन कार्ड राशन कार्ड में अतिरिक्त सदस्य का नाम जोड़ने / काटने हेतु राशन कार्ड में पता बदलवाने हेतु राशन कार्ड में पता व डिपोधारक का परिवर्तन करने हेतु निरस्तीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु									
			1	पूरा विवरण	स्पष्ट अक्षरे	<u>ं में भरें</u>					
1	_ ;	आवेदक का नाम									
2		माता / पिता / पति	ने का न	नाम							
3		घर का पूरा पत	:- म	कान नं	वार	र्ड नं	. सैक्टर				
		गांव									
4		स्थाई डाक पताः	:- म	क्रान नं	वार	ई नं	. सैक्टर				
	-	गांव	का	लोनी / मोहर	ल्ला / गली	नं					
5		बदले हुए स्थाई	पते	का विवरण	:- मकान	नं व	ग्रार्ड नं				
	-	सैक्टर	. गांव		कालोर्न	ो / मोहल्ला / गर्ल	ो नं				
6	. ;	व्यवसाय एवं पद	पता र	सहित							
7		गैस कनैक्शन है	या नह	हों <u>.</u>							
8		क्या आवेदक या	उसके	परिवार क	ा कोई सदर	स्य आयकरदाता	है या नहीं				
	-	यदि आयकरदाता	है, त	ो उसका वि	वरणः—						
	-	नाम		व्यव	साय						
	-	कुल वार्षिक आय									
9		सभी स्त्रोतों से प	रिवार	की वार्षिक	आय						
1	0.	परिवार के सदस्य	ों का	पूर्ण विवरणः							
	क्र.सं.	नाम	आयु			· ·	कालम "ख" में अतिरित				
				का नाम	साथ संबंध	से आए हैं, आने कि तिथि	व्यक्ति का नाम जो कटवाया जाना है अथवा				
						।प्राप्ताज	शामिल किया जाना है।				
	क	ख	ग	घ	ड.	ਬ	छ				
	1										
	2										
	3										

4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

\triangle	2															
ति	ાથ	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

आवेदक के हस्ताक्षर / निशान अंगूठा

घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता हूँ कि:-

- 1. पूर्व पृष्ठ पर दी गई सूचना सही है।
- 2. पूर्व पृष्ठ के कालम 10 में शामिल सदस्यों में किसी भी सदस्य के नाम पूरे भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर कोई राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और न ही किसी अन्य के राशन कार्ड में यह नाम दर्ज किये हुए हैं।
- 3. पूर्व पृष्ठ पर कालम 10 में सदस्य सुरक्षा सेना के निर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं को जारी नहीं करवाते और न ही इन सदस्यों का नाम भारत के किसी भी उपभोग कार्ड में दर्ज है।
- 4. पूर्व पृष्ठ में वर्णित कोई भी सदस्य किसी भी होस्टल / बोर्डिंग हाउस से नियमित भोजन नहीं लेता है और न ही उनके नाम होस्टल / बोर्डिंग हाउस द्वारा बनवाए गए राशन कार्ड में दर्ज है।
- 5. मेरे अथवा मेरे परिवार के सदस्य श्री/श्रीमती के पास गैस कनैक्शन नं एक या दो सिलेण्डर का है।

या

- 6. मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास गैस कनैक्शन नहीं है।
- 7. मैं अपने सभी परिवार के सदस्यों सिहत मूलतः वर्णित मकान में रहता हूँ।
- जिस राशन कार्ड के तहत / डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा रहा है तो वह वास्तव में मास 20... के दौरान गुम हुआ है यदि वह राशन

- कार्ड मिल गया तो उसे खादय एवं पूर्ति विभाग के कार्यालय में जमा करवा दिया जाएगा तथा किसी भी तरह प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।
- 9. पूर्व पृष्ठ के कालम 10 में वर्णित सदस्य अभी भी दिये गये पते पर रहते हैं तथा सभी नाम गुम हुये कार्ड पर आधारित है।
- 10. पूर्व पृष्ठ के कालम 10 में वर्णित सदस्यों के ग्रुप फोटो की दो पासपोर्ट आकार की प्रतियाँ संलग्न हैं।

सत्यापित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं पद, मोहर तथा तिथि सहित। आवेदक के हस्ताक्षर-निशान अंगूठा

- 1 गलत सूचना देने वाले आवेदक तथा आवेदन पत्र को गलत रूप से सत्यापित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- 2. अगर उपरोत में से कोई सूचना लागू नहीं होती तो उसे काट दें।

(आवेदक के लिए अनुदेश / हिदायतें)

- 1. अपूर्ण आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- 2. आवेदन पत्र को सुपाठय लिखावट में शुद्ध रूप से भरा जाए।
- 3. नये/डुप्लीकेट राशन कार्ड के बदलवाने/अतिरिक्त यूनिट को कटवाने एवं पता बदलवाने के संबंध में प्रष्ठ—1 के कालम—10 में दिए गए सदस्यों के ग्रुप फोटो की दो प्रतियां संलग्न की जाएं।
- 4. दूसरे प्रांत / नगर से आया हुआ आवेदक नये राशन कार्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 5. यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी है तो वा आवेदत पत्र कार्यालय के अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाएं। यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वह शहर के किसी राजपत्रित अधिकारी या सरकार द्वारा मनोनीत अन्य व्यक्ति तथा नगर पार्षद, पंच, सरपंच, लंबरदार आदि से आवेदन पत्र सत्यापित करवाएं।

बुप्लीकेट राशनकार्ड / पता बदलवाने / जमा करवाये गए राशन कार्ड के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए डिपोधारक की सत्यापित / रद्द रिपोर्ट।

-		, ,			
कार्ड धारक	तिथि जिस	राशन कार्ड	यूनिट	मकान / वार्ड	उचित मूल्य
का नाम	दिन अंतिम	की अंतिम		संख्या	दुकान की
	पूर्ति की गई	पंजीकरण			प्राधिकृत
	है	संख्या			संख्या
1	2	3	4	5	6

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उपरोक्त आवेदक के राशन कार्ड को अपने पंजीकृत रिजस्टर से रद्द कर दिया है। रद्द राशन कार्ड के अन्तर्गत राशन मात्रा जारी नहीं की जाएगी और यदि इसी प्रकार का कार्ड डिपो में प्रस्तुत किया जाता है तो मैं उसे खाद्य एवं पूर्ति विभाग के सम्बन्धित कार्यालय में जमा करवा दूंगा।

> डिपो होल्डर के हस्ताक्षर <u>दिनांक व मोहर सहित</u>

अधिकारी के हस्ताक्षर

डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए डी-4 रिजस्टर के रखरखाव के लिए नियुक्त कमचारी की सत्यापित रिपोर्ट

राजानरा रिनाट	
डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करने के लिए उपरोक्त विवरण	डुप्लीकेट राशन कार्ड की जुर्मान
क ी स	
कार्ड संख्या, मकान नं सहित सत्यापित किया गया तथा	संख्या दिनांक
वह डी–4 रजिस्टर में दर्ज के अनुरूप पाया गया।	वसूल की गई फीस

अधिकारी के हस्ताक्षर

(केवल व	भायोलय प्रयोग के लिये	– आवेदक द्वारा न भ	रा जाये)
निरीक्षप	ग करने वाले कर्मचारी /	'अधिकारी की सत्यापित	रिपोर्ट
आज दिनांक	को आवेदक के	पड़ोसी श्री/श्रीमति	
निवासी मकान नं	से संपर्क किय	॥ गया। आवेदन पत्र में	दिये गये विवरण
सही पाये गए। दिये ग	ाये पते पर रह रहे व्यवि	तियों का विवरण निम्न	अनुसार है–
व्यस्क	बच्चे	গিগু	जोड़
जिन कारणों से सत्यार्ग	पेत नहीं किया गया		
1.			
2			
3.			
			हस्ताक्षर दिनांक मोहर
		एवं नाम सि	
		वाड / मकान	
., _		अतिरिक्त नाम कटवाने /	
राशन कांड जमा करव	ान का इन्द्राज डा—4 र	जिस्टर में किया गया है	· I
राशन कार्ड बनाने वाले	अधिकारी व	के हस्ताक्षर जिसने	वितरण कार्ड जारी
करने कर्मचारी के हस्ताक्ष		–4 रजिस्टर में	वाले अधिकारी के
	नाम दर्ज ी	केया है।	हस्ताक्षर
		•	
राशन कार्ड प्राप्त करने	वाले के हस्ताक्षर तिथि	<u>प्रसित</u>	
		रसीद	
डी–2 का क्रमांक		दिनांक	
		मकान	
	वार्ड / सैक्टर	गांव / कालोनी	
बुलाने की तिथि		·	
-			

आवेदक पत्र प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर नाम पद सहित

मूल्य सेवा में सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी / निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति विषयः राशन कार्ड में अतिरिक्त नाम दर्ज करने के लिए आवेद	अतिरिक्त सदस्यों सहित सत्यापित ग्रुप फोटो चिपकाएं इन पत्र
श्रीमान जी,	त सदस्यों के नाम हेत ग्रुप फोटो की
सदस्य का नाम आयु आवेदक के साथ संबंध	कारण
जन्म प्रमाण पत्र / मूल निरस्तीकरण प्रमाण पत्र साथ संलग्न है।	
आवदक क व पता तिश् सत्यापित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, पद, मोहर तथा तिथि	ा नाम व हस्ताक्षर ये सहित
केवल कार्यालय प्रयोग के लिए राशन कार्ड नं यूनिट डी–4 नं रि श्रेणी आवश्यक इन्द्राज डी–4 व राशन कार्ड में कर दिया	
निरीक्षक के	तिथि सहित हस्ताक्षर

मूल राशन कार्ड प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर

मूल्य सेवा में				
	सहायक खाद्य एवं पूर्ति अ			
	निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति			
विषयः	राशन कार्ड में पता बदलवा	ने के लिए आवे	दन पत्र।	
श्रीमान जी,				
	निवेदन है कि मैंने अपना ि	नेवास स्थान बव	दल लिया है।	मैं अब निम्नलिखित
पते पर रहता	हूँ। इसलिये मेरे मूल राशन	कार्ड नं	यूनिट .	डी-4
नं	श्रेणी में नये पते	। का इन्द्राज वि	र्मया जाये।	
	गली / मोहल्ला / का		_	गांव / शहर
	\	C	,	
सलग्नः नये प	ाते का सबूत/मूल राशन क	गर्ड	आवेदक का	नाम व हस्ताक्षर
	ने वाले व्यक्ति के			
हस्ताक्षर, पद,	मोहर तथा तिथि			
वार्द्ध परिवर्त	ान/डिपो धारक के कार्य क्षे	त्र बदलने की ी	स्थिति में द्विपे	भारक की रिपोर्ट।
	नं यूनिटर			
	यह कार्ड मैंने अपने रजि			
71°II	पर पत्र गम जनम राज	(XXIII (IOI)C)	र रा पगट ।पर	11 6 1
			डिपो	धारक के हस्ताक्षर व
			मोहर	तिथि सहित।
			-	
	केवल कार्य	लिय प्रयोग के	<u>लिये</u>	
राशन कार्ड न	iं यूनिट	डी-4 नं.	रजि	स्ट्रेशन नं
श्रेणी	आवश्यक इन्द्राज डी–4	व राशन कार्ड ग	में कर दिया ग	ाया है।
				<u> </u>
			।नराक्षक क	तिथि सहित हस्ताक्षर
मूल राशन का	र्ड प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर			

मूल्य सेवा में						
	`	एवं पूर्ति अधिकार्र				
	निरीक्षक खाद्य	। एवं पूर्ति				
विषयः	राशन कार्ड में	पता बदलवाने के	लिए आवेदन	पत्र।		
श्रीमान जी,						
	निवेदन है कि	मैंने अपना निवास	स्थान बदल ि	लेया है। मै	iं अब निम्नलिखि	त
पते पर रहता	हूँ। इसलिये मेरे	र मूल राशन कार्ड	नं	यूनिट	डी-4	
नं	श्रेणी	. में नये पते का इ	इन्द्राज किया	जाये।		
		गोहल्ला / कालोनी		_	गांव / शह	इर
			,			
संलग्नः नये प	ाते का सबूत / मृ	रूल राशन कार्ड	आवे	वेदक का न	गम व हस्ताक्षर	
ग्रांच्यागित कार्	ने वाले व्यक्ति व	.				
हस्ताक्षर, पद,	मोहर तथा तिर्वि	થ				
वार्ड परिवर्त	iन / डिपो धारक	के कार्य क्षेत्र बद	लने की स्थिति	न में डिपोध	ारक की रिपोर्ट।	
		नेटडी-4				
		 ने अपने रजिस्ट्रेशन				•
∕ 1 °II	৭০ ৭/1৬ শ	। अपन राजस्ट्ररान	101606 (1	पगट ।५५।	61	
				डिपोध	ारक के हस्ताक्षर	व
					तेथि सहित।	
		केवल कार्यालय प्र	ायोग के लिये			
राशन कार्ड न	ांयू	निट र	डी—4 नं	रजिस्	ट्रेशन नं	
श्रेणी	आवश्यक इन्	द्राज डी—4 व राश	न कार्ड में कर	र दिया गय	ग है।	
				··· + +		
	<u> </u>	<u> </u>	।नर	ादाक क रि	विथ सहित हस्ता	オく
मूल राशन का	र्ड प्राप्त कर्ता वे	० ६४पाक्षर				

मूल्य	
सेवा में	सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी / निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति
विषयः	राशन कार्ड रद्द करवाने के लिए आवेदन पत्र।
	निवेदन है कि मैं शहर / गांव छोड़कर गहर / गांव में चला गया हूँ। अतः मेरा या राशन कार्ड नं यनिट डी—4 नं रजिस्ट्रेशन नं श्रेणी, रद्द करके नी करने की कृपा करें। मूल राशन कार्ड साथ संलग्न है।
	आवेदक का नाम व हस्ताक्षर व पता तिथि सहित
	ो रिपोर्ट। नं यूनिटडी–4 नं रजिस्ट्रेशन नं यह कार्ड मैंने अपने रजिस्ट्रेशन रजिस्टर से काट दिया है।
	डिपोधारक के हस्ताक्षर व मोहर।

केवल कार्यालय प्रयोग के लिये उक्त राशन कार्ड कार्यालय रिकार्ड से रद्द करके प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

रिकार्ड से रद्द करने व प्रमाण पत्र जारी करने वाले निरीक्षक के हस्ताक्षर तिथि सहित।

निरस्तीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर

पानी का कनैक्शन

प्रश्न1 उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है?

उतर जो व्यक्ति पानी का कनैक्शन लेने के लिए अपना प्रार्थना पत्र जन स्वास्थय विभाग को देता है वह उपभोक्ता कहलाता है।

प्रश्न2 पानी कनैक्शन लेने के लिए उपभोक्ता को क्या-क्या दस्तावेज लगाने पड़ते हैं?

- उतर 1. सरकार द्वारा निर्धारित फार्म।
 - 2. निवास प्रमाण पत्र।
 - 3. टेस्ट रिपोर्ट।
 - 4. सुरक्षा राशि की रसीद।

प्रश्न3 क्या अस्थाई पानी का कनैक्शन मिल सकता है?

उतर हाँ, कोई भी व्यक्ति अस्थाई पानी का कनैक्शन निर्धारित फार्म भरकर ले सकता है।

प्रश्न4 कनैक्शन के लिए आवेदन पत्र कहां दिया जाता है?

उतर कनैक्शन के लिए आवेदन पत्र उप-मण्डल अधिकारी (जन स्वास्थय) के कार्यलय में दिया जाता है।

प्रश्न5 पानी कनैक्शन के लिए निर्धारित फीस क्या है?

उतर ग्रामीण स्तर पर – पानी का कनैक्शन लेने के लिए 500 रूप्ये फीस जमा करवानी होती है। लेकिन हरियाणा सरकार ने मार्च 2013 तक यह फीस माफ की हुई है।

शहरी स्तर पर - पानी का कनैक्शन लेने के लिए 1000 रूप्ये फीस जमा करवानी होती है।

APPLICATION FOR PRIVATE WATER CONNECTION IN URBAN AREA

To The SDE Public Health Engineering Sub-Division Sub Division No
Sir,
I need a metered private water connection from your distribution system into house no
1. The house is owned /not owned by me.
2. I undertake to act in accordance with the bye laws and regulations made by the department from time to time. I will not fix any hand pump and tap or pumping set on the supply main.
3. I agree that the PHED, without notice will have the power to disconnect the service pipe up to my premises, if it is considered fit, advisable and necessary to do so for any reason whatsoever.
4. I will provide all material and labour also and will pay the department, the required charges and also under take to pay the monthly consumption charges regularly.
Yours faithfully Dated
Signature of applicant
In case of tenant
I, the owner of the house No

House Owner's Signature

house.

Application Form for Water Supply/ Sewerage Connection (Urban)

Name of the Applicant:	
Father's / Husband's Name:	
Permanent Address:	
Address of premises for which	
Connection Applied:	
Type of Connection Applied:	
(Domestic/ Commercial/ Industrial/	
Size of Ferrule for Water Connection	
applied:	
(6mm/ 10mm/ 12mm/ 15mm/ 20mm)	
In case of Institutional/ Industrial/	
Commercial connection quantity and	
nature of Sewerage to be disposed in Sewer	
(70% of the water consumed) Proof of Residence / Identity Attached:	
<u>-</u>	Photostat Copy of Ration Card /Voter Identity Card
Details of Connections:	
(if held by the applicant previously)	
Details of Fee Deposited for Road-Cut:	
(if applicable)	
,	

- a) Certified that I am owner of the premises / building for which connection is applied.
- b) Certified that the information given in the Performa above is correct. If at any stage, any of above information is found wrong I will loose the right of continuing my connection and liable of the punishment as per rules of the department in force at the time.
- c) I agree to abide by the rules and regulations of the department in force from time to time.

Signature of the applicant

Report of the fitter / authorized person of the Department

The existing Water Supply / Sewerage line is of sizemm and is meters away from house of the applicant. Road meters wide requires to cut for giving connection.
Signature
Name and Designation of Reporting Officer
Recommendation of the Junior Engineer
Ferrule connection ofmm size from existing W/S linemm/ Sewerage connection in Manhole/ Oblique connection inmm sewer line recommended.
Date: Signature
(Full Name of the Junior Engineer)
As recommended abovemm ferrule connection / Sewer connection sanctioned.
Sub Divisional Engineer
Public Health Engineering Sub Division
Received a sum of Rs
Sub Divisional Engineer
Public Health Engineering Sub Division

बिजली कनैक्शन

प्रश्न1 बिजली उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है?

उतर जो व्यक्ति बिजली का कनैक्शन लेने के लिए प्रार्थना पत्र बिजली विभाग को देता है उपभोक्ता कहलाता है।

प्रश्न2 बिजली कनैक्शन लेने के लिए उपभोक्ता को क्या-क्या दस्तावेज लगाने पड़ते हैं?

- उतर 1. मलिकयत प्रमाण पत्र।
 - 2. वोटर पहचान पत्र।
 - 3. राशन कार्ड।
 - 4. फोटो।
 - 5. सरकारी जगह होने पर कब्जा या आंवटित प्रमाण पत्र।
 - 6. किरायादार होने की स्थिति में मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - 7. दो गवाहों और उनके बिजली बिल की छायाप्रति कापीयां।
 - 8. शहरी क्षेत्र : रजिस्ट्री की कापी या मकान किराये की निर्धारित कापी।
 - 9. ग्रामीण क्षेत्र : मकान का लाल डोरा में होने की सरपंच द्वारा तसदीक।

प्रश्न4 बिजली कनैक्शन फार्म की कीमत क्या है?

उतर बिजली कनैक्शन फार्म मुफ्त में मिलता है।

प्रश्न5 क्या बिजली का लोड बढाया जा सकता है?

उतर हाँ, कोई भी व्यक्ति अपना खपत लोड को निर्धारित फार्म भरकर व निर्धारित फीस जमा करवा कर अपनी बिजली खपत का लोड बढ़ावा सकता है।

प्रश्न6 बिजली कनैक्शन के लिए आवेदन पत्र कहां दिया जाता है?

उतर बिजली कनैक्शन का आवेदन पत्र उप-मण्डल अधिकारी (बिजली बोर्ड) के कार्यलय में दिया जाता है।

प्रश्न4 बिजली कनैक्शन के लिए निर्धारित फीस क्या है?

उतर बिजली कनैक्शन के लिए निर्धारित फीस लोड के अनुसार जमा करवाई जाती है।

UTTAR HARYANA BIJLI VITRAN NIGAM LTD APPLICATION & AGGREMENT FORM IN RESPECT OF DOMESTIC/ NON- DOMESTIC **SUPPLY** (strike out whichever is not applicable)

(For Office use only)

Name of	f the Sub-Division:				
Applicat	tion No.:				
Date of	Receipt:				
	(To be filed up by the	applicant i	n Block lette	ers in ink)	
1.	Applicant's Name				
2.	Father's name / Husband's name				
3.	Full address of the premises at which supply is required.				
4.	Telephone No. (if any)				
5.	Permamnent Address (Resid	lential)			
6.	Bank Account No. (if any)				
7.	Name of the Bank with addr	ess			
8.	Ration Card No./ Voter identity Card No./Pan		Any One		
	No. Driving License No.				
9.	Details of any other connection in the name of	Category			
	connection in the name of applicant (if any)	Account No.		_	
		Address			
10.	Details of any other connec (if any)	tion in the sa	ame premises		
11.	If tenant, landlord's Name &	& Address			
12.	Category of connection (DS	or NDS)			
13.	Type of connection (Temporary or Premanent)				
14.	Connected Load / Contract Demand, applied for				
15.	Voltage at which supply requires				
16.	Whether new connection, reconnection or extension/				
17.	Existing Account No.(if any) (for reconnection, extension /				
Date:		S	Signature of A	Applicant:	

Acknowledgement

Date	Applicant' Name	Category of supply	Application Nos

(Signature of authorized officer)

Instruction for Applicants:-

(i)

Application No. shall be allowed by the cashier at the time of receipt of Application processing charges.

Please furnish installation Test report issued by licensed electrical wiring contractor, after completion of installation giving full details of load/ machinery

DECLARATION

I [], son/daughter/wife of [],
resident of [], (hereinafter referred to as the "Applican	nt",
which term shall mean and include executors, administrators, heirs, successors a	and
assignees), do hereby swear and declare as under.	

OR

The [-----], a company incorporated under the provisions of the companies Act-1956, a sole proprietorchip, a partnership having its registered office at [------] (hereinafter referred to as "Applicant", which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors and assignees), do hereby swear and declare as under:

- 1. THAT the applicant is a legal occupant / owner / landlord of the premises at [-----] in support of which the applicant has enclosed a proof of occupancy / owner ship. And,
- 2. THAT In case of tenant;
- (i) The Written consent of the Landlord of the Applicant's taking of the said supply is enclosed herewith. Or
- (ii) The applicant is the lawful occupier of the premises, but has not been possible to obtain consent of landlord and the applicant hereby agrees to keep the supplier indemnified and harmless against all claims made and actions and proceedings initiated by the landlord or any person claiming through or under him by reason of the giving of electric connection by the supplier to the applicants. Indemnity bond duly executed on court paper of Rs. 15/- is attached. And,
- 3. That the applicant has requested the Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd (UHBVN) (hereinafter referred to as the "Supplier") to provide a service connection in the abovementioned premises in the Applicant's name for the purpose mentioned in the application & agreement form. And,
- 4. THAT the Applicant hereby further agrees and undertakes:
- (i) The applicant desires to have and agrees to take Electrical Supply for the purpose stated in the Application and
 - Agreement form, from the supplier at the premises stated, not exceeding the sanctioned load of the installation. And,
- (ii) To indemnify the supplier against all proceedings, claims, demands, costs, damages, expenses that supplier may incur by reson of a freshservice connection to the Applicant. And,

- (iii) That all the electrical work done within its / their premises are as per the provisions or Electricity Act 2003, and indemnify supplier against any loss to the applicant accrued on this account. Further, applicant agrees that if there is any
 - harm / loss to the property of supplier, due to tha fault of the electrical network within the premises of the Applicant, all the liabilities shall have to be bome by the applicant Further, that the lift installed (if applicable) has been inspected and certified by the Lift Inspector and the all the fire safety norms have been complied with and the necessary fire clearance certificate (if applicable) has been issued by the competent authority. The applicant indemnifies the supplier against all proceedings, claims, demands, costs, damages, and expenses that supplier may incur by violation of the above regulations. And,
- (iv) To accept and abide by all norms, Conditions of supply, including Schedules of Tariffs, Schedule of General and Miscellaneous Charges, as per the provisions of The Electricity Act-2003 and other applicable laws in force, Rules / Regulations / Orders / Directives / Notification issued and enforced under applicable laws by HERC / CEA /Govt. of India / Govt. of Haryana and any other instruction / circulars issued by suppliers / Nigam from time to time, and as amended from time to time, for equitable and efficient distribution of electric energy. And,
- (v) To pay ffor the said supply in accordance will the reievant applicable Schedule of tariffs and also to pay all such other proper charges (including MMC, if applicanle), as may become due, to the supplier, from time to time at rates laid down in the Standard Schedule of General & Miscellaneous Charges prescribed by the supplier. And,
- (vi) To pay taxes / duties as may be levied on the sale of electricity to the applicant by the supplier. And,
- (vii) Require the supplier to supply with the necessary meter/meters on hire in terms of the section-55 of the Electricity Act-2003. The applicant agrees to give the Supplier such Meter Security and Monthly meter service Charges, as may be required for the price of the meter/meters, whenever called upon to do so. In case, meter is not readily available, the applicant may be permitted to arrange own meter of standard specification as approved by the supplier. And,
- (viii) To be responsible for the safe custody of the meters, CTs, PTs, Cables etc provided by supplier and in case there is any damage to these equipments due to resons attributable to the applicant, the same shall be chargeable to the Applicant. Further all repercussions, on account of breakage of seals of meter etc, Direct / dishonest / abstraction of energy shall be to the account of

- applicant as per the extant rules of supplier. And,
- (ix) To allow clear and un-encumbered access to the meter for the purpose of meter reading and it's checking. And,
- (x) That the applicant shall have no objection at any time to the rights of the supplier to supply energy to any other consumer from the service line or apparatus installed on the applicants premises. And,
- (xi) That the supplier shall not be load responsible for any interruption / diminution of supply beyond its control. And,
- (xii) That the supply shall be used for the purpose that it has been sanctioned by the supplier and shall not be misused in any way to serve any other purpose.
- (xiii) That the supply shall not be expended/sublet to any other premises. And,
- (xiv) That the Applicant's industry/trade has not been declared to be obnoxious, hazardous / pollutant by any Government agency and that no court orders are being infringed by grant of applied electricity connector. Applicant premises. And,
- (xv) That grant of electricity connection will not confer any legal right for regularization of building/land use in respect to the electricity connection provided at the Applicant's premises.
- (xvi) That the supplier shall be at liberty to adjust the electricity consumption charges along with any other charges against the security deposits paid by the Applicant, in the event of termination of agreement or in case of any contractual default.
- (xvii) To pay any sum which may be found to become payable to Supplier with regards to all liabilities personally as well as by means of both movable properties. And,
- (xviii) To deposit additional consumption security / ACD as revised by UHBVN from time to time as per the prevailing regulations of HERC. And,
- (xix) That the supplier shall be at liberty to transfer the dues remaining unpaid by the applicant to other sevice connection (s) that may stand in the Applicants name and recover the same against consumption security / ACD. And,
- (xx) That the applicant would let supplier to disconnect the service connection under reference, in the event of any default, non-compliance of statutory provisions and in the event of legally binding directive by a authority.
- (xxi) The applicant is not a defaulter under the jurisdiction of UHBVN and DHBVN, And,

- (xxii) There is no outstanding defaulting amount against the premises on which the connection is being sought. And,
- (xxiii) To pay any sum which may be found to become payable to supplier with regards to past dues of supplier of the above premises. And,
- (xxiv) That the applicant shall abide by the power cut, restricted /peak load hour's restrictions imposed by the Supplier fromtime to time. And,
- (xxv) All details furnished in this Application and Agreement forms are true to the Applicant's knowledge. If any information is found incorrect / concealed at a later stage, the supplier will have the right to withhold/ disconnect supply without any notice, as the case may be and forfeit the securities deposited with the supplier will have right to adjust all dues against the security deposits. And,

The Applicant further aggress that this declaration given by him will be construed as an agreement with the (UHBVN) / supplier to the above effect.

Witness			
Name			
Father's name			
Address			
G: . C.1	A 1.		
Signature of the	Applicant		
Signature of the Account	Applicant		
Account	Applicant		
-	Applicant		

List of documents to be attached with A&A Form (if required, Specimen of indemnity bond and available at SDO Office)

- 5. Copy of registration deed/Municipal or Panchayat House- Tax Assessment Notice/ Allotment letter by HUDA/HSIDC/ Housing Board/ Group Housing Societies/Lease Deed/Receipt of rent paid (Any one of the Document).
- 6. Consent of landlord or indemnity Bond if consent of landlord not available. In case of tenant seeking connection.
- 7. for NDS connection, General power of attorney 'n favor of signatory, in case of joint ownership & partnership firms; Certified true copy of the resolution, authorizing the signatory to deal with the UHBVN, passed by the Board of Directors, in case of companies (as applicable)
- 8. for NDS connections, self attested photocopy of the partnership deed in case of partnership firms/Memorandum & article of article of association in case of companies (as applicable)
- 9. Attested copy of any one of documents listed at Sr. No.(8) of page-1 of the form

UTTAR HARYANA BIJLI VITRAN NIGAM LTD

For office use only

Applicant	No.:		
Applicant	Name:		
Father's N	Name:		
]	PAYMENT MADE WITH APPLIC	CATION
Accepted	on behalf o	of the Uttar Haryana Bijli Vitran Niga	m Ltd. for connected load of KW
at	volt	age level undercategory	y connection.
Cashier to	accept cha	arges on account of the following:-	
Date			Signature
	Sr. No.	Item*	Amount (in Rs.)
	1.	Application Processing fee	1 1110 0110 (111 1 151)
	2.	Consumption Security	
	3.	Meter security (if applicable)	
	4.	Meter tedting fee (if applicable)	
	5.	Applicable Service connection	
	6.	Charges Any other item.	
		Total	
*Strike ou	t whicheve	er is not applicable.	
Received l	Rs	(Rupees	
Vide Rece	ipt No	Dated	
Name		Designation	Signature

Certificate that I have p which the supply is requi	RTIFICATE OF SITE VERIOR or sonally verified the premise red.	es of the applicant at his site on
Name of Distribution tra	ansformer	
Name	Designation	Signature
		Date
Certificate that nothing	NO DUES CERTIFICA is due against this applicant or	
Name	Designation	Signature
		Date

AUTHORIZATION FOR CONNECTION

For office use only
Accepted and Sanctioned on behalf of the Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd.

for co	onnected load ofKW at		vol	tage level
for	onnected load ofKW at category connection.			
Date				
of co	Following charges / additional charges, do nnection as per site verification be accept A) Charges:-			SDO 'OP' for release
Date	3) Document & Equipments (i) Test report (ii) Energy Meter (if applicable)			
DO '(OP'			
Rece	ived Rs(Rupees			
	Receipt No			
	e			
The A	Account number allotted to applicant is ection order number is		The servic	e
Nam	eSignature_		Date	
DETA	AILS OF CALCULATION OF LOAD (Norms may be revised from the particulars)	TO BE F	ILLED BY A	
1	Light Points (40 watt each)			
2	Fan Points (60 watt each)			
3	Wall socket (5 Amp) (6 sockets or part there of=40 watts)			
4	Wall socket (15 A) (6 sockets or part there			

5	Rose Outlets for light Point (i) For DS:- 1 to 5 rose outlets (40 watts); 6 to 10 rose outlets (2*40 watts) (ii) For NDS:- 40 watt for each rose		
6	Air Conditioners through wall socket (take actual load as per capacity)		
7	Geysers through wall socket (take actual load as per capacity)		
8	Any other motive load in H.P.		
	Total		

UTTAR HARYANA BIJLI VITRAN NIGAM LTD APPLICATION & AGGREMENT FORM IN RESPECT OF DOMESTIC/ NON- DOMESTIC **SUPPLY** (strike out whichever is not applicable)

(For Office use only)

Name of	f the Sub-Division:			
Applica	tion No.:			
Date of	Receipt:			
	(To be filed up by the	applicant i	n Block lette	ers in ink)
1.	Applicant's Name			
2.	Father's name / Husband's name			
3.	Full address of the premises at which supply is required.			
4.	Telephone No. (if any)			
5.	Permamnent Address (Residential)			
6.	Bank Account No. (if any)			
7.	Name of the Bank with address			
8.	Ration Card No./ Voter identity Card No./Pan		Any One	
	No. Driving License No.			
9.	Details of any other connection in the name of applicant (if any)	Category		
		Account No.		
		Address		
10.	Details of any other connection in the same premises (if any)			
11.	If tenant, landlord's Name &	& Address		
12.	Category of connection (DS or NDS)			
13.	Type of connection (Temporary or Premanent)			
14.	Connected Load / Contract Demand, applied for			
15.	Voltage at which supply requires			
16.	Whether new connection, reconnection or extension/			
17.	Existing Account No.(if any) (for reconnection, extension /			
Date:			Signature of A	Applicant:

Acknowledgement

Date	Applicant' Name	Category of supply	Application Nos

(Signature of authorized officer)

Instruction for Applicants:-

(i)

Application No. shall be allowed by the cashier at the time of receipt of Application processing charges.

Please furnish installation Test report issued by licensed electrical wiring contractor, after completion of installation giving full details of load/ machinery

DECLARATION

I [], son/daughter/wife of [],
resident of [], (hereinafter referred to as the "Applican	nt",
which term shall mean and include executors, administrators, heirs, successors a	and
assignees), do hereby swear and declare as under.	

OR

The [-----], a company incorporated under the provisions of the companies Act-1956, a sole proprietorchip, a partnership having its registered office at [------] (hereinafter referred to as "Applicant", which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successors and assignees), do hereby swear and declare as under:

- 1. THAT the applicant is a legal occupant / owner / landlord of the premises at [-----] in support of which the applicant has enclosed a proof of occupancy / owner ship. And,
- 2. THAT In case of tenant;
- (i) The Written consent of the Landlord of the Applicant's taking of the said supply is enclosed herewith. Or
- (ii) The applicant is the lawful occupier of the premises, but has not been possible to obtain consent of landlord and the applicant hereby agrees to keep the supplier indemnified and harmless against all claims made and actions and proceedings initiated by the landlord or any person claiming through or under him by reason of the giving of electric connection by the supplier to the applicants. Indemnity bond duly executed on court paper of Rs. 15/- is attached. And,
- 3. That the applicant has requested the Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd (UHBVN) (hereinafter referred to as the "Supplier") to provide a service connection in the abovementioned premises in the Applicant's name for the purpose mentioned in the application & agreement form. And,
- 4. THAT the Applicant hereby further agrees and undertakes:
- (i) The applicant desires to have and agrees to take Electrical Supply for the purpose stated in the Application and
 - Agreement form, from the supplier at the premises stated, not exceeding the sanctioned load of the installation. And,
- (ii) To indemnify the supplier against all proceedings, claims, demands, costs, damages, expenses that supplier may incur by reson of a freshservice connection to the Applicant. And,

- (iii) That all the electrical work done within its / their premises are as per the provisions or Electricity Act 2003, and indemnify supplier against any loss to the applicant accrued on this account. Further, applicant agrees that if there is any
 - harm / loss to the property of supplier, due to tha fault of the electrical network within the premises of the Applicant, all the liabilities shall have to be bome by the applicant Further, that the lift installed (if applicable) has been inspected and certified by the Lift Inspector and the all the fire safety norms have been complied with and the necessary fire clearance certificate (if applicable) has been issued by the competent authority. The applicant indemnifies the supplier against all proceedings, claims, demands, costs, damages, and expenses that supplier may incur by violation of the above regulations. And,
- (iv) To accept and abide by all norms, Conditions of supply, including Schedules of Tariffs, Schedule of General and Miscellaneous Charges, as per the provisions of The Electricity Act-2003 and other applicable laws in force, Rules / Regulations / Orders / Directives / Notification issued and enforced under applicable laws by HERC / CEA /Govt. of India / Govt. of Haryana and any other instruction / circulars issued by suppliers / Nigam from time to time, and as amended from time to time, for equitable and efficient distribution of electric energy. And,
- (v) To pay ffor the said supply in accordance will the reievant applicable Schedule of tariffs and also to pay all such other proper charges (including MMC, if applicanle), as may become due, to the supplier, from time to time at rates laid down in the Standard Schedule of General & Miscellaneous Charges prescribed by the supplier. And,
- (vi) To pay taxes / duties as may be levied on the sale of electricity to the applicant by the supplier. And,
- (vii) Require the supplier to supply with the necessary meter/meters on hire in terms of the section-55 of the Electricity Act-2003. The applicant agrees to give the Supplier such Meter Security and Monthly meter service Charges, as may be required for the price of the meter/meters, whenever called upon to do so. In case, meter is not readily available, the applicant may be permitted arrange own meter of standard specification as approved by the supplier. And,
- (viii) To be responsible for the safe custody of the meters, CTs, PTs, Cables etc provided by supplier and in case there is any damage to these equipments due to resons attributable to the applicant, the same shall be chargeable to the Applicant. Further all repercussions, on account of breakage of seals of meter etc, Direct / dishonest / abstraction of energy shall be to the account of

- applicant as per the extant rules of supplier. And,
- (ix) To allow clear and un-encumbered access to the meter for the purpose of meter reading and it's checking. And,
- (x) That the applicant shall have no objection at any time to the rights of the supplier to supply energy to any other consumer from the service line or apparatus installed on the applicants premises. And,
- (xi) That the supplier shall not be load responsible for any interruption / diminution of supply beyond its control. And,
- (xii) That the supply shall be used for the purpose that it has been sanctioned by the supplier and shall not be misused in any way to serve any other purpose.
- (xiii) That the supply shall not be expended/sublet to any other premises. And,
- (xiv) That the Applicant's industry/trade has not been declared to be obnoxious, hazardous / pollutant by any Government agency and that no court orders are being infringed by grant of applied electricity connector. Applicant premises. And,
- (xv) That grant of electricity connection will not confer any legal right for regularization of building/land use in respect to the electricity connection provided at the Applicant's premises.
- (xvi) That the supplier shall be at liberty to adjust the electricity consumption charges along with any other charges against the security deposits paid by the Applicant, in the event of termination of agreement or in case of any contractual default.
- (xvii) To pay any sum which may be found to become payable to Supplier with regards to all liabilities personally as well as by means of both movable properties. And,
- (xviii) To deposit additional consumption security / ACD as revised by UHBVN from time to time as per the prevailing regulations of HERC. And,
- (xix) That the supplier shall be at liberty to transfer the dues remaining unpaid by the applicant to other sevice connection (s) that may stand in the Applicants name and recover the same against consumption security / ACD. And,
- (xx) That the applicant would let supplier to disconnect the service connection under reference, in the event of any default, non-compliance of statutory provisions and in the event of legally binding directive by a authority.
- (xxi) The applicant is not a defaulter under the jurisdiction of UHBVN and DHBVN, And,

- (xxii) There is no outstanding defaulting amount against the premises on which the connection is being sought. And,
- (xxiii) To pay any sum which may be found to become payable to supplier with regards to past dues of supplier of the above premises. And,
- (xxiv) That the applicant shall abide by the power cut, restricted /peak load hour's restrictions imposed by the Supplier fromtime to time. And,
- (xxv) All details furnished in this Application and Agreement forms are true to the Applicant's knowledge. If any information is found incorrect / concealed at a later stage, the supplier will have the right to withhold/ disconnect supply without any notice, as the case may be and forfeit the securities deposited with the supplier will have right to adjust all dues against the security deposits. And,

The Applicant further aggress that this declaration given by him will be construed as an agreement with the (UHBVN) / supplier to the above effect.

Witness		
Name _		
Father's name		
Address		
Signature of the Appli	cant	
Account		
Number		
Signature		

List of documents to be attached with A&A Form (if required, Specimen of indemnity bond and available at SDO Office)

- 5. Copy of registration deed/Municipal or Panchayat House- Tax Assessment Notice/ Allotment letter by HUDA/HSIDC/ Housing Board/ Group Housing Societies/Lease Deed/Receipt of rent paid (Any one of the Document).
- 6. Consent of landlord or indemnity Bond if consent of landlord not available. In case of tenant seeking connection.
- 7. for NDS connection, General power of attorney 'n favor of signatory, in case of joint ownership & partnership firms; Certified true copy of the resolution, authorizing the signatory to deal with the UHBVN, passed by the Board of Directors, in case of companies (as applicable)
- 8. for NDS connections, self attested photocopy of the partnership deed in case of partnership firms/Memorandum & article of article of association in case of companies (as applicable)
- 9. Attested copy of any one of documents listed at Sr. No.(8) of page-1 of the form

UTTAR HARYANA BIJLI VITRAN NIGAM LTD

For office use only

Applican	t No.:		
Applican	t Name:		
Father's l	Name :		
	1	PAYMENT MADE WITH APPLIC	CATION
Accepted	on behalf o	f the Uttar Haryana Bijli Vitran Niga	m Ltd. for connected load of KW
at	volt	age level undercategory	y connection.
Cashier to	accept cha	rges on account of the following:-	
Date			Signature
	Sr. No.	Item*	Amount (in Rs.)
	1.	Application Processing fee	
	2.	Consumption Security	
	3.	Meter security (if applicable)	
	4.	Meter tedting fee (if applicable)	
	5.	Applicable Service connection	
	6.	Any other item.	
		Total	
*Strike ou	it whicheve	r is not applicable.	
Received	Rs	(Rupees	
Vide Rece	eipt No	Dated	
Name		Designation	Signature

which the supply is	CERTIFICATE OF SITE VERIF ave personally verified the premises required. eeder	s of the applicant at his site on
Name of Distribut	ion transformer	
Name	Designation	Signature
		Date
Certificate that no	NO DUES CERTIFICATE thing is due against this applicant or to	
Name	Designation	Signature
		Date

AUTHORIZATION FOR CONNECTION

For office use only

Accepted and Sanctioned on behalf of the	Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd. for
category connection	atvoltage level for
Date	
	SDO 'OP'
The following charges / additional charge connection as per site verification be acce (A) Charges:-	es, document and equipment for release of epted.
(B) Document & Equipments (i) Test report (ii) Energy Meter (if applica	able) SDO 'OP'
Received Rs. (Rupees	
Vide Receipt No	Dated:
NameDesignation_	Signature
Received Documents & Equipments	
Name	DesignationSignature
The Account number allotted to applicant The service connection order number is	is
NameSignatu	
	AD TO BE FILLED BY APPLICANT (Norn
	d from time to time)
No Horation Iona	No of Total and Day office

D ns

S.No.	Particulars	No. of Points	Total Load (In KW)	For office use only
1	Light Points (40 watt each)			
2	Fan Points (60 watt each)			
3	Wall socket (5 Amp) (6 sockets or part there of=40 watts)			
4	Wall socket (15 A) (6 sockets or part there of =1KW)			

5	Rose Outlets for light Point (i) For DS:- 1 to 5 rose outlets (40 watts); 6 to 10 rose outlets (2*40 watts) (ii) For NDS:- 40 watt for each rose outlet		
6	Air Conditioners through wall socket (take actual load as per capacity)		
7	Geysers through wall socket (take actual load as per capacity)		
8	Any other motive load in H.P.		
	Total		

स्थाई निवास प्रमाण पत्र

प्रश्न1 स्थाई निवास प्रमाण पत्र से क्या अभिप्राय है और इसकी क्यों आवश्यकता है?

उतर स्थाई निवास प्रमाण पत्र राज्य द्वारा जारी किया गया वह पत्र है जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति किस जिला/राज्य में निवास करता है या संबंध रखता है। निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता शैक्षिणक संस्थाओं/राज्य की सरकारी सेवाओं और दूसरी सेवाओं में पड़ती है जहां स्थानीय निवासीयों को प्राथमिकता दी जाती है। यह सभी श्रेणियों के लिए आवश्यक है।

प्रश्न2 स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है?

- उतर 1) निर्धारित प्रमाण पत्र।
 - 2) प्रार्थी जिले का निवासी।
 - 3) प्रार्थी की जन्म तिथि।
 - 4) प्रार्थी का उस जिले में मकान।
 - 5) प्रार्थी को राशन कार्ड की कापी/जिले में 15 साल और उससे अधिक।
 - 6) प्रार्थी का राशन कार्ड/मतदाता कार्ड/किसी भी मतदाता सूचि में नाम।

फीस

स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 15 रू० फीस जमा करवानी होती है।

प्रश्न3 प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया क्या है?

उतर ग्रामीण स्तर पर:-

सरकार द्वारा निर्धारित फार्म भरकर उस पर पटवारी व कानूनगो द्वारा रिपोर्ट की जाती है और तहसीलदार द्वारा योग्य बताए जाने पर सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शहरी स्तर पर:-

सरकार द्वारा निर्धारित फार्म भरकर उस पर सचिव/कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद की रिपोर्ट पर सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रार्थना पत्र

सेवा में
श्रीमान तहसीलदार जी जगाधरी।
विषय:- रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रार्थना पत्र
श्रीमान जी
प्रार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता हूँ:-
मैं पुत्र श्री निवासी
का स्थाई निवासी हूँ । यह कि मेरा नाम राशन कार्ड में दर्ज है (राशन कार्ड संख्या)
1. मै जन्म से अथवा /वर्षो से का स्थाई निवासी हुं।
2. प्राथी का जन्म दिनांक// को गांव/शहर, जिला हरियाण राज्य मे हुआ।
3. प्राथी का स्थाई निवास/मकानगांव/शहर जिला हरियाणा राज्य मे है तथा प्राथी पीछले 15 वर्षो से उपरोक्त मकान मे रह रहा है। (62/17/95/6-जी0एस0आई-03.10.1996)
अतः जनाब से प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।
धन्यवाद
प्रार्थी

दिनांकः-

ब्यान हल्फी

में	पुत्र श्री	निवासी
• • • • • •	हूँ और अपने हल्फे से निम्नलिखित ब्यान करता हूँ	 र्टू कि :-
1.	यह कि मुझ प्रार्थी का उपरोक्त नाम व पता बिल्कुल सर्ह	ो है।
2.	यह है कि मैं हरियाणा का स्थाई निवासी हूँ।	
3.	यह कि मैं प्रार्थी साल से या जन्म से ही उ	परोक्त पते पर रहता हूँ।
4.	प्रार्थी का जन्म दिनांक को ग के हरियाणा राज्य में हुआ है।	ांव ∕ शहर जिला
5.	प्रार्थी का स्थाई निवास/मकान गांव/शहर हरियाणा राज्य में है तथा प्रार्थी पीछले 15 वर्षी र रहा है। (62/17/95/6-जी०एस०आई-03.10.1996)	
6.	यह है कि मेरा नाम राशन कार्ड में दर्ज है (राशन कार्ड)	संख्या
7.	यह है कि मैंने आज से पहले किसी भी अन्य राज्य से प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया है और अब मैं हरियाणा कर रहा हूँ इसका मैं दुरूपयोग नहीं करूंगा।	
तसदीव	प्रा [:] कः–	र्थी
	क किया जाता है कि मुझ प्रार्थी का उपरोक्त ब्यान हल्फी है। इसमें कुछ भी छिपाया या झुठलाया नहीं गया है।	मेरी जानकारी के अनुसार

प्रार्थी

हस्ताक्षर पटवारी/एम०सी०

पटवारी/एम०सी० द्वारा रिहाईशी प्रमाण पत्र जारी करने बारे रिपोर्ट

तसदीक कि	या जाता है कि प्रार्थी श्री ⁄कुमारी पुत्र ⁄पुत्री
	् निवासी
	का स्थाई निवासी है।
	गार्थी का अपना मकान व जमीन है अथवा नहीं, यदि है तो कितनी ।
	गार्थी का नाम राशन कार्ड में दर्ज है (कार्ड संख्या)/ वोटर लेस्ट में नाम दर्ज है अथवा नहीं।
	गार्थी का वोटर पहचान पत्र (वोटर पहचान संख्या)/ वोटर लेस्ट में नाम दर्ज है अथवा नहीं।
	गह है कि मैं प्रार्थी साल से या जन्म से ही उपरोक्त पते पर इता हूँ।
	गार्थी का जन्म दिनांक को गांव ∕शहर जिला . के हरियाणा राज्य में हुआ है।
•	गार्थी का स्थाई निवास/मकानगांव/शहर जिला . हरियाणा राज्य में है तथा प्रार्थी पीछले 15 वर्षो से उपरोक्त नकान में रह रहा है।
अतः उपरो	क्त प्रार्थी का रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रिय प्रमाण पत्र

प्रश्न1 ग्रामीण क्षेत्रिय प्रमाण पत्र से क्या अभिप्राय है?

उतर ग्रामीण क्षेत्रिय प्रमाण पत्र हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया वह प्रमाण पत्र है जिसमें धारक व्यक्ति किस गांव व जिला से संबंधित है जिसका प्रमाण पत्र हरियाणा सरकार ने जारी किया है।

प्रश्न2 ग्रामीण क्षेत्रिय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है?

उतर प्रार्थी को सरकार द्वारा निर्धारित प्रार्थना पत्र संबंधित तहसील व जिला में जमा 15 रू० निर्धारित फीस के साथ जमा करवाना होगा।

ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रार्थना पत्र

सेवा में	
	श्रीमान तहसीलदार जी
	•••••
विषयः-	ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रार्थना पत्र।
श्रीमान जी	· 1
	प्रार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता हूँ।
मैं	पुत्र श्री निवासी
	का स्थाई निवासी हूँ। यह कि मेरा नाम राशन कार्ड में दर्ज है (राशन कार्ड)
1.	यह कि मुझ प्रार्थी का उपरोक्त नाम व पता बिल्कुल सही है।
2.	यह कि मैं हरियाणा का स्थाई निवासी हूँ।
	a) यह कि मैं प्रार्थी साल से या जन्म से ही उपरोक्त पते पर रहता हूँ। या
;	b) प्रार्थी का जन्म दिनांक को गांव तहसील जिला के हरियाणा राज्य में हुआ है। या
	c) प्रार्थी का स्थाई निवास / मकान गांव तहसील जिला हरियाणा राज्य में है तथा प्रार्थी जन्म से उपरोक्त मकान में रह रहा है।
	यह कि मैंने आज से पहले किसी भी अन्य राज्य से ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया है और अब मैं हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र हासिल कर रहा हूँ इसका मैं दुरूपयोग नहीं करूंगा।
अतः जना करें।	ब से प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी का ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा
	प्रार्थी
या झुटलाय	की उपरोक्त घोषणा मेरी जानकारी के अनुसार सही है। इसमें कुछ भी छिपाया ग्रा नहीं गया है।
	सरपंच/नम्बरदार/एस.सी. की रिर्पोट
	केया जाता है कि प्रार्थी पुत्र श्री निवासी का (स्थाई/जन्म) से गांव का निवासी है और गंबंध रखता है।
	सरपंच/नम्बरदार/एस.सी.

पटवारी/एम०सी० द्वारा ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने बारे रिपोर्ट

	किया जाता है कि प्रार्थी श्री ⁄कुमारी पुत्र ⁄पुत्री निवासी
	का स्थाई निवासी है।
1.	प्रार्थी का अपना मकान व जमीन है अथवा नहीं, यदि है तो कितनी
2.	प्रार्थी का नाम राशन कार्ड में दर्ज है (कार्ड संख्या) अथवा नहीं।
3.	प्रार्थी का वोटर पहचान पत्र (वोटर पहचान संख्या)/ वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है अथवा नहीं।
4.	यह कि मैं प्रार्थी जन्म से ही उपरोक्त पते पर रहता हूँ।
5.	प्रार्थी का जन्म दिनांक को गांव तहसील जिला के हरियाणा राज्य में हुआ है।
6.	प्रार्थी का स्थाई निवास/मकानगांवतहसील जिलाहिरयाणा राज्य में है तथा प्रार्थी जन्म से उपरोक्त मकान मे रह रहा है।
अतः उप	रोक्त प्रार्थी का ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश की जाती है।
	हस्ताक्षर पटवारी /एम०सी०

अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र

प्रश्न1 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र क्या है उसकी क्यों आवश्यकता है ?

उतर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति का उस विशेष जाति से संबंध रखने का सबूत है जिसे भारत के संविधान में अनुसूचित जाति श्रेणी में निर्देशित किया गया है।

प्रश्न2 अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र कैसे लिया जाता है?

उतर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सरकार द्वारा निर्धारित फार्म भरकर प्राप्त किया जाता है।

प्रश्न3 अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है?

उतर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र आवश्यक प्राधिकरण द्वारा या अधिकारी द्वारा तसदीकशुदा निर्धारित प्रमाण पत्र पर ली जा सकती है, जिसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज सलंग्न किये जायेंगे।

- 1) राशन कार्ड/वोटर कार्ड, इनमें से कोई या वोटर सूचि में नाम।
- 2) पटवारी/नगर पालिका, नगर परिषद सदस्य/सरपंच द्वारा अनुशंसा।
- 3) किसी केस में शादी से पहले औरतों का जाति प्रमाण पत्र।
- 4) स्वंय तसदीक प्रमाण पत्र।

फीस

सरकार द्वारा निर्धारित:- 15/- रू० प्रत्येक प्रमाण पत्र

अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रार्थना पत्र

(केवल हिन्दू धर्म के लिये मान्य होगा)

सेवा में	
	श्रीमान तहसीलदार जी
विषय:-	अनुसूचित जाति प्रामण पत्र जारी करने बारे प्रार्थना पत्र।
श्रीमान र्ज	Ì
	प्रार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता हूँ:-
	पुत्र श्री निवासी
	हूँ ।
1.	यह कि मैं प्रार्थी जाति से संबंध रखता हूँ। जोकि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति घोषित की गई है।
2.	यह कि प्रार्थी हिन्दू धर्म से सम्बन्ध रखता है।
3.	यह कि मुझ प्रार्थी ने पहले किसी राज्य से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है और न ही इसका कोई लाभ उठाया है।
की कृपा	
	केया जाता है कि प्रार्थी पुत्र श्री जिवासी का स्थाई/जन्म से निवासी है और यह जाति और धर्म से सम्बन्ध रखता है।
	सरपंच ⁄ नम्बरदार ⁄ एम .सी .

ब्यान हल्फी

अनुसूतिच जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए

	36
	पुत्र श्री
	हूँ और अपने हल्फे में निम्नलिखित ब्यान करता हूँ
1.	यह कि मुझ प्रार्थी का उपरोक्त नाम व पता बिल्कुल सही है।
2.	यह कि मैं प्रार्थी जाति से सम्बन्ध रखता हूँ जो कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति घोषित रखता है।
3.	यह कि प्रार्थी हिन्दू धर्म से सम्बन्ध रखता है।
4.	यह कि मुझ प्रार्थी ने पहले किसी राज्य से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है और न ही इसका कोई लाभ उठाया है।
5.	यह कि मुझ प्रार्थी द्वारा दिये गये तथ्य यदि गलत पाये गये तो मेरे विरूद्ध धारा आई०पी०सी० 182 के तहत कार्यवाही की जाये।
6.	यदि प्रार्थी विवाहित है तो विवाहित स्त्री की शादी से पहले की जाति मान्य होगी। अतः विवाहिता जाति से संबंध रखती है।
तसदीकः	प्रार्थी -
	किया जाता है कि मुझ प्रार्थी का उपरोक्त ब्यान हल्फी मेरी जानकारी के अनुसार इसमें कुछ भी छिपाया या झुठलाया नहीं गया है।
	प्रार्थी

दिनांकः-

पटवारी/एम०सी० द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने बारे रिपोर्ट (केवल हिन्दू धर्म के लिये मान्य होगा)

तसदीक	किया जाता है कि प्रार्थी श्री/कुमारी
	निवासी का स्थाई निवासी है।
1.	प्रार्थी का नाम राशन कार्ड में दर्ज है (कार्ड संख्या) अथवा नहीं।
2.	प्रार्थी का वोटर पहचान पत्र (वोटर पहचान संख्या)/ वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है अथवा नहीं।
3.	प्रार्थी जाति से सम्बन्ध रखता है जिसे भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति घोषित किया है तथा
4.	प्रार्थी हिन्दू धर्म से संबंध रखता है।
5.	यदि प्रार्थी विवाहित है तो विवाहित स्त्री की शादी से पहले की जाति मान्य होगी। अतः विवाहितता जाति से संबंध रखती है।
अतः उप है।	रोक्त प्रार्थी का अनुसूचित जाती प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश की जाती

हस्ताक्षर पटवारी/एम०सी०

पिछड़ी श्रेणी जाति का प्रमाण पत्र

प्रश्न1 पिछड़ी श्रेणी का प्रमाण पत्र क्या है?

उतर पिछड़ी श्रेणी का प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति का उस विशेष जाति से संबंध रखने का सबूत है जिसे भारत के संविधान में पिछड़ी श्रेणी में निर्देशित किया गया है।

प्रश्न2 पिछड़ी श्रेणी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है?

- उतर 1) निर्धारित फार्म।
 - 2) प्रार्थी का राशन कार्ड/वोटर कार्ड/किसी एक नाम/वोट सूची में नाम।
 - 3) पटवारी नगर परिषद के सदस्य व सरपंच द्वारा तसदीक पत्र।
 - 4) प्रार्थी की आय सूचना।
 - 5) प्रार्थी के परिवार में कोई राजपत्रित अधिकारी नहीं है।
 - 6) प्रार्थी की जाति /धर्म रिपोर्ट
 - 7) शादी से पहले महिला द्वारा जाति प्रमाण पत्र
 - 8) स्वंय तसदीक प्रमाण पत्र

फीस

जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 15 रू० फीस जमा करवानी होती है।

बी0सी0	प्रम ाण	पत्र	जारी	करने	बारे	प्रा र्थना	पत्र B.C./ 001
--------	---------	------	------	------	------	------------	----------------

सेवा में
श्रीमान तहसीलदार जी
•••••
विषय:- बी0सी0 प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रार्थना पत्र
श्रीमान जी
प्रार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता हूँ:-
मैं निवासी
हूँ ।
1. यह कि मैं प्रार्थी जाति से सम्बन्ध रखता हूँ
ा. यह कि में प्राथा जात से सम्बन्ध रखता हू जोकि सरकार द्वारा पिछड़ी जाति घोषित की गई है।
2. यह कि मुझ प्रार्थी की सभी साधनों को मिलाकर वार्षिक आय मु0 .
/- रू है ।
3. यह कि मुझ प्रार्थी का परिवार में से कोई भी सदस्य राजपत्रित
अधिकारी के पद पर नहीं है।
4. यह कि मुझ प्रार्थी का परिवार किमीलेयर में नहीं आता ।
5. प्रार्थी का परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या नहीं है।
6. यदि प्रार्थी विवाहित है तो विवाहित स्त्री की शादी से पहले की जाति
मान्य होगी अत: विवाहिता जाति से सम्बन्ध रखती है ।
7. यह कि मुझ प्रार्थी ने पहले किसी राज्य से पिछड़ी जाति का प्रमाण
पत्र नहीं बनवाया है और न ही इसका कोई लाभ उठाया है।
अत: जनाब से प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी का पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जारी
करने की कृपा करें।
धन्यवाद प्रार्थी
य गुनार प्राचा
दिनांक :-
तसदीक किया जाता है कि प्रार्थी पुत्र श्री
निवासी का स्थाई / जन्म से निवासी है और यह जाति औरधर्म से सम्बन्ध रखता है।
सरपंच / नम्बरदार /एम.सी. ।

ब्यान हल्फी

B.C./ 002

											करने			•			
मैं.	• • • • •	••••	• • • • •	• • • • •	••••	• • • • •	. पुत्र	श्री	••••	• • • • •	• • • • • •	• • • •	• • • • •	• • • •	• • • • •	निवासी	••••
••••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	••••	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	•••••	• • • • •	••••		••••	•••••	
••••	• • • • •	••••	••••	• • • • •	••••	• • • • •	• • • • • •	• • • • •	हूँ	औ	र अप	ने ह	हल्फे	से	निम्	नलिखित	ब्यान
करत	ग हूँ	कि	:-						·								

- 1. यह कि मुझ प्रार्थी का उपरोक्त नाम व पता बिल्कुल सही है।
- 2. यह कि मैं प्रार्थी जाति से सम्बन्ध रखता हूँ जो कि सरकार द्वारा पिछडी़ जाति घोषित की गई है।
- 4. यह कि मुझ प्रार्थी की सभी साधनों को मिलाकर वार्षिक आय मु0/- रू है।
- 5. यह कि मुझ प्रार्थी का परिवार में से कोई भी सदस्य राजपत्रित अधिकारी के पद पर नहीं है।
- 6. यह कि मुझ प्रार्थी का परिवार क्रिमीलेयर में नहीं आता ।
- 7. यह कि प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या नहीं
- 8. यदि प्रार्थी विवाहित है तो विवाहित स्त्री की शादी से पहले की जाति मान्य होगी अत: विवाहिता जाति से सम्बन्ध रखती है।
- 9. यह कि मुझ प्रार्थी ने पहले किसी राज्य से पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है और न ही इसका कोई लाभ उठाया है।

प्रार्थी

तसदीक:-

तसदीक किया जाता है कि मुझ प्रार्थी का उपरोक्त ब्यान हल्फी मेरी जानकारी के अनुसार सही है। इसमें कुछ भी छिपाया या झुठलाया नहीं गया है।

प्रार्थी

दिनांक:-

पटवारी/एम०सी० के द्वारा बी०सी० प्रमाण पत्र जारी करने बारे रिपोर्ट

तसदीक किया जाता है कि प्रार्थी श्री/कुमारी पुत्र/पुत्री
निवासी
का स्थाई निवासी है।
1. प्रार्थी का अपना मकान व जमीन है अथवा नहीं, यदि है तो कितनी
•••••
2. प्रार्थी का नाम राशन कार्ड में दर्ज है (कार्ड संख्या)
अथवा नहीं या
प्रार्थी का वोटर पहचान पत्र (वोटर पहचान संख्या)
/वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है अथवा नहीं।
3. प्रार्थी है जिसे
भारत सरकार द्वारा पिछडी जातिघोषित किया है।
4. प्रार्थी की समस्त परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आमदनी लगभग .
/- रूपये है ।
5. प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य राजपत्रित अधिकारी नहीं है।
6. प्रार्थी का परिवार क्रीमीलेयर में नहीं आता।
7. प्रार्थी का परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या नहीं ।
8. यदि प्रार्थी विवाहित है तो विवाहित स्त्री की शादी से पहले की जाति मान्य
होगी अत: विवाहिता जाति से सम्बन्ध रखती है ।
अत: उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को बी0सी0 प्रमाण पत्र जारी
करने की सिफारिश की जाती है ।

हस्ताक्षर पटवारी/एम०सी०

अतिरिक्त पिछड़ी श्रेणी जाति का प्रमाण पत्र

प्रश्न1 अतिरिक्त पिछड़ी श्रेणी का प्रमाण पत्र क्या है?

उतर अतिरिक्त पिछड़ी श्रेणी का प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति का उस विशेष जाति से संबंध रखने का सबूत है जिसे भारत के संविधान में अतिरिक्त पिछड़ी श्रेणी में निर्देशित किया गया है।

प्रश्न2 अतिरिक्त पिछड़ी श्रेणी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है?

- उतर 1) निर्धारित फार्म।
 - 2) राशन कार्ड/वोटर कार्ड/किसी एक नाम/वोट सूची में।
 - 3) पटवारी नगर परिषद के सदस्य व सरपंच द्वारा तसदीक।
 - 4) आय सूचना।
 - 5) परिवार में कोई राजपत्रित अधिकारी नहीं है।
 - 6) जाति /धर्म रिपोर्ट
 - 7) शादी से पहले महिला द्वारा जाति प्रमाण पत्र
 - 8) स्वंय तसदीक प्रमाण पत्र

फीस

जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 15 रू० फीस जमा करवानी होती है।

<u>ApplicationformforCertificateofOtherBackwardClasses</u> O.B.C / 001

(This form however should be used as a model additional items, if necessary, may be incorporate to suit to the local situation in the form)

To

The Tehsildar Jagadhri (Haryana)

Sir,

I request that a certificate in respect of reservation of other Backward Classes in Civil and services under Govt. of India be granted to me.

I give below the necessary particulars:-

- 1. Full Name of the Applicant : (In Block Letters)
- 2. Date of Birth :-
- 3. Complete Residential
 - a) Present :-
 - b) Permanent :-
- 4. Religion :
- 5. Caste :-
- 6. Sub-Caste : 7. Occupation :-
- 8. Serial Number of the caste in
- Central List of OBC's :
- 9. Name of Father :-
- 10. Name of Mother : 11. Name of Husband :
- 12. Status of Husband/Parents (s):-

<u>Father</u> <u>Mother</u> <u>Husband</u>

- a) Constitunal Posts
- b) Designational
- c) Governmental Services.
 - i) Service (Central/State)
 - ii) Designation
 - iii) Scale of pay including

Classification, if any
iv) Date of appointment to the post
v) Age at the time of promotion
to class I post (if
Applicable):- II. Employement
in International
Organisation eg. UN, UNICEF, UNO.
i) Name of Organisation :-
ii) Designation :-
iii) Period of service
(indicate date fromto
i) Death/Incapacitation (Omit if not applicable)
Putting officer out of service :-
ii) Details of permanent incapacitation.
C. Department in Public Sector undertaking etc.
i) Name of the Organisation:
ii) iv) Date of appointment to the post:-
D. Arms forces including Para-Military Forces.
(This will not include persons holding civil posts)
i) Designation
ii) Scale of Pay
E. Professional include persons holding civil
covered In NOS.S & Sand those engaged in
Trade, Business and Industry:-
i) Orgn. Profession:-
F. Property owners:-
I. Agricultural Land Holding Owner by Mother, Father, minor children
i) Location :-
ii) Size of holding
iii) a) Irrigated:-
(Type of irrigated Land)
(i) (···)
(ii)
(iii)
b) Unirrigated
iv) Percentage of irrigated land
holding to statutory ceiling limit under state land ceiling laws.
v) If any lying is both irrigated/unirrigated
total land holding on the state land ceiling Law.
vi) Percentage in ceiling limit as per (iv)
Plantation
i) Crops/fruit :-
ii) Location
iii) Area of plantation
111) I II VU VI PIUII UU VII

E)-II-

F)-III-	Vacant land/or building in urban areas
	Or urban applemention
	i) Location of property:-
	ii) Details of property:-
	iii) Use of which it is put:-
G)	Income/wealth
·	i) Annual family income from all sources
	(Excluding salary & income from
	agricultural land.)
	ii) Whether Tax Pay (Yes/No)
	(If yes a copy of the last three years
	return be furnished).
	iii) Whether covered in wealth Tax Act. (Yes/No) H)
H)	Any other remarks

ब्यान हल्फी

ओ़ बी सी जाति प्रमाण पत्र के लिऐ

मैं -	पुत्र 	· 웨	निवासी	
 f:-		:	 और अपने हलफे से	
	1. यह कि मुझ	प्रार्थी का उपरोक्त	नाम व पता बिल्कुल	सही है।
	2. यह कि प्रार्थ	Î	-जाति से सम्बन्ध रर	वता है जोकि सरकार द्वारा
	ओ० बी०सी	० जाति घोष्ति की ग	ाई है।	
	3. यह कि मेरा	नाम राशन कार्ड में	दर्ज है क्ष्राशन कार्ड	संख्या
	4. यह कि मुझ	प्रार्थी की सभी साध	नों को मिलाकर वाषि	ार्क आय मु०
		स्वप्टे	ो है औरा में आयक	र दाता हूँ / नहीं हूँ।
	5. प्रार्थी का पी	रेवार कीमेलेयर में न	हीं आता।	
	6. मैं और मेरे	परिवार में कोई भी	सदस्य राजपत्रित अ	धिकारी है या नहीं।
	7. यह कि प्रार्थ	िके परिवार का कोः	ई भी सदस्य आयकर	दाता है या नहीं
	8. यदि प्रार्थी वि	वाहित है तो विवाहि	त स्त्री। की शादी से	पहले की जाति मान्य होगी
	अतः विवाहि	ताजाति	ते से सम्बन्ध रखती	है ।
				प्रार्थी
	तसदीकः			
	तसदीक	किया जाता है कि म <u>ु</u>	झ प्रार्थी का उपरोक्त	। ब्यान हल्फी मेरी जानकारी

के अनुसार सही है। इसमें कुछ भी छुपाया यया झुठलाया नहीं गया है।

प्रार्थी

पटवारी / एम सी०सी० द्वारा जारी रिपोर्ट ओ०बी०सी० प्रमाण पत्र जारी करने बाारे

तसदीक	किया जाता है कि प्रार्थी श्री/ कुमारी़पुत्र/पुत्री
	का स्थाई निवासी है।
1.	प्रार्थी का अपना मकान व जमीन है अथवा नहीं यदि है तो कितनी
2.	प्रार्थी का नाम राशन कार्ड में दर्ज है ; कार्ड संख्या
3.	प्रार्थी का वोटर पहचान पत्र ; वोटर पहचान संख्या
4.	प्रार्थी की समस्त परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आमदनी
	लगभग/ रूप्ये है।
5.	प्रार्थी जाति से सम्बन्ध रखता है जिसे भारत सरकार द्वारा
	ओ०बी०सी० घोषित कियाय है।
6.	प्रार्थी का परिवार कीमीलेयर में नहीं आता।
7.	यह कि प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या नहीं
8.	यदि प्रार्थी विवाहित है तो विवाहित स्त्री की शादी से पहले की जाति मान्य होगी
	अतः विवाहिताजाति से सम्बन्ध रखती है।

हस्ताक्षर पटवारी/एम०सी०

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुऐ मैं प्रार्थी का ओ़बी़ सी. प्रमाण पत्र बनवाने की सिफारिश करता हूँ।

हस्ताक्षर पटवारी/एम०सी०

टपरीवास व विमुक्त जाति से संबंधित बच्चों के लिए प्रमाण पत्र

प्रश्न1 टपरीवास/विमुक्ती जाति से संबंधित प्रमाण पत्र से क्या अभिप्राय है?

उतर टपरीवास/विमुक्ती जाति प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति का उस विशेष जाति से संबंध रखने का सबूत है जिसे भारत के संविधान में टपरीवास/विमुक्ती जाति श्रेणी में निर्देशित किया गया है।

प्रश्न2 टपरीवास/विमुक्ती जाति से संबंधित बच्चों को शिक्षा संस्थानों में दाखिला व वजीफा लेने के लिए प्रमाण पत्र कैसे लिया जाता है?

उतर टपरीवास/विमुक्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन तहसीलदार या उप तहसीलदार के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रश्न3 टपरीवास/विमुक्ती जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है?

- उतर 1) निर्धारित प्रार्थना पत्र।
 - 2) राशन कार्ड/वोटर कार्ड/किसी एक नाम/वोट सूची में।
 - 3) पटवारी नगर परिषद के सदस्य व सरपंच द्वारा तसदीक।
 - 4) आय सूचना।
 - 5) अपनी वास्तविक सूचना।
 - 6) स्कूल का निर्धारित प्रमाण पत्र
 - 7) तनख्वाह की सूचना यदि सरकारी कर्मचारी।
 - 8) स्वंय तसदीक प्रमाण पत्र

फीस

टपरीवास / विमुक्ती जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 15 रू० फीस जमा करवानी होती है।

टपरीवाज /विमुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रार्थना पत्र
सेवा में
श्रीमान तहसीलदार
जगाधरी
विषयः आय का प्रमाण पत्रजारी करने बारे प्रार्थना पत्र।
श्रीमान जी,
मैं प्रार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता हूँ कि :
मैं पुत्र श्री हिं।
1. यह कि मुझ प्रार्थी का उपरोक्त नाम पता बिल्कुल सही है।
2. यह कि मैं प्रार्थीजाति से सम्बन्ध रखता हूं जो कि
सरकार द्वारा टपरीवाज/ विमुक्त जाति धेाषित की गई है।
3. यह कि प्रार्थी हिन्दू धर्म से सम्बन्ध रखता है।
4. यह कि मुझ प्रार्थी ने पहले किसी राज्य से टपरीवाज/ विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र
नहीं बनवाया है और न ही इसका कोई लाभ उठाया है।
5. यदि प्रार्थी विवाहित है तो विवाहित स्त्री की शादी से पहले की जाति मान्य
होगी अतः विवाहिताजाति से सम्बन्ध रखती है।
6. यह कि मुझ प्रार्थी द्वारा दिये गऐ तथ्य यदि गल्त पाये गये तो मेरे
विरूद्ध धारा आई०पी०सी० 182 के तहत कर्यवाही की जाऐ।
अतः जनाब से प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी का टपरीवाज/विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र जारी
करने की कृपा करें। ————————————————————————————————————
प्रार्थी
मुझा प्रार्थी की उपरोक्त घोषणा मेरी जानकारी के अनुसार सही है। इसमें कुछ भी छिपाया या झुठलाया नहीं गया है।
दिनांक प्रार्थी
सरपंच/ नम्बरदार/एम०सी० की रिपोर्ट
तसदीक किया जाता है कि प्रार्थीपुत्र श्रीनिवासीका स्थाई/ जन्म से निवासी है और यहजाति औरधर्म से सम्बन्ध

रखता है।

सरपंच/नम्बरदार/एम०सी०

पटवारी /एम० सी० द्वारा टपरीवाज विमुक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाारे रिपोर्ट

तसदीव	p किया जाता है कि प्रार्थी श्री/ कुमारी़पुत्र/पुत्री
	का स्थाई निवासी है।
1.	प्रार्थी का नाम राशन कार्ड में दर्ज है (कार्ड संख्या)
2.	प्रार्थी का वोटर पहचान पत्र (वोटर पहचान संख्या)
3.	प्रार्थी जाति से सम्बन्ध रखता है जिसे भारत सरकार द्वारा
	टपरीवाज / विमुक्त जाति घोषित किया है तथ
4.	प्रार्थी हिन्दु धर्म से सम्बन्ध रखता है।
5.	यदि प्रार्थी विवाहित है तो विवाहित है तो विवाहित स्त्री की 'शादी से पहले की
	जाति मान्य होगी अतः विवाहिताजाति से सम्बन्ध रखती है।
अत	ाः उपरोक्त प्रार्थी का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश की
जर	ती है।

हस्ताक्षर पटवारी/एम०सी०

आयु प्रमाण पत्र

प्रश्न1 आयु प्रमाण पत्र से क्या अभिप्राय है?

उतर वह प्रमाण पत्र जो किसी व्यक्ति की आयु दर्शाता है उसे आयु प्रमाण कहते हैं। प्रश्न2 आयु प्रमाण पत्र के लिए क्या दस्तावेज आवश्यक हैं?

- उतर 1) निर्धारित फार्म
 - 2) जिस व्यक्ति के लिए आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है उसका जन्म का प्रमाण जरूरी है।
 - 3) जन्म का स्थान, दिनांक और समय का शपथ पत्र।
 - 4) राशन कार्ड /स्कूल छोड़ने का सर्टीफिकेट जिसमें जन्म तिथि लिखि हो, सभी दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किये हों।

प्रश्न3 आयु प्रमाण पत्र लेने के लिए क्या फीस है?

उतर आयु प्रमाण पत्र निशुःलक मिलता है यदि डुपलिकेट प्रमाण पत्र लेना है तो इसके लिए 5/- रू० शुल्क लिया जायेगा।

प्रश्न3 आयु प्रमाण पत्र कहां से मिलता है?

उतर आयु प्रमाण पत्र संबंधित रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

10									
	The District Regis Births and Deaths District	S,							
Subject: -	Request for Birth Certificate.								
Sir,									
below:	Kindly issue me	copies of birth certificate as per particulars are give							
1.	Date of Birth								
2.	Name of Child								
3.	Sex								
4.	Place of Birth								
5.	Name of Father								
6.	Name of Mother								
7.	Permanent Address								
8.	Birth order								
	Thanking you,								
		Yours faithfully,							
		()							
		Name							
		Address							
Total amou	nt of Rs	 Dated							

आय प्रमाण पत्र

प्रश्न1 आय प्रमाण पत्र से क्या अभिप्राय है?

उतर वह पत्र जो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय दर्शाता हो उसे आय प्रमाण पत्र कहा जाता है।

प्रश्न2 आय प्रमाण पत्र की कहां पर आवश्यकता होती हैं?

उतर आय प्रमाण पत्र की शिक्षिण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए व छात्रावास में दाखिला लेने के लिए तथा विजफा लेने के लिए आवश्यकता होती है।

प्रश्न3 आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?

- उतर 1) निर्धारित फार्म।
 - 2) राशन कार्ड/वोटर कार्ड या वोटर सूची में नाम इनमें से कोई एक।
 - 3) स्वंय घोषित प्रमाण पत्र।
 - 4) स्कूल प्रमाण पत्र।
 - 5) यदि कोई राजिकय कर्मचारी है तो उस दशा में वेतन स्लिप।

प्रश्न4 आय प्रमाण पत्र बनवाने की क्या प्रक्रिया है?

उतर ग्रामीण स्तर पर:-

ग्रामीण स्तर पर वार्षिक आय प्रमाण पत्र के लिए सरकार द्वारा निर्धारित फार्म पर संबंधित पटवारी अपनी रिपोर्ट करता है। पटवारी की रिपोर्ट को कानूनगो तसदीक करता है और संबंधित तहसीलदार द्वारा योग्य बताये जाने जिसके उपरान्त उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) आय प्रमाण पत्र जारी करता है।

शहरी स्तर पर:- शहरी स्तर पर वार्षिक आय प्रमाण पत्र के लिए सरकार द्वारा निर्धारित फार्म पर संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद का सचिव/कार्यकारी अधिकारी तसदीक करता है और इसके उपरान्त उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) आय प्रमाण पत्र जारी करता है।

प्रश्न5 आय प्रमाण पत्र लेने के लिए फीस क्या है?

उतर आय प्रमाण पत्र लेने के लिए निर्धारित फीस 15 रूपये है।

आय का प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्रार्थना पत्र केवल शिक्षा कार्यों के प्रयोग हेतु

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार

जगाधरी

विषयः आय का प्रमाण पत्रजारी करने बारे प्रार्थना पत्र।

श्रीमान जी,

मैं प्रार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता हूँ कि :

- 1. में----- पुत्रश्री ------- निवासी------ हूँ।
- 2. यह कि मुझ प्रार्थी की सभी साधनों को मिलाकर वार्षिक आय मु \circ -----/ रूपये है और में आयकर दाता हूँ / नहीं हूँ।
- 3. यह कि मुझ प्रार्थी को अपने हकीकी लड़के/लड़की---- के शैक्षणिक कार्यों के लिये आय प्रमाएा पत्र की आवश्यकता है।

अतः जनाब से प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी का आय प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद

दिनांक-----

स्वंय सत्यापित घोषणा पत्र

मैं	पुत्र	श्री	निवा	सी	हूँ	और	अपने	हल्फे	से	निम्नलिखित	ब्यान
करता	हूँ अथवा	करती हूँ	किः								

- 1. यह कि मुझा शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता बिल्कुल सही है।
- 2. यह कि मेरा नाम राशन कार्ड में दर्ज है राशन कार्ड संख्या-----
- 3. यह कि मुझ प्रार्थी की सभी साधनों को मिलाकर वाषिक आय मु० -----/ रूपये है और मैं आयकर दाता हूँ / नहीं हूँ।
- 4. यह कि मुझ प्रार्थी को अपने हकीकी लड़के/लड़की----के शैक्षणिक कार्यों के लिये आय प्रमाण पत्र की आवययकता है।
- 5. यह प्रार्थी विवाहित/ अविवाहित है।

शपथकर्ता

तसदीक :

तसदीक किया जाता है कि मुझ शपथकर्ता का उपरोक्त ब्यान हल्फी मेरी जानकारी के अनुसार सही है। इसमें कुछ भी छिपाया या झुठलाया गया है।

शपथकर्ता

दिनांक:----

आय का प्रमाण पत्र जारी करने बारे

तसदीक किया जाता है कि प्रार्थी श्री / कुमारी ------पुत्र / पुत्री------------------का स्थई निवासी है।

- 1. प्रार्थी का अपना मकान व जमीन है अथवा नहीं, यदि है तो कितनी-----
- 2. प्रार्थी का नाम राशन कार्ड में दर्ज है या नहीं है तो कार्ड संख्या-----
- 3. प्रार्थी का वोटर पहचान संख्या ----- वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है अथवा नहीं।
- 4. प्रार्थी की समस्त परिवार के सभी साधनों से वार्षिक आमदनीलगभग-----रूपये है।
- 5. यह प्रार्थी विवाहित / अविवाहित है।

हस्ताक्षर पटवारी/एम०सी०

नागरिक अधिकार पत्र

प्रश्न1 हरियाणा में चुनाव विभाग के कार्यालय कहां स्थापित है?

उतर जिला स्तर पर यह कार्यालय जिला चुनाव कार्यालय के नाम से उपायुक्त (डिप्टी कमीशिन) के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसका चुनाव तहसीलदार/उप तहसीलदार कामकाज संभालते हैं व उप जिला चुनाव अधिकारी भी इस कार्य के लिए नियुक्त है।

प्रश्न2 चुनाव विभाग के क्या कार्य हैं?

उतर मतदाता सूचियों की तैयारी व पुननीक्षण करना, मतदाताओं के पहचान-पत्र बनाना, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्पन्न करवाने से सम्बन्धित कार्यों का संचालन। चुनाव विभाग हरियाणा अपना कार्य भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण में रहकर करता है।

प्रश्न3 मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए कौन पात्र है?

उतर हरियाणा की मतदाता सूची में अपना नाम लिखवाने का आपका अधिकार है यदि आप:-

- 1) भारत के नागरिक हैं।
- 2) उस चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने के पात्र है जिसमें आप सामान्यतः रहते है।
- 3) आवेदन की तिथि पर 18 वर्ष या अधिक के है (सामान्यतः हर वर्ष की पहली जनवरी को), और
- 4) इस हेतु अयोग्य घोषित नहीं किए गए है।

प्रश्न4 मतदाता सूची में नाम जोड़ना हटाना तथा संशोधन की क्या प्रक्रिया है?

उतर कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करता हो, परन्तु उसका नाम मतदाता सूची में नहीं हो, अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। मतदाता सूची से नाम हटवाने या ठीक करवाने हेतु व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूचियों के संशोधन हेतु निर्धारित अविध के दौरान अपना आवदेन निर्धारित प्राप्ति स्थल पर प्रस्तुत कर सकता हैं।

प्रश्न5 मतदाता सूची देखने के लिए फीस निर्धारित फीस क्या है?

उतर मतदाता सूची देखने के लिए निन्नलिखित न्यायालय शुल्क निर्धारित फार्म पर लगाने के बाद ही पंजीकरण अधिकारी स्वीकृती प्रदान करेगाः-

	फीस		
(1)	मतदाता सूची को देखने के लिए फीस	=	12/-
(2)	वर्तमान सूची में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति लेने के लिए फीस	=	12/-
(3)	तत्काल फीस	=	24/-
	तत्काल फीस यदि आवेदक प्रमाण पत्र तुरन्त चाहता हो तो सामान्य फीस का दोगुना फीस लिया जाएगा।		

FORM 6

[See rules 13(1) and 26 of Registration of Electors Rules, 1960]

APPLIC	LATION FUR	INCL	OSION O	r naw	IE IN I	LLECION	AL RULL
То							
The	Electoral Regi	stratio	n Officer,				
••••	As	sembly	y/Parliame	ntary Co	onstitue	ency	
Sir,							
I red	quest that my	name	be inclu	ded in	the el	ectoral rol	1 for the above
constituency 1	Particulars in s	upport	t of my cl	aim for	inclus	ion in the	electoral roll are
given below.							
Applicant's de	etails	Name	2			Surname ((if any)
Age as on	1 st January	Years	3	Month	ıS	Sex (Male	e/female/others
#							
Date of birth,	if known:	Day		Month	l	year	
Place of birth		Village/Town:					
		District			State:		
Father's	Name	Name	e			Surname ((if any)
/Mother's							
/Husband's							
II.	Particulars of	place o	of present of	ordinary	Reside	ence (Full a	ddress)
House/Door n	umber:						
Street/Area/Lo	ocality/Mohalla	/Road	•				
Town/Village							
Post Office:				Pin Co	ode		
Tehsil/Taluka	/Mandal/Thana	:					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
District:							
III. Details of member(s) of applicant's family already included in the current electoral							
roll of the Cor		• •		•	•		
Name Relationsh		ip	Part num	ber of	Serial	number	Elector's Photo
with applic		-	the roll	of the			Identify Card
		Constituency				Number	
1.				· ·			
2.							
	I				1		

- ➤ In case of Union Territories having no Legislative Assembly and the State of Jammu and Kashmir.
- ➤ Please give the year i.e. 2007, 2008 etc.

	105					
> *Strike out the inappropriate alte	ernative.					
IV. Declaration:						
I hereby declare that to the best of my k	enowledge and belief:					
(i) I am a citizen of India;	I am a citizen of India;					
(ii) I am ordinarily resident at the admonth, year).	dress given in para II above since (date					
(iii) I have not applied for the inclusi constituency.	on of my name in the electoral roll lfor any other					
(iv) *My name has not already been assembly constituency.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	Or					
in State i	the electoral roll for					
Full dress (earlier place of ordinaresidence	ary Electors photo identity cared number (if already issued)					
	Date of Issue					
Place: Date						
Mobile No.						
E-mail I.D. Signa	ature or thumb impression of the applicant					
Note – Any person who makes a stat	ement or declaration which he either knows or					

Note – Any person who makes a statement or declaration which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

*Strike out the inappropriate alternative.

(To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)

The application of

Sh./Smt./Km..... for inclusion of name in the electoral

(Received the application	in Form 6	of **Shri/S	Smt./Kumari				
**Address		•••••			• • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••
Date		_	the officer re Electoral Reg	_			ion on
	Ad	ddress		•••••	• • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	•••				• • • • •		
Toll Free Number :- 1950)						
Website of Election Com	mission of I	ndia : - wv	ww.ecl.nic.in				
Website of Chief Elector	al officer, H	aryana :-					
www.ceoharyana.nic.in							
e-mail ID : ceo_haryana(@ecl.gov.in						
Note:- For any Inquiry Officer (B.L.O)	Regarding	Electoral	Registration	Contact	the	Booth	Level
Name:	Tel. No.			P.S.No.			

(This page should be thick enough so that it does not get mutilated/damaged in postal transit)

Intimation of action taken

(Section-II of the page is to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address as given by the applicant in Section-I)

Section – I

The application in Form 6 of	
Shri/Smt	
(Full Address)	
House/Door Number	
Street/Area/Locality/Mohalla/Road:	
Town/village:	
Post Office:	
Tehsil/Taluka/Mandal/Thana:	
District:	
**To be filled in by the applicant:	
Se	ection – II
_	Smt/Kumari has been registered at art No of AC No
(b) Rejected for the reason	
Date:	Electoral Registration Officer
	(Address)

Guidelines for filling up the Application Form - 6

General Instruction

Who can file Form-6

- 1. First time applicant on attaining age of 18 years or more on the first day of January of the year with reference to which the electoral roll is being revised.
- 2. Persons shifting his/her place of ordinary residence outside the constituency in which he/she is already registered

When Form 6 can be filed.

- 1. The application can be filed after draft publication of electoral roll of the constituency. The application is t be filed within the specific days provided for the purpose. Due publicity is given about the above period when the revision programme is announced.
- 2. Only one copy of the application is to be filled.
- 3. Application for inclusion of name can be filed through out the year even when the revision programme is not going on. During non-revision period, application must be filed in duplicate.

Where to file Form-6

- 1. During revision period, the application can be filed at the designated locations where the draft electoral roll is displayed (mostly polling station locations) as well as the Electoral Registration Officer and Assistant Electoral registration Officer of the constituency.
- 2. During other period of the year when revision programme is not going on, the application can be filed only with the Electoral Registration Officer.

How to Fill the Form-6

The application should be addressed to the electoral Registration Officer of the constituency in which you seek registration. The name of the constituency should be mentioned in the blank space.

Name (With Documentary Proof)

The name as it should appear in the electoral roll and Electors Photo Identity Card (EPIC) should be furnished. The full name except the surname should be written in the first box and surname should be written in the second box. In case you do not have a surname, just write the given name. Caste should not be mentioned except where the

caste name is used as part of the elector's name or a surname. Honorific appellations like Shri, Smt., Kumari, Khan, Begum, Pandit etc. should not be mentioned.

Age (With Documentary Proof)

The age of the applicant should be eighteen or more on 1st January of the year with reference to which the electoral roll is being revised. The age should be indicated in years and months.

e.g. A person born on or upto 1/1/1993 will be eligible for inclusion in the electoral roll which is being revised with reference to 1/1/2011. Persons born on 2/1/1993 or thereafter upto 1/1/1994 shall be eligible for inclusion during the next revision with reference to 1/1/2012.

Write your sex in full in the space provided e.g. Male/Female/Others. Applicants may indicate their sex as "Other" where they do not want to be described as male or female.

Date of Birth (With Documentary Proof)

Fill up the date or birth in figures in the space provided in dd/mm/yyyy. Proof of date of birth to be attached are as under.

- (a) Birth certificate issued by a municipal Authorities or district office of the Registrar of Births & Deaths or Baptism certificate; or
- (b) Birth certificate from the school (Govt./Recognized) last attended by the applicant or any other recognized educational institution; or
- (c) If a person is class 10 or more pass, he should give a copy of the mark sheet of class 10, if contains date of birth as a proof of date of birth; or
- (d) Mark sheet of class 8 if it contains date of birth; or
- (e) Marksheet of class 5 if it Contains date of birth or
- (f) A declaration in prescribed format given in Annexure-1 made by either of his parents if the person is not educated till class 10 (in those cases where parental declaration is given as proof age. the applicant will have to be present himself for verification before BLO/ERO/AERO), or
- (g) A certificate of his age given by a sarpanch of the concerned Gram Panchyat or by a member of the concerned Municipal Corporation/Municipal Committee, the person is not educated till class 10 and both the parents are not alive.
- (h) Indian Passport

Note: Documentary proof of age will be required only in those cases, where age if the applicant is between 18 and 21 years. In all other cases declaration of his age by the applicant will be taken as proof of age

6. Place of birth

In case born in India, Please mention name of place like village/Town, District, State.

7. Relation's Name

In case of unmarried female, applicant, name of Father/Mother is to be mentioned.

In case of married female applicant, name of Husband is to be mentioned. Strike out the inapplicable options in the column.

8. Place of Ordinary Residence.

Fill up the full and complete postal address including PIN code where you are ordinarily residing and want to get registered, In the space provided.

Proof of ordinary residence to be attached are as under:

- (i) Bank/Kisan/Post Office current Pass Book, or
- (ii) Applicants Ration Card/Passport/Driving License/Income Tax Return Filed or Order, or
- (iii) Latest Water/Telephone/Electricity/Gas Connection Bill for that address, either in the name of the applicant or that of his/her immediate relation like parents etc, or
- (iv) Postal department's posts received/delivered in the applicant's name at the given address.

Note: In case of homeless persons, the BLO will visit the address given in Form6 at night to ascertain that the homeless person actually sleeps at the place which is given as his address in form6, if the BLO is able to verify that the homeless person actually sleeps at the place, no documentary proof of place of residence shall be necessary. BLO must visit for more than one night for such verification.

9. Details of family Members Already Included in the Electoral Roll, Please fill up name and other particulars of immediate family members i.e. Father/mother/Sister/Spouse included in the current electoral roll of the constituency. Name of any other relation like uncle . aunt ,cousin brother/Sister etc not to be mentioned.

10. **Declaration**

Please indicate dare from which you are residing in the given address. In case the exact date is not known fill-up month and year.

If your name is already included in the electoral roll of any other constituency, please write legibly the full previous address with Pin code.

If you already have been issued with a Photo Identity Card by the Election Commission, Please mention the card number (printed on the front side) and date of issue (printed on the back side) of the card in the space provided. Please attach a self-attested photocopy of both sides of the card.

Miscellaneous

In many places the photograph of the elector is also printed in the electoral roll. You have the option to submit one recent colored passport –size photograph alongwith the form The photograph will be used to print your image in the electoral roll and issue of identity card, If required.

Please also give your full name and address on the acknowledgement and intimation portions.

Please give your mobile number and e-mail I.D. in the form, which is optional, as the same, if given may be used by the Electoral Registration officer for further communication with the applicant whenever required.

जमीन क्या है/जायदाद का बैनामा क्यों जरूरी है

प्रश्न1 जमीन/जायदाद का बैनामा से क्या अभिप्राय है?

उतर जायदाद/जमीन का बैनामा से अभिप्राय है – वह दस्तावेज जिस द्वारा अचल सम्पति का मालिकाना हक प्राप्त करना है।

प्रश्न3 भूमि का पंजीकरण कैसे प्राप्त होता है?

उतर भूमि का पंजीकरण स्थानीय पंजीकरण अधिकारी राजस्व कार्यलय (तहसील/उप-तहसील) के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

प्रश्न4 भूमि के पंजीकरण के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?

- उतर 1) मालकन सबूत फर्द, जमाबन्दी/पुरानी पंजीकरण/इंतकाल
 - 2) तसदीक के लिए दोनो पक्षों का वोट पहचान पत्र/राशन

कार्ड/लाईसेंस

3) मुख्तियारनामा जहां पर मुख्तियारनामा बनाया गया है उसकी तसदीक

प्रश्न2 भूमि का बैनामा कहां पर होता है?

उतर भूमि का बैनामा सम्बंधित तहसील कार्यालय में करवाया जाता है।

प्रश्न3 भूमि का बैनामा कौन लिख सकता है?

उतर भूमि का बैनामा सरकार द्वारा नियुक्त दस्तावेज लेखक या वकील द्वारा लिखा जा सकता है।

प्रश्न4 बैनामा की क्या प्रक्रिया है?

उतर बैनामा करवाने के लिए स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए राज्य सरकार के खजाना कार्यलय में स्टाम्प पेपर की कीमत जमा करवा कर पेपर निकलवाये जाते हैं उन पेपरों पर बैनामा लिखा जाता है। जिस पर दोनो पक्ष, गवाह व दस्तावेज लेखक या वकील अपने हस्ताक्षार करते हैं उसके बाद दस्तावेज संबंधित तहसीलदार के सम्मुख पेश किये जाते हैं और निर्धारित रिजस्ट्रेशन फीस की रसीद कटती है। तदोपरान्त संबंधित तहसीलदार दस्तावेज की रिजस्ट्री करता है।

प्रश्न5 इन्तकाल क्या है?

उतर जमीन में किसी भी मलिकयत को बदलाव करने के लिए जो दस्तावेज माल अधिकारी (रेवन्यू आफॅसर) द्वारा तसदीक किया जाता है उसे इन्तकाल कहते है।

प्रश्न6 इंतकाल के बदलाव के क्या कारण हो सकते है?

- उतर 1) पेतृक मालिक की मृत्यु के कारण
 - 2) परिवारिक विभाजन से
 - 3) रहन/बैंक लोन के दायित्वों से बैंको द्वारा रिलीज करने पर और बैंक ऋण वापसी पर
 - 4) अदालत के आदेश पर अदालत डिक्री
 - 5) जन उपयोग के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहण
 - 6) गरीब लोगों को सरकार द्वारा जमीन प्रदान करना

प्रश्न7 भूमि का इंतकाल कैसे होता है?

उतर भूमि का इंतकाल संबंधित तहसील में पूरे दस्तावेजों के साथ जैसे कि पंजीकृत बैनामा/अदालत के आदेश की कापी या अन्य कोई दस्तावेजों सिहत संबंधित पटवारी के पास दर्ज करवायेगा। जिसकी रसीद आवेदक को दी जायेगी कि कानूनगो तहसीलदार से उक्त तिथि को मंजूर करवायेगा और उसकी तीन कोपियां तसदीक करवायेगा जिसमें एक कोपी संबंधित पटवारी अपने रिकार्ड में रखेगा, दूसरी कापी पटवारी के संबंधित मालखाने में वापिस जायेगी और तीसरी कापी कम्पुयटर आपरेटर के रिकार्ड में होगी।

प्रश्न8 मंजूर शुदा भूमि के इंतकाल की फीस क्या है?

उतर मंजूर शुदा भूमि के प्रत्येक इंतकाल की फीस 100 रू० है।

SALE DEED

This deed of sale is executed on day of month of year by

#	Name	Father's Name	Address	Proxy Name	Proxy type

hereinafter called the "SELLER".

In favour of

#	Name	Father's Name	Address	Proxy Name	Proxy Type

hereinafter called the "PURCHASER".

Whereas, the term SELLER and PURCHASER, unless repugnant to the context shall mean and include there representatives heirs, successors, executors, administrators, trustees, legal representatives and assigns.

Whereas, the SELLER herein, is the sole and absolute owner of immovable property with following details

#	PropertyType	Khewat No.	Khatoni No.	Khasra No./Property No.	Area

Structure Details

#	Covered area in sq ft	Class of Construction

and morefully described in the schedule hereunder written and hereinafter called the schedule property.

Whereas, the SELLER is the absolute owner, having acquired the property, by and since then SELLER has been in possession and enjoyment of the schedule property and paying taxes and levies thereon, as sole and absolute owner thereof.

Whereas the SELLER herein being desirous of selling the Schedule property due to the reason

Whereas the PURCHASER has agreed to purchase the schedule property in terms an oral / written agreement for a total sale consideration of Rs. (Rupees only) and the purchaser in terms of aforesaid oral / written agreement agreed to pay the entire sale consideration at the time of execution of the sale deed.

Whereas in consideration of the purchaser having paid the entire sale consideration Rs. (Rupees only) as aforesaid the receipt of which has been duly acknowledged by the

SELLER, who acquits the purchaser from making any further payment towards sale consideration, the SELLER, as beneficial owner, DOES HEREBY GRANT, CONVEY, TRANSFER, BY WAY SALE AND ASSIGN unto and in favour of the purchaser of the schedule property and every part thereof together with the right, title and interest therein, with all the benefits advantages, concessions, licenses, hereditaments, easementary rights, equities, claims, demands, privileges, appurtenances or any other things hidden in the earth belonging to or appurtenant thereto etc., attached to belonging to and reputed to belong to the Schedule property TO HOLD, TO POSSESS AND TO ENJOY the same forever free from all encumbrances, charges, all kinds of mortgage, agreement to sell, court litigation's and any other statutory charges.

Whereas the SELLER hereby declares and covenants with the purchaser that he is the sole and absolute owner of the Schedule property and has a clear, legally valid and marketable title thereto and therefore, an absolute right to sell and convey the same to the purchaser in terms of this deed.

The SELLER further declares that he has not done any acts, deeds or things so as to curtail, restrict or prejudice his right to convey or prevent him from selling the Schedule property in terms of this deed. Whereas the PURCHASER having now paid the entire sale consideration as detailed below, has requested the SELLER to execute the Sale deed in his favour and the SELLER has duly agreed thereto.

NOW THEREFORE THIS DEED OF ABSOLUTE SALE WITNESSETH AS HEREUNDER:

- 1. The SELLER hereby confirms that the PURCHASER has paid the entire sale consideration as under:
- a). Amount paid by Cheque No. or in Cash on dated Rs.
- b). Remaining amount paid by Cheque or D.D. or Pay order before Sub-Registrar at the time of Registration of this Sale deed Rs.

 Total Rs. (Rupees only).

Whereas the SELLER hereby further declares that the schedule property is free from all encumbrances, lien, charge, mortgage, lease, court or other attachments, lis-pendens, acquisition and requisition proceedings, minor's claims or any other adverse proceedings or claims from third parties which are in any way detrimental to the interest of the PURCHASER.

Whereas the SELLER hereby assures the PURCHASER that all taxes and levies on the Schedule property have been paid up to date and arrears if any, till the date of sale deed shall be duly paid by him and future taxes in respect of the Schedule property shall be paid by the PURCHASER.

Whereas the SELLER hereby declares and covenants with the PURCHASER that he shall do or cause to be done all acts, deeds and things which are legally or reasonably required to be done at the instance of the PURCHASER for morefully and perfectly assuring the right, title and interest of the PURCHASER in the schedule property herein conveyed and the PURCHASER shall bear such expenses.

Whereas the SELLER hereby indemnifies and keeps the PURCHASER or his successors-in- title fully indemnified against any loss or liability cost or claims, action or proceedings, if any should arise, at any time in future against him owing to any defect in or for want of clear and marketable title or due to any defect, violation or non-compliance of any of the declarations or covenants herein.

Whereas the PURCHASER shall be the sole and absolute owner of the schedule property with attendant rights of ownership, possession, enjoyment and shall be entitled to deal with and dispose of the Schedule property as deems fit without any interference, obstruction or hindrance from the SELLER or any one claiming under, through or in trust for him.

Whereas the SELLER has this day delivered the vacant possession of the schedule property to the PURCHASER along with all the available original title deeds and documents which are in his possession pertaining to or relating to the schedule property.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

(Conveyed under this deed)

:	#	PropertyType	Khewat No.	Khatoni No.	Khasra No./Property No.	Area

Structure Details

#	Covered area in sq ft	Class of Construction

Bounded by:- On the East : On the West : On the South : On the

North:

Market value of the property conveyed under this deed is Rs. (Rupees only).

The Stamp duty is paid on the market value as computed above.

IN WITNESS WHEREOF the parties herein have affixed their respective signatures to this deed at on this day of year in presence of the witness:

WITNESSES:

	Name	Address	Signature
Witness of Seller			
Witness of Buyer			

[1 If the seller is represented by his agent such as guardian or general power of attorney holder or special power of attorney holder, then his full name, occupation, age, address and capacity under which he represents the SELLER shall be entered]

[2 if the purchaser is represented by his agent such as guardian or general power of attorney holder or special power of attorney holder, then his full name, occupation, age, address and capacity under which he represents the purchaser shall be entered]

[3Full details of the property number such as Khata number, street/road with reference to the local authority records and boundaries shall be furnished. If the land sold is an agricultural land, details of the survey number, acre, guntas, revenue assessment and boundaries of the land sold with reference to the revenue records should be furnished. If the property purchased is a Flat/Apartment details of the property on which the Flat / Apartment is constructed, flat number, floor number, name of the apartment etc., full details of the property so as to identify shall be furnished.]

[4.Describe whether the ownership is acquired by inheritance or by partition of joint family property or by

release or by gift or by settlement or by will (bequeath) or by sale deed executed by registered as document No. of Book No. , Volume No. , Page No. in the office of the Registrar or Sub-Registrar]

[5.To clear of the debt / for higher education of children / to defray medical expenses/domestic necessities]

[6.Full details of the property number such as Khata number, street/road with reference to the local authority records and boundaries shall be furnished. If the land sold is an agricultural land, details of the survey number, acre, guntas, revenue assessment and boundaries of the land soldwith reference to the revenue records should be furnished. If the property purchased is a Flat /Apartment details of the property on which the Flat / Apartment is constructed, flat number, floor number, name of the apartment etc., full details of the property so as to identify shall be furnished.]

इन्तकाल मंजूर करवाने के लिये आवेद न-पत्र

किस्म इन्तकाल	_:	बैयनामा / हिब्बानामा / विरासत / दस्तबरदारीनामा /
		पटटानामा / तबदील मलिकयत / तकसीम / रहन बा कब्जा /
		फकरहन / फकपटटा / अखराजनामा
प्रथम पक्ष	:	
(हाल मालिक जमीन)		
द्वितीय पक्ष	:	
(जिसके पक्ष में		
इन्तकाल होगा)		
दस्तावे ज साथ सं ल ग्न	:	
तिथि		प्रार्थी
		الم الا
	• • • • • • • • • •	

संलग्न दस्तावेजो की सूचि (Check List for Intkal)

क्र0	किस्म इन्तकाल	दस्तावे जों की सूचि
1	बैयनामा, हिब्बानामा, दस्तबरदारीनामा	रजिस्टर्ड वसीका की कापी
	पटटानामा, रहन बा कब्जा के लिये	
2	विरासत के लिये	वसीयत की कापी व मृत्यु प्रमाण-पत्र या
		मृत्यु प्रमाण-पत्र व वारसान की सूचि सहित प्रार्थना-पत्र
3	तबदील मलिकयत व तकसीम	कोर्ट आर्डर की कापी या आपसी फैसले की सत्यापित
		कापी
4	फकरहन	आपसी फैसले की सत्यापित कापी
5	फकपटटा	पहले पटटे की कापी व पटटे की तिथि समाप्त होने का
		प्रमाण

जमाबन्दी/इन्तकाल की नकल लेने के लिये आवेदन-पत्र ।

प्राथी

नकल	:	जमाबन्दी / इन्तकाल
गां व का नाम	:	
प्रार्थी का नाम	:	••••••
पिता का नाम	:	
खे व ट नं.	:	
खाता नं.	:	••••••
खसरा नं.	:	••••••
इन्तकाल नं.		: तिथि
नकल की सं ख् या (कापी)		

तिथि:

मोटर वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र

प्रश्न1 मोटर वाहन पंजीकरण क्या है?

उतर किसी भी नये या पुराने वाहन को पंजीकरण के द्वारा सरकारी रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाना मोटर वाहन पंजीकरण कहलाता है।

प्रश्न2 मोटर वाहन पंजीकरण की अवधि कितने समय के लिए होती है?

उतर मोटर वाहन पंजीकरण की अधिकतम अवधि 15 वर्ष है।

प्रश्न3 मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या दस्तावेज लगते हैं?

- उतर 1. निर्धारित फार्म न० 20 पर मोटर वाहन निरीक्षक की रिपोर्ट।
 - 2. फार्म नं० 21 (मूल रूप में)।

 - 4. बिल की वास्तविक प्रति।
 - 5. पंजीकरण फीस।
 - 6. बीमा प्रमाण-पत्र की प्रति।
 - 7. अस्थाई नं० की वास्तविक प्रति।
 - 8. निवास स्थान की दो सत्यपित प्रति।
 - आयकर फार्म नं० 60 या पैन नम्बर।

प्रश्न4 मोटर वाहन पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया क्या है?

उतर मोटर वाहन पंजीकरण सरकार द्वारा निर्धारित फार्म भरकर, मोटर वाहन निरीक्षक के कार्यलय में प्रस्तुत किया जाता है जिसकी सस्तुति पर पंजीयन अधिकारी के कार्यलय द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

सिखाई ड्राईविंग लाइसैंस

प्रश्न1 सिखाई ड्राईविंग लाइसैंस कीन ले सकता है?

उतर जिसने 18 साल की आयु पूरी कर ली है वह 50cc के बिना गियर के वाहन के लिए सिखाई ड्राईविंग लाइसैंस ले सकता है और जिसने 16 साल की आयु पूरी कर ली है वह भी उक्त वाहन के लिए सिखाई ड्राईविंग लाइसैंस ले सकता है लेकिन इसकी अनुमति माता-पिता या अभिवाहक को प्रदान करनी होगी।

प्रश्न2 सिखाई ड्राईविंग लाइसैंस कितनी अवधि के लिए बनता है?

उतर सिखाई ड्राईविंग लाइसैंस 6 महीने की अवधि के लिए बनता है।

प्रश्न3 सिखाई ड्राईविंग लाइसैंस बनवाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज लगते हैं?

- उतर 1. फार्म नम्बर 1 (मेडिकल प्रमाण पत्र) और ख़ुन का ग्रुप।
 - 2. फार्म नम्बर 2 (सिखाई ड्राईविंग लाइसैंस की अनुमित के लिए) प्रार्थी की फोटो व हस्ताक्षर।
 - 3. निवास प्रमाण पत्र (वोट कार्ड/पासपोर्ट/टेलीफोन/बिजली बिल और राशन कार्ड वगैरा)
 - 4. आयु प्रमाण पत्र।
 - 5. स्वंय घोषित सर्टीफिकेट।
 - 6. दो छायःप्रति
 - 7. निर्धारित फीस

फीस

लाइसैंस की श्रेणी	स्वस्थ्य फीस	सेवा	लाइसैंस फीस	टोटल फीस
स्कूटर⁄मोटर साईकल	150/-	50/-	30/-	230/-
स्कूटर/मोटर साईकल/कार	150/-	50/-	60/-	260/-
स्कूटर/मोटर साईकल/कार/टरेक्टर	150/-	50/-	90/-	290/-

प्रश्न4 सिखाई ड्राईविंग लाइसैंस लेने की प्रक्रिया क्या है?

उतर सिखाई ड्राईविंग लाइसैंस सरकार द्वारा निर्धारित फार्म भरकर मोटर वाहन ईस्पैक्टर की सस्तुति पर उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा बनाया जाता है।

स्थाई ड्राईविंग लाइसैंस

प्रश्न1 स्थाई लाइसैंस बनवाने की क्या शर्तें है?

उतर स्थाई लाइसैंस लेने के लिए प्रार्थी के पास वैध सिखलाई लाइसैंस होना चाहिए। सिखलाई लाइसैंस के बनने 30 दिन के बाद से 180 दिन के बीच में वह आवेदन कर सकता है। आवेदक को वाहन प्रणाली, ड्राईविंग, ट्रैफिक नियम आदि का जानकार होना चाहिए।

प्रश्न2 स्थाई लाइसेंस कौन बनता है?

उतर स्थानीय उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) के द्वारा स्थाई लाइसैंस बनाया जाता है।

प्रश्न3 स्थाई लाइसैंस कौन ले सकता है?

उतर कोई भी व्यस्क जिसने 18 साल की आयु पूरी कर ली है वह ड्राईविंग लाइसैंस के लिए पात्र है।

प्रश्न4 स्थाई लाइसैंस कितनी अवधि के लिए बनता है?

उतर स्थाई लाइसैंस ज्यादा से ज्यादा 20 साल की अवधि तक बन सकता है।

प्रश्न5 स्थाई लाइसैंस बनवाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज लगते हैं?

- उतर 1. फार्म न० 4
 - 2. फोटो।
 - 3. वास्तविक सिखलाई लाइसैंस।
 - 4. निवास प्रमाण पत्र।
 - 5. आयु प्रमाण पत्र।
 - 6. स्वंय घोषित प्रमाण पत्र।

फीस

लाइसैंस की श्रेणी	स्वस्थ्य फीस	सेवा	लाइसैंस फीस	टेस्ट फीस	टोटल फीस
स्कूटर/मोटर साईकल	200/-	100/-	100/-	50/-	450/-
स्कूटर/मोटर	200/-	100/-	100/-	100/-	500/-
साईकल /कार स्कूटर /मोटर	200/-	100/-	100/-	150/-	550/-
स्कूटर/माटर साईकल/कार/टरेक्टर	200/-	100/-	100/-	130/-	330/-

FORM 1

[RULE 5(2)] Application -cum- declaration as to the physical fitness

1 Name of the applicant		
2 Son/wife/daughter of		
3 Permanent Address		
4 Temporary address		
Official address (if any)		
5 (a) Date of birth		
(b) Age on date of application	on	
6 Identification Mark	(1)	
	(2)	
Declaration:		
a) Do you suffer from ep	ilepsy, or from sudden attack of loss of co	nsciousness or
giddiness from any cause	e ?	Yes/No
b) Are you able to distingu	ish with each eye (or if you have held a driv	ing Licence to
drive a motor vehicle for	r a period of not less than five year & if you	lost, the sight
of one eye after the said	period of five years & if the application is	for driving a
light motor vehicle other	er than a transport vehicle fitted with an out	tside mirror on
the steering wheel side)	or with one eye, at a distance of 25 meters in	good day light
(with glasses, if worn) a	motor car number plate ?Yes/No	
c) Have you lost either ha	nd or foot or are you suffering any defect or n	nuscular power
of either arm or leg?		Yes/No
d) Can you readily distingu	ish the pigmentary colours, red and green?	Yes/No
e) Do you suffer from night	blindness?	Yes/No

- f) Are you so deaf as to be unable to hear (and if the application is for driving a light motor vehicle, with or without hearing aid) the ordinary sound signal? Yes/No
- g) Do you suffer from any other disease or disability likely tocause your driving of a motor vehicle to be source of danger to public, if so give detail?

 Yes/No

I hereby declare that the best of my knowledge and belief, the particulars above and the declaration made therein are true.

(Signature or Thumb impression of the applicant)

Note:(1) An applicant who answer Yes' to any the question (a), (c), (e),(f) and (g) or No' to either of the question (b) and (d) should ampligy his answer with full particulars, and may be require to give further information relation there to.

(2) This declaration is to be submitted with medical certificate in Form 1-A.

FORM 1-A Medical Certificate

[To be field in by a Registered Medical practitioner appointed by the state Govt. or person authorised in this behalf by the State Govt. referred to under sub-section (3) of section 8]

section of
1. Name of the Applicant
2. Identification Marks (1)
(2)
(a) Does the applicant to the best of your judgment suffer from any defect of vision. If so, has it been corrected by suitable spectacle?
(b) Can the applicant to the best of your judgment readily distinguish the pigmentary colours red& green?
(c) In your opinion, is he able to distinguish with his eye sight at the distance of 25 meters in good day light a motor car number plate?
(d) In your opinion does the applicant suffer from a degree of deafness which would prevent his hearing the ordinary sound signals?
(e) In your opinion does the applicant suffer from night blindness?
(f) Has the applicant any defect or deformity or less of member which would interfere with the efficient performance of his duties as a driver? If so give your reason in details.
(g) Optional
(a) Blood Group of the applicant
(b) RH factor of the applicant (If the applicant so desires that the information may be noted in his driving Licence. Declaration made by the applicant in Form-1 as to his physical fitness is attached
I certify that I have personally examined applicant
distance vision and hearing ability, the condition of the arm, legs, hands and joints

both extremities of the candidate and to best of my judgment he is medically fit/not fit

to hold a driving Licence.

The applicant is not medically fit to hold a License for the following reasons:-

	Signature
Space for	1. Name and the designation of the medical Officer/Practitioner.
passport size photograph	2. Registration number of Medical Officer
	Signature or thumb impression of the Candidate
Date	

NOTE: The medical officer shall affix his signature over the photograph affixed such a meaner that part of his signature is upon the photograph and part on the certificate.

FORM 2 (See Rule 10) FORM OF APPLICATION FOR THE GRANT OR RENEWAL OF LEARNER'S LICENCE

То	The Licensing Authority,
	

Space for Passport Size Photograph

I hereby apply for a Licence authorising me to drive as a learner, the following motor vehicle(s):-

- (a) Motor cycle without gear
- (b) Motor cycle with gear
- (c) Invalid carriage
- (d) Light Motor vehicle
- (e) Medium goods vehicle
- (f) Medium passengers motor vehicle
- (g) Heavy goods vehicle
- (h) Heavy passenger motor vehicle
- (I) Road Roller

Motor vehicle of description

.....

Particulars to be furnished by Applicant

- 1. Full Name
- 2. Son/Wife/Daughter of
- 3. Permanent address (Proof to be enclosed)
- 4. Temporary address Official address(if any)
- 5. Date of birth (proof of age to age enclosed)
- 6. Educational qualification
- 7. Identification mark(s)
- 8. Optional-Blood Group RH FACTOR
- I hold an effective driving Licence to drive
 (a) Motor cycle/light motor vehicle/medium passenger motor vehicle/medium goods vehicle with effect from

10. Particulars of any driving Licence previously held by applicant Whether it was cancelled and if so, for what reason: 11. Particulars of any learner's Licence previously held up in respect of the description of vehicle to which the applicant has applied. disqualified for holding or obtaining 12. Have you been driving Licence or learner's Licence if so, for what reason. 13. I enclose 3 copies of my recent photograph (passport size photograph) 14. I enclose medical fitness certific- ate dated issued by doctor. 15. I have submitted along with my earlier application of Learner's Licence/enclose the written concent parents/guardian (in case of applicant being a minor) 16. I enclose driving certificate dated issued by (Name & address of the driving school) 17. I have the fee of the Rs. 18. I am exempted the Medical test under rule of Central Motor Vehicle Rules 1989. 19. I am exempted from the preliminary test under rule 11 (12) of Central Motor Vehicle Rules. 1989. Strike out whichever is inapplicable.

Date

Specimen signature or thumb impression of applicant

Specimen signature or thumb impression of applicant

Declaration under	sub-section (2) of sect	ion 7 of the Motor V	Vehicle Act. 1988.
Shri/Kumari	son/daughter of	who is a r	ninor under my care and I
accept responsibility	for his/her driving	If at a late date	I decide not to accept
responsibility for his	s/her driving shall int	imate the licensing a	authority in writing for a
cancellation I give m	y consent for his/her ol	btaining learner's Lic	ence.

Signature
Name & Full address of the
Parent/guardian
Relationship

(To be signed in the presence of the Licensing Authority or person authorized in this behalf by the Licensing Authority)

FOR OFFICE USE ONLY

The applicant is exempted from the medical test under rule 6 and the preliminary test under rule 11 (2) of the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

Learner's Licence may be issued.

The applicant was tested with reference to rule 11 (1) of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 he/she has passed I the test. Learner's Licence may be issued.

he/she has failed in the test. (Reasons should be specified) Learner's Licence may be refused.

Signature of Licensing Authority or Other Person authorised in this behalf.

FORM 4 (See Rule 14) Form of Application for Licence to Drive a Motor Vehicle

To The Licensing Authority		Space of photograph
1 Apply for a Licence to enable	e me to driver Vehicle of the following	g description
 (a) Motor cycle without gear (b) Motor cycle with gear (c) Invalid carriage (d) Light Motor vehicle (e) Medium goods vehicle (f) Medium passengers motor v (g) Heavy goods vehicle (h) Heavy passenger motor veh (I) Road roller Motor vehicle of the following 	nicle	
Particulars to be furnished by Applicant		
 Full Name Son/Wife/Daughter of Permanent address (Proof to be enclosed) Temporary address Official address(if any) Date of birth (proof to be enclosed) Educational qualification Identification mark(s) 		
8. Optional-Blood Group RH FACTOR		
Licence if so give details		
10. Particulars and date of ev conviction which has been of to be endorse on any Licoby applicant	ordered	

11. Have you been disqualified obtaining a Licence to drive so, for what reason.		
12. Have you been subjected to driving test as to your fitnes or ability to drive a vehicle in respect of which a Licence to drive is applied for? If so give the following details.	SS	
Date of test	Testing Authority	Result of test
13. I enclose 3 copies of my rec (Where laminated card is use		ne five centimeters into six centimeters required).
14. I enclose the learner Licence	ee No I	ssued by Licensing Authority.
15. I enclose the Driving Certific	cate No D	ated Issued by
16. I have submitted along with parents /guardian.	application for Lean	rners Licence the written consent of
17. I have submitted along wit	h application for Lic	cence/enclose the medical certificate
18. I enclose form the Medical	test under rule 6 of	Central Motor Vehicle Rule 1989.
19. I am examined from the prel 1989.	iminary test under ru	ale (2) of Central Motor Vehicle Rules.
20. I have paid the fee of rupees.		
I have by declare the best of	my knowledge and	d behalf the particulars give above and
Note - Strike out whichever in a	oplicable.	
Date		
	Sig	nature or thumb impression of applicant

Certificate of test of competent to driver

The applicant has passed the test prescribed u	inder the rule 15 of the Central Motor vehicle
Rules 1989. The test conducted on (enter	r the registration trade and description
of the vehicle	on date
	The applicant has failed in the test
	(The details of deficiency to be listed out)
	(The details of deficiency to be instead out)
Date	Signature of testing Authority
	Ç ,
	Full name & designation
Two specimen signature of applicant	

FORM 1

[RULE 5(2)] Application -cum- declaration as to the physical fitness

1 Name of the applicant				
2 Son/wife/daughter of				
3 Permanent Address				
4 Temporary address				
Official address (if any)				
5 (a) Date of birth				
(b) Age on date of application	on			
6 Identification Mark	(1) _			
	(2)			
Declaration:				
a) Do you suffer from epigiddiness from any cause? b) Are you able to distinguidrive a motor vehicle for a pone eye after the said period motor vehicle other than steering wheel side) or with glasses, if worn) a motor car results.	ish with period d of fiv a tran one ey	of not less than five ye years & if the appropriate the appropriate which is a distance of 2	have held a drive year & if you lo plication is for with an outside	Yes/No ving Licence to st, the sight of driving a light mirror on the
c) Have you lost either hand of either arm or leg?	d or fo	ot or are you sufferi		muscular power Yes/No
d) Can you readily distinguish	h the pi	gmentary colours, red	and green? Yes/N	0

Yes/No

e) Do you suffer from night blindness?

- f) Are you so deaf as to be unable to hear (and if the application is for driving a light motor vehicle, with or without hearing aid) the ordinary sound signal? Yes/No
- g) Do you suffer from any other disease or disability likely to cause your driving of a motor vehicle to be source of danger to public, if so give detail?

 Yes/No

I hereby declare that the best of my knowledge and belief, the particulars above and the declaration made therein are true.

(Signature or Thumb impression of the applicant)

- Note:(1) An applicant who answer 'Yes' to any the question (a), (c), (e),(f) and (g) or 'No' to either of the question (b) and (d) should ampligy his answer with full particulars, and may be require to give further information relation there to.
 - (2) This declaration is to be submitted with medical certificate in Form 1-A.

FORM 1-A Medical Certificate

[To be field in by a Registered Medical practitioner appointed by the state Govt. or person authorised in this behalf by the State Govt. referred to under sub-section (3) of section 8]

1. Name of the Applicant	
2. Identification Marks (1)	
(2)	
a) Does the applicant to the best of your judgment suffer from any defect of vision. If so has it been corrected by suitable spectacle?	ο,
b) Can the applicant to the best of your judgment readily distinguish the pigmentar colours red& green?	:y
c) In your opinion, is he able to distinguish with his eye sight at the distance of 2 meters in good day light a motor car number plate?	25
d) In your opinion does the applicant suffer from a degree of deafness which would prevent his hearing the ordinary sound signals?	ld
e) In your opinion does the applicant suffer from night blindness?	
f) Has the applicant any defect or deformity or less of member which would interfer with the efficient performance of his duties as a driver? If so give your reason in details	
g) Optional	
(a) Blood Group of the applicant	
(b) RH factor of the applicant	
I certify that I have personally examined applicant I also certify the	ıat
while examining the applicant I have direct special attention to the distance vision as	nd
hearing ability, the condition of the arm, legs, and hands and joints both extremities of t	he

The applicant is not medically fit to hold a License for the following reasons:-

candidate and to best of my judgment he is medically fit/not fit to hold a driving License.

Signature

	Signature
Space for passport size photograph	1. Name and the designation of the medical Officer/Practitioner.
	2. Registration number of Medical Officer
	Signature or thumb impression of the Candidate
	Signature of thumb impression of the cundidate
Date	

NOTE: The medical officer shall affix his signature over the photograph affixed such a meaner that part of his signature is upon the photograph and part on the certificate.

Form 9 [See Rule 18 (1)]

Form of application for the renewal of Driving License

I Shri/Smt/Kumari the renewal of my	Son/Wife/Daughter	of	hereby apply
DR	IVING LICENCE.		
 (a) Number (b) Date of issue (c) Licensing Authority by which the (d) License was issued (e) Licensing Authority by which the (f) License was renewed (g) No. and Date of renewal (h) Class of vehicle authorised to be dri (i) Date of expiry of License to dri (j) (I) Transport Vehicle (ii) Vehicles other than transport vehicle M present address is 	ven		
Driving License which is attached and particulars of which are follows If this address is not entered on the License I do/do not wish that it should be entered.			
If this address is not attached, reasons why it is not alive? If the License was not renewed within thirty days of the date of expiry reason for delay. The renewal of License has not been refused by any Licensing Authority. I have not been disqualified for holding or obtaining a driving License. My License has not been revoked. I enclosed a Medical fitness Certificate Form 1 -A. I enclosed three copies of my recent passport photographs. I have paid the fee of Rs. I hereby declare that to the best of my knowledge & belief given above are true.			
Date		Signature or thum	b impression

LL.D. FORM

Application for the issuance of the duplicate driving License as per rules of the Punjab Motor Vehicles Act and rules made there under

То		•	g Authority es,						
Sub:	Issuan	ce of	Duplicate Driv	ing License.					
Sir,									
	It	is	respectfully	submitted	that	the	driving	License	being
No	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		issues	by the licen	sing Au	ıthority	,	h	as been
lost/c	damaged	/mispl	aced by me.						
	The req	luisite	court fee stam	p of Rs				is affixed	on this
appli	cation ar	nd the	said License is	not involved	in any C	hallan o	or for		
Date	d								
							Sign	nature of Ap	plicant

FORM 20

(See Rule 47)
(Form of Application for Registration of a Motor Vehicle)

To The Registering Authority,	
1. Full name of the person to be registered as registered owner, S/o, D/o, W/o	
2. Age of the person to be registered as registered owner (Proof of age to be attached)	
3. Permanent address of the person to be registered as registered owner	
4. Temporary address of the person to be registered as registered owner	
5. Name and address of the Dealer or Manufactured from whom the vehicle was purchased (Sale certificate and certificate of road worthness issued by the manufacturer to be enclosed)	
6. If ex-army vehicle or imported vehicle enclose proof of locally manufactured trailor/semi trailor enclose the approval of design by the State Transport Authority and not the preceeding number and date of approval.	
7. Class of vehicle (If motorcycle, with or without gear)	
8. The Motor vehicle isa) a new vehicleb) Ex-army vehiclec) imported vehicle	

9. Type of body	
10. Type of vehicle	
11. Maker's Name	
12. Month & year of manufacture	
13. Number of cylinders	
14. Horse power	
15. Cubic Capacity	
16. Maker's Classification or in not known wheel base	
17. Chassis number (Affix pencil print)	
18. Engine number	
19. Seating capacity (including driver)	
20. Fuel used in engine	
21. Unladen weight	
22. Particulars of previous registration and registered no, if any	
23. Colour or colours of body, wings and front end	
I hereby declare that the vehicle has not bee Additional particulars to be completed only i motor car.	•
24. Number description and size of tyres	
a) Frontb) Rear Axlec) Any other axled) Tandem axle	

25. Gross vehicle weight	
a) as certified by the manufacturer b) to be registered	
26. Maximum axle weight	
(a) Front axle(b) Rear axle(c) any other(d) Tandem axle	
27. (a) Overall length (b) Overall length (c) Overall height (d) Over hang	
The above particulars are to be filled in a saxle foran articulated vehicle of three or more where a second semitrailer of additional sum vehicle the following particulars are to be furnished.	axle or to the extent applicable for trailer the registered with an articulate motor
28. Type of body29. Unladen weight30. Number of description and size of tyres on each axle	
31. Maximum axle weight in respect of each ax 32. The vehicle is covered by a valid certificate of insurance under chapter XI of the Act	le
No date of	(name company)
33. The vehicle is exempted from Insurance. order is enclosed	The relevant Valid for on to
34. I have paid the prescribed fee or rupee	
Date	Signature of the person to be registered as registered Owner

Note: The motor vehicle above described is (I) Subject to hire purchase agreement of leas	e agreement with
(II) Subject to hypothecation in favour of	•
* * *	ment of lease agreement or subject to
Strike out whichever is inapplicable if this su of the person with whom such agreement has be	
Signature of person with whom an agreement of	Signature of the owner
Hire purchase lease or hypothecation has been e to be registered as registered owner (1) (2) (3)	ntered into Spacemen signature of the person
CERTIFI Inspected th	
Certified that the particulars contained in the compiles with the requirements of the Motor under.	
	Signature of the authority Name
	Designation
For office end	dorsement
Ref. No	Office of the Date
The bearing chassis number assigned the registration under the registered is vehicle is subject to an agreement of hire purchase.	n the name and the
	Registering Authority (Name and address of the financer)

File name: form20.doc

FORM 28 Application for and grant of no objection certificate See Rule 54, 58(1) (3) and (4)

Form of application for No Objection and grant of certificate to be made in triplicate, the duplicate copy and the triplicate copy with the endorsement of the registering authority to be returned to the owner of the vehicle and the registering authority in whose jurisdiction the vehicle is to be removed, respectively)

PART-1

To

The Registering Authority, Motor Vehicle.....

I/we intent to transfer the vehicle to the jurisdiction of thereof the Registering Authority.....

I/we intend to the sell the vehicle to Shri/Smt/Kumari.... who resides in the jurisdiction of the Registering Authority.........of the State ofI/we therefor request for the issue of a no objection certificate for my/our vehicle the particulars of which are furnished:-

- 1. Name and address
- 2. Son/wife/daughter of
- 3. Registration number of the vehicle.
- 4. Class of vehicle
- 5. Registration Authority which originally registered the vehicle
- 6. Engine number
- 7. Chassis number-Affix pencil print
- 8. Period of stay in the state
- 9. Period up to which motor vehicle tax has been paid.
- 10. Whether any demand fox tax is pending, if so,
- 11. Whether the vehicle is involved in the theft cases, if so, give details
- 12. Whether any action under section 53, 53, or 55 of the motor vehicle Act 1988 is pending before, any Registering Authority or other prescribed authority if so, give details
- 13. Whether the vehicle is involved in any case of transport of prohibited goods, if so, give details. I/we solemnly declare that above statement is true
- 14. Permit Number (in case of Transport Vehicle)
- 15. Whether the Vehicle is held an agreement of hire purchase? (if so, name of the concerned be mentioned)

PART-II

(Grant/refusal of No objection Certificate, under sub-section 3 of section 48 of M.V.Act.1988)

• •	spect of the vehicle the detailed particulars whereof under section 48 (3) of M.V.Act. 1988
• •	espect of the vehicle the detailed particulars thereof under section 48 (3) of M.V. Act. 1988 for the reasons
	Signature with seal of Registering Authority
Date	Address
То	
(Registered owner)	
copy in the registering authority	(By registered post of
	delivered under proper acknowledgment)

Strike out whichever is in applicable

PART-III

Office Endorsement

No	Date	office of the	
Acknowledgment for th	e receipt of application	for No obje	ection certificate
of a "No objection Cer	tificate in respec	t of vehicle r	address) for the grant numberhas been er consideration
Date		Signatui	re of Registering Authority of the person authorized by him Official Seal
То			
(Registered Owner)		•	registered post of delivered ler proper acknowledgment

Form 26 (See Rule 53)

Intimate of loss or destruction etc. of the Certificate of Registration and application for the issue of duplicate Certificate of Registration.

(To be made in duplicate if the vehicle is held hypothecation/ lease and the duplicate copy with to be returned to the Registering Authority.	
Sir,	
The Certificate of Registration of my/our M which is has been lost/destroy/tern/multilated in the following circumstances.	9
I/we hereby declare that the best of my/our knowle been suspended or cancelled under the provisions under and the circumstances explained above are tr	of the Act. or rules made there
I/we hereby apply for the issue of a dup. The write a off/soiled/torn/multilated Certificate is not held under any agreement of her-purchase/le reported the loss to Police Station on	e of registration is enclosed. The vehicle as/hypothecation. I/We have
Date	Signature/Thumb impression of applicant along with full address
Strike out whichever is inapplicable. The vehicle is hold under hire purchase/lease/hypo and the No Objection Certificate obtained from the	
(Where 'No Objection Certificate' is not enclosed required sub-section (8) of Section (51).	applicant shall make a declaration as
	Signature of the owner Name

Specimen signature of the owner (1)

- Note:- (1) Full particulars of the circumstances shall be furnished in the case of lose or ditruction of the Registration Certificate.
 - (2) Strike out whichever is inapplicable.

For Office Endorsement Number Date Office of the A duplicate Certificate of registration as requested above is issued with the note agreement of hire purchase/lease/hypothecation on and is noted in the original registration. Record in Form 24.
Signature of the registering Authority
То
(Name and address of the financier By registered post or delivery under proper acknowledgement

शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भ¹ं॥ योजना

प्रश्न1 बेरोजगारी भोग स्कीम के नियम व शर्तें क्या है?

उतर बेरोजगारी भत्ता स्कीम के नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं:-

- 1. प्रार्थी हरियाणा का निवासी हो।
- 2. उसने 10 जमा 2 परीक्षा पास की हो

अथवा

प्रार्थी ने मैट्रिक की परीक्षा के पश्चात 2 वर्षीय सार्टिफिकेट/डिप्लोमा हिरयाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय से किया हो।

3. प्रार्थी स्नातक या उससे उपर का डिग्रीधारी हो

अथवा

10 जमा 2 की परीक्षा के बाद कोई 3 वर्षीय सार्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स किया हो।

- 4. प्रार्थी राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में पहली नवम्बर को प्रत्येक वर्ष (कम से कम तीन वर्ष से) पंजीकृत हो।
- 5. प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से (पत्नी/ पित की आय सिहत) 50 हजार से अधिक न हो या

परिवार के पास 10 लाख से अधिक मुल्य की कोई रिहायशी या वाणिज्यिक सम्पति या 2 हैक्टेयर से अधिक कृषि भूमि न हो।

(परिवार में प्रार्थी स्वयं, उसके पत्नी/पति उसके माता पिता तथा अविवाहित भाई व बहनें शामिल है। शादी शुदा महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जाएगा न कि माता पिता भाई बहन। स्वयं का अलग परिवार का दावा करने वाले प्रार्थी को अपना अलग राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसे प्रार्थी अपने माता-पिता का राशन कार्ड भी प्रस्तुत करेगें)

- 6. प्रार्थी की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए।
- 7. प्रार्थी विद्यार्थी /प्रशिक्षण /अप्रेटिस न हो ।
- 8. प्रार्थी का पति /पत्नी नौकरी में न हो।
- 9. प्रार्थी रोजगार में न लगा हो।

- 10. प्राथी सरकारी सेवा से पदच्युत / हटाया गया हुआ न हो।
- 11. प्रार्थी किसी मामले में 6 मास या इससे अधिक सजा ना भुगता हो।

प्रश्न2 प्रार्थना पत्र के साथ कौन से दस्तावेज देने अवश्यक हैं?

उतर प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित देस्तावेज देने अवश्यक हैं:-

- 1. प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी अपने पहनाच पत्र एक्स-10 की प्रति।
- 2. राशन कार्ड की प्रति।
- 3. रिहायशी प्रमाण पत्र की प्रति।
- 4. एफिडेविट के नमूने अनुसार प्रार्थी द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र।
- 5. दो फोटो।

प्रश्न3 बेरोजगारी भोंग का भुगतान केसे किया जाता है?

उतर वेरोजगारी भत्ते का वितरण त्रैमासिक आधार पर बैकों के माध्यम से किया जाता है।

प्रश्न4 बेरोजगारी भंगा के लिए बैंको में खाता कौन खुलवाता है?

उतर पात्र पाये जाने वाले प्रार्थीयों को रोजगारी अधिकारी अपने लघु हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर लगे हुये नामित बैंक में खाता खोलने का फार्म देंगे। प्रार्थी बैंक में खाता खुलवाने उपरान्त संबंधित रोजगारी अधिकारी को अपना खाता संख्या सूचित करेगा।

प्रश्न5 जांच किस अधिकारी द्वारा की जाती है?

उतर प्रत्येक रोजगार अधिकारी हर तिमाही में कम से कम 100 केसों का व्यक्तिगत निरीक्षण करेगा तथा प्रात्रता सूचि में इसका उल्लेख करेगा। इस योजना की वर्ष में एक बार हर स्तर पर समीक्षा की जाती है।

प्रश्न6 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की बेरोजगारी भेगा दरें क्या है?

उतर शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की बेरोजगारी भत्ता दरें निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	शैक्षिक योग्यता /श्रेणी	1.4.09 से लागू संशोधित दरें (amended)
1.	10+2 व उससे अधिक योग्यता (गैर विज्ञान विषयों के पुरूष)	500/- प्रतिमास
2.	10+2 व उससे अधिक योग्यता (विज्ञान विषयों के पुरूष)	750/- प्रतिमास

3.	10+2 व उससे अधिक योग्यता (सभी महिलाऐं)	900/- प्रतिमास
4.	स्नातक व उससे अधिक योग्यता (गैर विज्ञान विषयों के पुरूष)	750/- प्रतिमास
5.	स्नातक व उससे अधिक योग्यता (विज्ञान विषयों के पुरूष)	1000/- प्रतिमास
6.	स्नातक व उससे अधिक योग्यता (सभी महिलाऐं)	1500/- प्रतिमास

DEPARTMENT OF EMPLOYMENT HARYANA

EMPL	OYMENT	EXCHANGE	

APPLICATIION FOR UN EMPLOYMENT ALLOWANCE

1.	Name of the applicant	
2.	Father's Name	
	Spouse Name	
3.	Registration No and Date	
4.	N.C.O. No.	
5.	Complete residential address	
6.	Date of Birth	
Ma 2Y Gra	tailsofexamination passed Year of tric, 10+2 OR any other ear certificate/diploma course after aduation degree OR above OR ear certificate/diploma after 10+2	Passing Nameof_Board/UM Matric.
Wh	nether Husband /Wife is employed	Yes/No
	nily annual income from all sources	
Fan	nilyannual income from all sources	Familyannual income from all sources (For Married female candidates)
Fat	her	Father-in –Laws
Mo	other	Mother-in –Laws
Wi	fe	Husband
Bro	other	Brother -in-Laws
Sis	ter	Sister-in-Laws
Tot	al Income	
Det	tail of Property Area	Location Value
(i)	Residential Property	
(ii)	Commercial Property	
) Agriculture Land	Signature of the applicant
	ated	
	Signature/	Thumb impression of the of the Family

Verification about commercial/ Residential property by Patwari/ Municipal Official Verification about commercial/residential property by Tehisldar /Naib Tehsildar /E.O.M.C

For office use

Name of the Bank & A/C No._____

Attestation of residential or commercial property by Sub Divisional Officer (Civil)

	Af	fidavit				
I		Resident of	solemnly			
	and declare that		·			
	I am an unemployed and a do I have passed my Board/University/Institution r	examination from				
3.	I am registered with the Empl	oyment Exchange and my				
4.	My annual family income from the exceed Rs.50,000/- or	m all sources including that of s the family does not have resi ing Rs. 10.00 lacs in value or	dential or			
5.	I am in the age group of 21-35	years.				
6.	I am not a student /trainee/ap	oprentice.				
7.	My wife/husband is not an en	nployee.				
	8. I am not self-employed.					
	I am not a dismissed Govt. em					
10.		any offence resulting in impriso	onment for			
11.	employment and the concerning ineligible for unemployment	lowance and inform the depanded bank branch in case of my allowance. I further undertake me with interest, for any period	becoming to refund			
	Place:					
	Date:	Deponent				
	<u>Ver</u>	<u>ification</u>				
	solemnly declare that all the fadge and belief and nothing has	acts given above are true to the lebeen concealed.	beat of my			
	Place:					
	Date:	Deponent				

<u>Affidavit</u>

S/o, D/o, W/o ShRe	sident of
solemnly affirm and declare that:-	
1. I am still unemployed.	
2. I will inform the Employment Exchange immediately as an	nd when I get a
job through my own efforts/ Employment Exchange	
3. THE VALUE OF COMMERICIAL/residential property not exceeds Rs.10 lacs.	of my parents does
4. I will repay the excess mount if any paid to me by Employ	ment exchange.
5. I am not taking unemployment from any other Employment	ent Exchange.
Place:	
Date:	Deponent
<u>Verification</u>	
solemnly declare that all the facts given above are true to knowledge and belief and nothing has been concealed.	the beat of my
Place:	
Date:	Deponent

वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र

प्रश्न1: वरिष्ठ नागरिक किसे कहते हैं ?

उत्तरः कोई भी व्यक्ति या महिला जिसने साठ वर्ष की आयु पूरी कर ली हो वह वरिष्ठ नागरिक कहलाता है।

प्रश्न2: वरिष्ठ नागरिक के पहचान पत्र का क्या अभिप्राय है ?

उत्तरः पहचान पत्र वरिष्ठ नागरिक की आयु का प्रमाण पत्र है।

प्रश्न3: वरिष्ठ नागरिक के लिए पहचान पत्र का आवेदन कहां किया जाता है ?

उत्तरः पहचान पत्र बनवाने के लिऐ व्यक्ति द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र देना होता है।

प्रश्न4: विरष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनवाने के लिए कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है ?

उत्तरः पहचान पत्र के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

1. तसदीक की हुई राशन कार्ड की कापी

2. दो फोटो

3. तसदीक किया हुआ आयु प्रमाण पत्र

4. तसदीक किया हुआ वोटर कार्ड

प्रश्न5: वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र किस अधिकारी द्वारा बनाया जाता है ?

उत्तरः वरिष्ठ पहचान पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी की संस्तुति (Recommendation) पर संबंधित उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा बनाया जाता है।

प्रश्न5: वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र का प्रयोग कहां पर होता है ?

उत्तरः वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उनके कल्याण के लिए भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा घोषित की गई कई प्रकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए होता है।

APPLICATION FORM FOR ISSUANCE OF SENIOR CITIZEN IDENTITY CARD/ RENEWAL OF IDENTITY CARD.

			Photo		Photo
1.	Name	•••	•••••	•••••	•••••
2.	Father's/Husband's Name	•••	•••••	•••••	••••••
3.	Date of birth/Age	•••	•••••	•••••	••••••
4.	Whether domicile of Haryana	•••	•••••	•••••	•••••
5.	Permanent Address	•••	•••••	•••••	•••••
6.	Whether belongs SC/ST/BC	•••	•••••	•••••	•••••
	Ex-serviceman				
7.	Whether belongs to minority	•••	•••••	•••••	•••••
8.	Whether your name appear in	•••	•••••		•••••
	the BPL list of so then indicate				
	BPL No.				
9.	Whether getting Old Age Allowance/Handicapped Pension	•••	••••••	••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	Government ?				
10.	In case of renewal, furnish following info	orn	nation :-		
a)	Identity Card No.	•••	•••••		•••••
b)	Date of issuance of I/card	•••	•••••	•••••	•••••
c)	Date of expiry of the I/card				
d)	Name of Issuing authority	•••	•••••	••••••	••••••
Place Date:	: HISAR		Signature	of th	e Applicant
2.7 3.2	ose:- following documents copy of ration card Attested Two Photo Age proof Certificate Attested copy of Voter Card Attested		Contact No		

Following Legal care and Support Centres have been established by Haryana State Legal Services Authority for reaching out to the masses in the State of Haryana:-

A. Permanent Legal care and Support Centres /Legal Aid Cells in Jail

Haryana State Legal Services Authority has established **Legal care and Support Centres** /Centres in all the Jails/Sub Jails of Haryana. The Advocates empanelled under the 'Legal Aid Counsel' scheme, regularly visited Central/District Jails/Sub Jails, at specified intervals, as deputed by District Legal Services Authorities and Sub-Divisional Legal Services Committees, for giving legal advise to the accused/convicts, if the need be, and collecting their applications/representations, if any and to submit the same to the concerned courts on the next working day.

B Village Legal care and Support Centres in Villages

Under NALSA (Legal Aid Clinic) Regulations, 2011, Legal Aid Clinics are required to be set up in all the villages or cluster of villages. HALSA has already established 267 Village **Legal care and Support Centres** in different villages of all the Districts of Haryana. The Legal Aid Counsel/Para Legal Volunteers attend **Legal care and Support Centres** on the scheduled dates for providing legal aid to the litigants visiting these Permanent **Legal care and Support Centres**.

- C Permanent Legal care and Support Centres in Courts
- D. Permanent Legal care and Support Centres in Law Colleges & Universities
- E. Legal care and Support Centres in the offices of Protection Officers appointed under Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.
- F. Legal care and Support Centres in Primary Health Centres/ Urban Areas/Community Centres

LIST OF LEGAL CARE AND SUPPORT CENTRES ESTABLISHED IN THE STATE OF HARYANA TILL DATE

Sr. No	Name of District Authorities	Legal care and Support Centres in the Offices of Protectio n Officers	Legal care and Suppor t Centre s in Jails	Village Legal care and Support Centres in Gram Panchayat s	Legal care and Support Centres in Primary Health Centers/ Urban Areas/com-munity Centers etc.	Legal care and Suppor t Centre s in Law College	Legal care and Suppor t Centre s In Distt. Court	Tota I
1	Ambala Naraingarh	1	1	9	2	2	1	16
2	Bhiwani Charkhi Dadri Loharu Siwani	1	1	20	6	0	1	29
3	Faridabad	1	1	6	3	2	1	14
4	Fatehabad Ratia Tohana	1		19	5		2	27
5	Gurgaon Pataudi Sohna	1	1	12	4	1	1	20
6	Hissar Hansi	1	2	12	8	4	1	28
7	Jind Narwana Safidon	1	1	15	4		1	22
8	Jhajjar Bahadurgarh	1	1	6	3		1	12
9	Kurukshetra Pehowa	1	1	17	8	2	1	30
10	Karnal Assandh	1	1	23	4		1	30
11	Kaithal Gulha	1	1	12	4		1	19
12	Mewat at Nuh Ferozpur Zhirkha	1		11			2	14
13	Narnaul Mahendergar h	1	1	6	11	1	1	21

14	Palwal Hodal	1	1	12	6		2	22
15	Panipat Samalkha	1	1	16	3	1	1	23
16	Panchkula Kalka	1		13	7		2	23
17	Rohtak Meham	1	1	3	1	4	1	11
18	Rewari Kosli	1	1	10	8	1	2	23
19	Sirsa Ellenabad	1	1	22	2	4	1	31
20	Sonepat Gohana Ganaur	1	1	15	2	2	3	24
21	Yamuna Nagar Bilaspur	1	1	10	4		2	18
	Total	21	19	269	95	24	29	457

LEGAL CARE AND SUPPORT CENTRES IN GRAM PANCHAYATS AND URBAN AREAS OF HARYANA

Sr. No.	Name of District	No. of Legal care and Support Centres Established	Name of villages where Legal care and Support Centres established
1	Ambala Naraingarh Urban Areas	10 villages 5 Villages 2	 Durana Barara Talheri Gujran Panjhkora Mithapur Naggal Manka Adhoya-H, Anandpur Saha Urban Areas Observation Home/Special Home,
2	Bhiwani Charkhi Dadri Loharu siwani urban areas	17 villages 2 Villages 4 Villages 2 villages 2 0	 Palwas Tigrana Jatu lohari Bapora Kanut Dhana Ladanpur Dhanana Devsar Chang Sui Biran Alakpura Dhana Narsan Kharak Bamla Dhani Mahu Bajina Urban Areas Loharu Singhani Dhojhu Kalan Ghasola Badhra Barwa Gurera

3	Faridabad Urban Area	08 villages 03	 Tilpat Palwali Bhatola Tigaon Badoli Faridpur Tikawali Neemka Urban areas Ashoka Enclave Dabua Colony N.I.T. Faridabad
4	Fatehabad Tohana Ratia Urban areas	14 villages 05 villages 04 villages 06	 Dhingsara Dhanger Bhirdana Gorakhpur Chinder Dariyapur Ramsara S. P. Daroli Jandlikalan Buwan Mehuwala Hizrawan Khurd Ayalki Khan Mohammad Urban Areas Civil Hospital, Health centre Tohana Kanhari Simbalwala Sakkerpura Jamalpur Jakhal Urban Areas Raj Nagar, Aanganwari Center Balmiki Mohalla, Aanganwari Cente Samain, Community Center Ratia Lalli Haroli Aherwan Nangal

5	Gurgaon Urban areas Faruk Nagar	10 villages 02 1	 Navada Wajirpur Badha Shikohpur Badshapur Bhangrola Bar gujar Wazirabad Bhondsi Haily mandi Urban Areas Secret, Protection Home DLF-1 Faruk Nagar
			Recreation center-cum-library at faruk Nagar.
6	Hisar Hansi Urban areas	07 villages 05 villages 08	 Mirjapur Pabra Moda Khera Kirmara Muklan Badhawar Kabrel Urban areas Urban RCH Centre, Azad Nagar, Hisar. Urban RCH Centre, Ghoda Farm, Hisar(Balsamand Road) Urban RCH Centre, Surya Nagar, Hisar. Bus Stand (city), Hisar. Protection Officer for newly Wedded Couple, Red Cross Society, Hisar. Observation Home, Hisar. S.P Nodal Cell, Hisar. Rajeev Gandhi Sewa Sadan, Hisar. Hansi Garhi Sisar Madha Depal Petwar
7	Jind Safidon Narwana Urban Areas	07 villages 06 villages 05 villages 02	 V. Nagura V. Gatauli V. Quila Zafargarh V. Jhanjh Kalan V. Rajpura V. Manoharpur V. Kandela Urban area Safidon Pillukhera Budha Khera Hatt Karkhana Paju Kalan Muwana

			Urban areas 1. Community Centre Narwana 1. Bailerkhan 2. Baroda 3. Dumerkhan Kalan 4. Dhani 5. Dharodi Urban areas 1. General Hospital Narwana
8	Jhajjar Urban Areas Bahadurgarh	07 villages 03 3 villages	 Dighal Shahid Matanhail Dubhaldhan Sahlawas Chuchakwas Dujana Dadri Toi Urban areas School No.1 Jhajjar Govt. Boys Sr. Sec. Bhatti Gate Jhajjar Opposite Bus Stand, Jhajjar. Bahadurgarh Jassaur Mandothi Badli
9	Kurukshetra Pehowa Urban areas	11 villages 08 villages 08	1. Umri 2. Dhurala 3. Mathana 4. Jyotisar 5. Kirmach 6. Nawarsi 7. Kalsana 8. Ban 9. Berthala 10. Barna 11. Landi

4.0		00 '''	4 0 1:1 "
10	Karnal	22 villages	1. Garhi Jattan
	Assandh	04 villages	2. Shergarh Khalsa
	Urban areas	04	3. Bibipur Jattan
			4. Garhi Birbal
			5. Raitkhana
			6. Kutail
			7. Barsat
			8. Jundla
			9. Bansa
			10. Baragaon
			11. Kunjpura
			12. Daha
			13. Kheri Man Singh
			14. Shekhpura Jagir
			15. Kambopura
			16. Uncha Samana
			17. Shamgarh
			18. Bairsal
			19. Butana
			20. Padhana
			21. Sandhir
			22. Nidhana
			Urban areas
			1. Nari Niketan
			2. Sai Mandir, Sec-6
			3. Jal Ghar, Behing Fire Birdage, Tubewell
			No.20, Jundla Gate
			4. Sant Siri Guru Ravi dass mandir, Vakil Pura,
			Behind Novelty cinema Hall,
			Assandh
			1. Ballah
			2. Salwan
			3. Ardana
			4. Phaphrana
J		<u> </u>	

11	Kaithal Gulha	11 villages 04 villages	1. Padla
	Urban areas	04	 Guliyana Naina Dhand Habri Badsikri Kalan Kalayat Fatehpur Keorak Rajound Siwan Urban Areas
			 Sanatan Dharam Mandir, Kaithal, Dogran Gate, Kaithal Central Public School, Khurana Road, Kaithal Shakti Nagar, Kaithal
			Gulha 1. Arnoli 2. Taranwali 3. Rasoolpur 4. Bhuna
12	Mewat at Nuh	11 villages	 Ferozepur Namak Mohd. Pur Ahir(Tauru) Indri Ujina Indana Saral Sikrawa Singar Meoli Beewan Doha
13	Narnaul Mahendergarh Urban areas	5 Villages 3 villages 11	 Niwaj Nagar Salimpur Choudhary Jorasi Siarpur Mehta Urban area
			 PHC Sirohi Bahali, Block Nangal Chaudhary PHC Budhwal, Block Nangal Chaudhary PHC Bayal, Block Nangal Chaudhary PHC Balaha Kalan, Block Narnaul PHC Rampura PHC Dochana, Block Narnaul PHC, Musnota BD&PO Block Nangal Choudhary Blind School, Narnaul, Mahendergarh

		1	
			 Dhanoda Satnali Sehlang Urban areas PHC, Nangal Sirohi PHC, Kanina
14	Palwal Hodal Hathin	14 villages 02 villages 02 villages	 Alah Pur Asaoti Baghola Behrola Devli DurgaPur Dhola Garh Janoli Khusli Pur No.2 Mindkola MandKol Naya Gaon Ronija RaiPur Hodal Benchari Mitrol Hathin Rupraka Manpur
15	Panipat Urban areas	16 villages 05	 Babarpur Siwah Babail Bapouli Israna Naultha Ahar Mandi Matlauda Khandra Samalkha Manana Chulkana Jaurasi Khalsa Sanouli Khurd Atta Urban areas Kabri Fatak Ekata Vihar Mandir Ujha Road, Panipat Primary Health Centre ,Raj Nagar, Panipat. Urabn Rural Child Health Dispensary, Sec-29, Flora Chowk, Panipat Parshuram Mandir, Parshuram Colony, Near Wadhawa Ram Colony
16	Panchkula Kalka urban	08 villages 04 villages 5	1. Ramgarh 2. Mouli 3. Mandana

			 Morni Nada Bhoghpur Saketri Bir Ghaggar, Wrban areas Mansa Devi Complex, Jatt Dharmshala Main Road, Barwala, Sec 25 Senior Citizen Club Sector 9 Arya Samaj mandir Raipur Rani.
			Kalka 1. Mailan
			 Janeh Raipur Govt. Sr. Sec. School (Main Road Kalka)
17	Rohtak Meham Urban areas	05 villages 00 4	 Brahamnwas Lahli Basana Makroli Khurd Kharawar Urban area
			 Sampla in Municipal Committee S.P.Office, Senior Citizen Club, Sector 3, Rohtak Protection Officer S.P.Office Rohtak
18	Rewari Kosli Urban areas	09 villages 03 villages 07	 Kharkhra Bikaner Saharanwas Bithwana G.T. Khori Seeha Nehchana Mangleshwar Peethanwas Urban areas Civil Hospital Rewari. PHC Dharuhera Bharawas Khol Kasola Sangwari Bawal Kosli Nagal Pathani Ratan Thal Bhakli
19	Sirsa Urban areas	23 villages 02	 Panihari Bhavdeen Sikanderpur Bajekan Bansudhar

			 6. Kelnia 7. Nagoki 8. Mallewala 9. Baragudha 10. Panjuana 11. Ding 12. Arniyawali 13. Nathusari Kalan Urban Area Youth hostal, Shaheed Bhagat Singh Stadium, Sirsa. Child welfare Committee Sirsa. Ellenabad Bhuratwala Ottu Kaherwala Beharwala Kuttabadh Dabwali Abusshahar Kalanwali Haibuana Odhan Kheowali
20	Sonepat Gohana Ganaur Urban Areas	10 villages 07 villages 04 2	 Dewroo Murthal Juan Mahara Badwasni Bahalgarh Rasoi Bindroli Nahara Sisana Urban areas General Hospital, Sonepat (Town) GVM Girls College, Sonepat (Town) Gohana Busana, Baroda Thuthan, Butana Khetlan, Bichpari Baroda Ganaur Garhi Jhajhara, Pugthala Gumar
21	Yamuna Nagar	11 villages	1. Fatehpur
	Urban Areas	05	2. Sugh

3. Orangabad
4. Alahar
5. Kail
6. Tajak Pur
7. Buria
8. Sehajadpur
9. Sankhera
10. Chhachhrauli
11. Sadhaura
Urban areas
1. E.S.I . Hospital, Jagadhri.
2. Civil Hospital, Jagadhri, near Old Tehsil
premises.
3. Govt. Sr. Sec. School, Jagadhri Workshop
4. Govt. Sr. Sec. School, Model Town Yamuna
Nagar.
5. Govt. Girls Sr. Sec. School, Old Sabzi Mandi,
Yamuna Nagar.

THE LEGAL CARE AND SUPPORT CENRES ESTABLISHED IN LAW COLLEGES AND UNIVERSITIES IN THE STATE OF HARYANA

Rewari	Legal care and Support Centre Established in Smt. Shanti Devi Law College at Rewari
Panipat	Legal care and Support Centre Established in Geeta Institute of Law at Panipat
Kurukshetra	Legal care and Support Centre Established 1.Department of Law Kurukshetra University at Kurukshetra
Hisar	2.Institute of Law, Kurukshetra University, Kurukshetra Legal care and Support Centre Established 1.Chhaju Ram Law College at Hisar 2. Agriculture University 3.Guru Jameshwar University 4. Govt. PG College, Hisar.
Faridabad	Legal care and Support Centre Established 1. B.S.Anangpuria Institution of Law College at Faridabad 2. Institute of Law & Research, Jasana, Tigaon Road at Faridabad
Sonepat	Legal care and Support Centre Established 1.B.P.S. Mahila Vishwa Vidyalaya College at Khanpur Kalan Dist. Sonepat 2. O.P. Jindal Global University at Sonepat
Sirsa	Legal care and Support Centre Established 1.Lala Hansraj Phutela College of Law at Sirsa 2. National College Sirsa. 3. C.M.K.College, Sirsa. 4. Chaudhary Devi Lal University at Sirsa
Ambala	Legal care and Support Centre Established 1. Department of Law M.M. University at Mullana Dist Ambala 2. Legal aid Clinic Established in Lala Ami Chand Monga Memorial College of Law VPO Ugala, District Ambala
Gurgaon	Legal care and Support Centre Established in of Law at Institute of law and Management Studies Gurgaon
Rohtak	Legal care and Support Centre Established in Maharishi Dayanand University at Rohtak Legal care and Support Centre Established in Chhotu Ram Institute of Law at Rohtak Legal care and Support Centre Established in Vaish College of Law at Rohtak Legal care and Support Centre in SBS College of Law, Rohtak.
Narnaul	Legal care and Support Centre Established in Central University of Haryana at Narnaul



हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

इन्स्टिटूशनल प्लाट नम्बर 9, सैक्टर-14, पंचकुला ई-मेल : hslsa@chd.nic.in वैब साईट : www.hslsa.nic.in